महानगर नई दिल्ली शुक्रवार 30 अगस्त, 2019, रु. 5.00 (14 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

जन आंदोलन बने फिटनेस : प्रधानमंत्री

नई दिल्ली, 29 अगस्त (भाषा)।

वीरता और फिटनेस को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 'फिट इंडिया आंदोलन' का शुभारंभ किया लेकिन कहा कि इसे सरकारी नहीं बल्कि जन आंदोलन बनाकर देश के कोने-कोने में पहुंचाना होगा।

महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन, राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर इंदिरा गांधी स्टेडियम में भारत की सांस्कृतिक विरासत में फिटनेस के महत्त्व की बानगी पेश करते रंगारंग कार्यक्रम के बीच मोदी ने कहा, 'आज का दिन युवा खिलाड़ियों को बधाई देने का दिन है जो दुनिया के मंच पर तिरंगे का परचम लहरा रहे हैं लेकिन फिट इंडिया का विस्तार खेलों से आगे तक होना चाहिए।' उन्होंने कहा,'युवा खिलाड़ियों को मिलने वाले पदक उनकी तपस्या के परिचायक तो हैं ही, लेकिन यह नए भारत के नए जोश और नए आत्मविश्वास का भी पैमाना है।

मोदी ने किया 'फिट इंडिया आंदोलन' का शुभारंभ

'फिटनेस परिवार, समाज और देश की सफलता का मानक होना चाहिए।'

पिछले पांच साल में खेलों के लिए जो बेहतर माहौल बना है, उसका फायदा अब मिल रहा है।'

मोदी ने फिटनेस को भारतीय संस्कृति का हिस्सा बताते हुए कहा, 'हमारे पूर्वज 'त' से तलवार पढ़ते थे और सीमित सोच वाले लोगों के कारण परंपराओं से हम इस तरह अलग हो गए कि लगने लगा कि 'त' से तलवार पढ़ाने से बच्चों की मनोवृत्ति हिंसक हो जाएगी। इसलिए 'त' से तरबूज हो गया। इससे वीरता, शारीरिक सामर्थ्य और फिटनेस को चोट पहुंची।'

उन्होंने कहा, 'फिटनेस परिवार, समाज और देश की सफलता का मानक होना चाहिए। स्वच्छ भारत आंदोलन की तरह फिट इंडिया आंदोलन का प्रचार-प्रसार भी देश के कोने-कोने में होना चाहिए। यह एक मंत्रालय का नहीं, देश का आंदोलन बाकी पेज 8 पर

दिल्ली की बसों में मुफ्त यात्रा करेंगी महिलाएं

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 29 अगस्त।

दिल्ली में 29 अक्तूबर से महिलाएं दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) व क्लस्टर बसों मुफ्त सफर कर सकेंगी। गुरुवार को दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद ने इस योजना को मंजूरी दी है। महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकें इसके लिए डीटीसी की तरफ से एक दिन के लिए पास जारी किया जाएगा और इस पास के माध्यम से महिलाएं किसी भी बस में सफर कर सकेंगी।

इस योजना के तहत हर एक पास पर डीटीसी को दस रुपए का भुगतान किया जाएगा। ये नियम ही क्लस्टर बस सेवा पर भी लागू होंगे। इस सेवा का लाभ लेने का अधिकार दिल्ली सरकार ने महिलाओं पर छोड़ा है। जो महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहती हैं वे इसकी जगह टिकट की खरीद कर सफर कर सकेंगी। इसके लिए कैबिनेट ने डीटीसी अधिनियम 1985 में संशोधन करने के आदेश दिए हैं। इस सुविधा का गलत लाभ नहीं उठाया जा सके। इसके लिए सभी गाड़ियों में डीटीसी अपनी बाकी पेज 8 पर

29 अक्तूबर से योजना लागू, महिलाओं को एक दिन की यात्रा के लिए जारी होगा पास। सरकारी कर्मचारियों को अब छोड़ना होगा अपना यात्रा भत्ता, एनसीआर जाने वाली डीटीसी व क्लस्टर सेवा में भी मिलेगा लाभ।

महिलाओं के सशक्ति करण और सुरक्षा की दिशा में यह एक क्रांतिकारी कदम है। मुझे यकीन है जो लोग आज इस कदम का विरोध कर रहे हैं, वे भविष्य में देखेंगे कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में यह कदम मील का पत्थर साबित होगा। इसका सबसे अधिक लाभ गरीब व निम्न वर्ग के परिवारों को होगा।
-अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली

दिल्ली कैबिनेट ने महिलाओं को 29 अक्तूबर से डीटीसी व क्लस्टर में सफर की अनुमति दी है। इसके लिए एक पास जारी होगा, जो बस कंडक्टर के पास उपलब्ध होगा। यह महिला सुरक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम है।
-कैलाश गहलोत, परिवहन मंत्री, दिल्ली

पाकिस्तान की चिट्ठी में खट्टर और कई अन्य का भी जिक्र

दीपक रस्तोगी
नई दिल्ली, 29 अगस्त।

कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र को लिखी अपनी चिट्ठी में पाकिस्तान ने अकेले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान का हवाला नहीं दिया। इस पत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता मनोहरलाल खट्टर व उत्तर प्रदेश से भाजपा के एक विधायक विक्रम सिंह सैनी के बयानों का भी जिक्र है। यही नहीं, पाकिस्तानी मंत्री शिरीन मजारी ने अपने पत्र में कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला के भी बयानों का जिक्र करते हुए तर्क रखा है।

शिरीन के पत्र में कई वैसी कथित घटनाओं और पीड़ितों का जिक्र है, जिनका उदाहरण देकर पाकिस्तानी अपना कुप्रचार चलाता रहता है। पाकिस्तानी मंत्री ने गूगल सर्च के एक विषय को भी अपने पत्र का हिस्सा बनाया है।

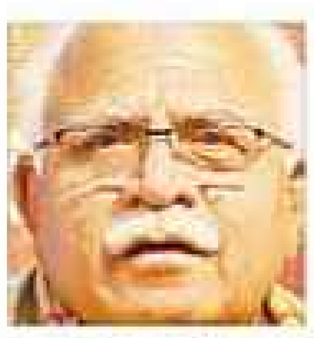

संयुक्त राष्ट्र को भेजी शिरीन मजारी की चिट्ठी में गूगल सर्च के बढ़ने को भी बनाया सबूत

महबूबा मुफ्ती

उमर अब्दुल्ला

शिरीन मजारी ने अपने पत्र को ट्विटर पर जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र के 18 पदाधिकारियों को 27 अगस्त बाकी पेज 8 पर

कश्मीर कभी पाकिस्तान का था ही नहीं : राजनाथ

लेह, 29 अगस्त (भाषा)।

जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि पाकिस्तान का कश्मीर पर कोई हक नहीं है और कोई भी देश इस मुद्दे पर उसका समर्थन नहीं कर रहा है। अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाने के केंद्र सरकार के कदम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने और समर्थन पाने की कोशिश करने के पाकिस्तान के प्रयासों के बीच रक्षा मंत्री का यह बयान आया है।

यहां रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने कहा पाकिस्तान जब आतंकवाद का इस्तेमाल करके भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता रहता है तो भारत उससे बात कैसे कर सकता है। उन्होंने कहा कि हमारा देश पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसी बाकी पेज 8 पर

पाकिस्तान को पीओके में मानवाधिकार उल्लंघन और अत्याचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए

मेंढर में स्कूल पर की पाक फौज ने गोलाबारी

नई दिल्ली, 29 अगस्त (ब्यूरो)।

पाकिस्तान ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी और मोर्टार बाकी पेज 8 पर

नारद मामला : तृणमूल के कई मंत्रियों व सांसदों की मुश्किलें बढ़ीं

सीबीआइ ने बिरला से मुकदमे की मांगी इजाजत

नई दिल्ली/कोलकाता, 29 अगस्त (भाषा)।

सीबीआइ ने नारद स्टिंग ऑपरेशन मामले में तृणमूल कांग्रेस के तीन मौजूदा और एक पूर्व सांसद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संपर्क किया है।

अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि जांच एजंसी ने इस मामले में तृणमूल कांग्रेस के कई मंत्रियों और नेताओं को समन जारी किया। सूत्रों ने कहा कि तृणमूल मंत्री सुब्रत मुखर्जी, सांसद काकोली घोष दस्तीदार और कोलकाता के पूर्व महापौर और अब भाजपा नेता शोभन चटर्जी उन दस लोगों में शामिल हैं जिन्हें मामले के सिलसिले में बाकी पेज 8 पर

सुब्रत मुखर्जी

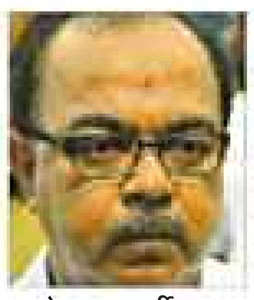

शोभन चटर्जी

सौगत रॉय

तीन मौजूदा सांसद हैं सौगत रॉय, काकोली घोष और प्रसून बनर्जी जबकि पूर्व सांसद सुवेंदु अधिकारी फिलहाल राज्य सरकार में परिवहन मंत्री हैं।

दरअसल

करतारपुर गलियारे के उद्घाटन पर बैठक आज

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 अगस्त।

करतारपुर गलियारे के उद्घाटन को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तकनीकी बैठक शुक्रवार को जीरो प्वाइंट पर होगी। भारत और पाकिस्तान की तकनीकी टीमों की बैठक ऐसे समय में हो रही है, जब जम्मू कश्मीर को लेकर दोनों देशों के रिश्ते खासे तनावपूर्ण हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इस बैठक में करतारपुर गलियारे की तैयारियों को बाकी पेज 8 पर

धनशोधन मामले में चिदंबरम की अपील पर फैसला पांच को

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 अगस्त।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि आइएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अपील पर पांच सितंबर को फैसला सुनाया जाएगा। चिदंबरम ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली हाई कोर्ट के 20 अगस्त के फैसले को चुनौती दे रखी है। न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति एएस बाकी पेज 8 पर

पांच करोड़ लोगों ने ऑनलाइन सदस्यता ली | मुहिम | पहले भाजपा के सदस्यों की संख्या 11 करोड़ थी

भाजपा के सदस्यों की संख्या 18 करोड़

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 अगस्त।

इस बार भाजपा की सदस्यता में 7 करोड़ की वृद्धि होने जा रही है। 11 करोड़ सदस्यों में इन सदस्यों के जुड़ने से अब पार्टी के सदस्यों की संख्या 18 करोड़ होगी।

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भाजपा मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा कि पहले हमारी (भाजपा की) सदस्य संख्या 11 करोड़ थी। इस बार सदस्यता अभियान के दौरान 5 करोड़ 81 लाख 34 हजार 242 लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से सदस्यता ली। यह पिछली सदस्य संख्या का 50 फीसद से ज्यादा है। संवाददाता सम्मेलन में सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय प्रमुख शिवराज सिंह चौहान, सह-प्रमुख दुष्यंत गौतम, सह-प्रमुख अरुण चतुर्वेदी और सह-प्रमुख शोभा सुरेंद्रन भी उपस्थित रहे।

जेपी नड्डा

नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 6 जुलाई को सदस्यता अभियान 2019 को शुरू किया था। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने सिमसाबाद (तेलंगाना), शिवराज सिंह चौहान ने गुरुग्राम, राजनाथ सिंह ने जयपुर और नितिन गडकरी ने नागपुर से इस अभियान की उसी दिन शुरुआत की थी। इस अभियान का समापन 20 अगस्त 2019 को हुआ। बाढ़ और बारिश के कारण सदस्यता अभियान में मुश्किलें भी आईं। इसे कुछ दिनों के लिए बंद भी करना पड़ा लेकिन इसके बावजूद यह सदस्यता अभियान काफी सफल रहा।

कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि सदस्यता अभियान में पार्टी का संवैधानिक लक्ष्य 20 फीसद नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ना होता है। इस तरह हमें 11 करोड़ की सदस्यता के आधार पर लगभग 2 करोड़ 20 लाख नए सदस्य बनाने थे लेकिन यह आंकड़ा लक्ष्य के तीन गुने से भी बाकी पेज 8 पर

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is for general information that I,Hitender Thakur R/o-Qtr. No.13,Type-3 DTL-Colony New Delhi-110014,inform that name of my minor daughter Avishi Thakur(14-Years) has-been wrongly written as Avishi in her School Record. The actual name of my minor daughter is Avishi Thakur which may be amended accordingly. 0040510016-2

It is for general information that I,Anjani Kumar Patel R/o-291 2nd Floor,Bara Thakurdwara,Shahdara Delhi-110032,inform that my name is wrongly written as Anjani Patel in my minor son Kartikey Patel(13-Years) School Record.But mine actual name is Anjani Kumar Patel which may be amended accordingly. 0040510016-1

It is for general information that I, NASREEN RAIS w/o Mohd Rais residing at 1281 Gali Sharif Wali, Kalan Mahal, Darya Ganj, New Delhi-110002, informs that name of mine has been wrongly written as NASREEN RAIS PEERZADA in my Passport number : A5623196. The actual name of mine is NASREEN RAIS which may be amended accordingly. 0040509952-1

I,Sanjay Kumar S/o Sh. Tek Chand R/o-H.No.HR-148/7, Pul Pehladpur Jaitpur,New Delhi-110044,that Inadvertently in the school records of my minor Daughter namely Riya Aren aged about 15-years my name has been,wrongly written as Sanjay Aren instead of Sanjay Kumar which may be amended accordingly. 0040509980-4

I,Pooja Julka W/o Suresh Raghunath Julka R/o-61A/1, 1st Floor, Arjun Nagar, Delhi-110029,have changed my name to Pooja Suresh Julka Permanently 0040509906-2

I,Munesh Kataria W/o Pradeep Kumar R/o-F-1/218-219 Ground Floor Sector-16 Rohini Delhi-89. inform that Munesh Kataria and Meenakshi Kataria both name are same person. 0040510014-5

I,Abdur Rehman S/o-Mohammad Raza Khan R/o-241, Block-E, Abul-Fazal-Enclave Part-2, Shaheen-bagh, Jamia-Nagar, N.Delhi-110025. Changed my name to Abdur Rehman Khan. 0040510021-4

I, hitherto known as BIMLA RANI daughter of Late Sh. NIRBHAY SINGH wife of RAJEEV PAUL, residing at H.No. S-172/52, Rangpuri Pahari, Near Army Gate, Mahipalpur, New Delhi-110037 have changed my name and shall hereafter be known as BIMAL PAUL. 0040509905-1

I, hitherto known as Ashok Kumar S/o Shri Bishan Dass employed as Sr.Technician in the office of Sr.Dee/Trs/Tkd (Wcr), New Delhi. Residing at 303/D2, West Central Railway Colony Tughlakabad, New Delhi-110044, have changed my name and shall hereafter be known as Ashok Kumar Sharma. 0040509975-1

I, Yukta Chhabra s/o Sanjeev Chhabra r/o F-221A, Sudarshan Park, Delhi-110015, have changed my name to RENU CHHABRA. 0040510007-1

I, Travalimikal James S/o Jhony James R/o 1404, Tower-3, Panchsheel Wellington, Crossing Republik, Ghaziabad, UP-201016 have changed my name to Trevor Michael James. 0040509964-1

I, Tarun Dahiya S/o Sanjeev Kumar R/o H.No.A-10, Vijay Colony, Bawana, Delhi-110039, that name of mine has been wrongly written as Tarun in My Driving License No: DL1120130251547 No:DL1120130251547. The actual name of mine is Tarun Dahiya 0070672196-1

I, Suresh Raghunath Julka S/o Raghunath Jeetlal Julka R/o-61A/1, 1st-Floor, Arjun Nagar, Delhi-110029,have changed my minor son's name Paras to Paras Suresh Julka Permanently. 0040509906-3

I, Suresh Nagpal,S/O Mr.Banwari Lal Nagpal,R/O-847, Rishi-Nagar, Rani-Bagh, Delhi-110034,Inform that Suresh Kumar Nagpal and Suresh Nagpal is one & same person. 0040510057-4

I, Suresh Julka S/o Raghunath Jeetlal Julka R/o-61A/1,1st Floor, Arjun Nagar Delhi-110029,have changed my name to Suresh Raghunath Julka Permanently 0040509906-1

I, Sunita W/o Sh. Shaboob Akhatar R/o 636 Lal chand Colony , Rangpuri , Delhi 37 do here by declare that my other name is Shabana . I hereby confirm that Sunita and Shabana is same and one person . 0040510045-1

I Nikhiel Nagrath S/o Vimal Nagrath R/o H.No.307, Sector-15, Faridabad, Haryana inform that Nikhil Nagrath & Nikhiel Nagrath both are same person & my correct name is Nikhiel Nagrath for all future purposes. 0040510057-1

I Mahendra Kumar Khurana S/O Chaman Lal Khurana., H.NO-1386,Maruti Vihar, Chakarpur(74) Gurgaon Haryana-122002.,Have Changed my Name to Mahender Kumar Khurana. 0040510014-7

I, Sunil Kumar S/o Shri Jogender Kumar Sahni doing self employed and R/o GH14/28, Paschim Vihar, New Delhi-110087, I shall hereafter be known as Sunil Sahni for all future purpose, 0040509940-1

I, Suman Sourabh Gupta D/o Late Nand Kishore R/o-D-52, Top-Floor, GaliNo.6, Krishna-Park, Tilak-Nagar, Delhi-110018. Changed my name to Suman Sourabh. 0040510021-5

I, Sudhir Gupta S/O Surender Kumar Gupta R/O FD-13, Vishakha Enclave, Pitam Pura, Delhi-110088 Have Changed My Name From Sudhir Kumar Gupta To Sudhir Gupta For All Future Purposes. 0040510057-7

I, Shreya D/O, Satish Kumar R/o Flat No. B-249, Type-, Delhi Government Flats, Timarpur, Delhi-110054 have changed my name to Shreya Verma for all purposes. 0040509934-1

I, Shashi Kant S/o Sudesh Kumar Virmani, R/o-3126, 2nd-Floor, Sainik Colony, Sector-49, Faridabad (Haryana)-121001, have changed my name to Shashi Kant Virmani. 0040510014-3

I, Satyendra Kumar Agnihotri S/O Matware Lal Agnihotri R/O-Rz-61, South-Extn, Ground-Floor, Part-1, Uttam-Nagar, NewDelhi-110059. Changed My Name To Satyendra Kumar. 0040510014-8

I, Sarita Goyal W/o Vinod Goel R/o-B-34, 3rd-Floor, Zero.No.Road, Majlis Park, Delhi-33 have changed my name to Sarita Goel. 0040510019-3

I, Sarifan W/o Sh. Shamim Malik R/o H. No. E-14/C-91, New Seelampur, Delhi-110053, have Changed my name from Sarifan to Sharifan for all purpose in future. 0040509963-1

I, Sanyam Kumar S/O, Satish Kumar R/o Flat No. B-249, Type-II, Delhi Government Flats, Timarpur, Delhi-54, have changed my name to Sanyam Kumar Verma for all purposes. 0040509918-1

I, Sanvi D/o Sunil Kumar R/o D-1608, Angel Jupiter, Ahinsa Khand-II, Indirapuram, Ghaziabad-201014 have changed my name to Sanvi Rai for all purposes 0040509973-2

I, Sanjeev Kumar S/o Shri Ram Murti R/o H.No A1/19 Flat No 101, Ekta apartments, Raj Nagar-II, Palam Colony, New Delhi have changed my minor daughter's name from Parul to Parul Bhatt for all future purposes. 0040509982-1

I, Ram Kumar Kattar S/o Mehar Chand Katar R/o-DG-3/382, MIG-Flat, Vikaspuri Delhi, have changed my name to Ram Kumar Katar. 0040510014-1

I, Sanjay S/o Sh.Damodar Singh R/o-H.No.412 Keshav Mohalla, Ghitorni New Delhi-110030, inform that my minor daughter's correct name is Nisha not Nisha kumari which is mentioned in some of her documents. 0040510033-8

I, Sana D/o Sunil Kumar R/o D-1608, Angel Jupiter, Ahinsa Khand-II, Indirapuram, Ghaziabad-201014 have changed my name to Sona Rai for all purposes 0040509973-1

I, Runa W/o.Sh. Vishnu Paswan R/o-1672/6,Near Chopal,Kotla Mubarak Pur,New Delhi-110003,have changed my name to Punam Devi for all future purposes. 0040509980-3

I, Renu Jain W/o Piyush Jain R/o-BB-6-E, DDA-Flats, Munirka, New Delhi-110067.,inform that Rinky Jain & Renu Jain is one and same person. 0040510033-2

I, Ravi Lal S/o Benche Lal R/o-A-42, Sahyog-Vihar, Matiala Delhi-110059. Have changed my name from Rabi Lal Balmiki to Ravi Lal.,for all purposes. 0040510021-1

I, Rakesh Kumar Sachdeva S/o Late Jaidev Sachdeva R/o C-80, Ramprastha Colony, Ghaziabad,U.P.-201011-have changed my name to Rakesh Sachdeva. 0040510021-2

I, Rajesh Sehgal S/o K.C.Sehgal R/o-A-196, Prashant-Vihar, North-West Delhi, Delhi-110085-have changed my minor son name Vandit Sehgal aged 13-years to Kabir Raj Sehgal., for all purposes. 0040510033-5

I, Rajesh Garg S/o Roshan Lal R/o 1/7300, IInd Floor, Gali No.5, East Gorakh Park, Shahdara, Delhi-32, have changed my name to Rajesh for all purposes. 0040509957-1

I, Rajeev Minglani alias Rajiev Minglani S/o late Diwan Chand R/o-E-9 Greater Kailash Enclave-2 New Delhi have changed my name to Rajive Minglani for all purposes. 0040510033-4

I Suresh Raghunath Julka S/o Raghunath Jeetlal Julka R/o-61A/1, 1st Floor, Arjun Nagar, Delhi-110029,have changed my minor son's name Hiten Julka to Hiten Suresh Julka Permanently. 0040509906-4

I Subhash chand s /o Munna Ram jee R/O-D-291 JJ Colony Nangloi Delhi -41 change my name to Subhash for all purpose. 0040510033-7

I Shalien Kalia R/o HNo951, Sector-28, Faridabad-121002 Haryana have wrongly written my minor daughter's name is Hiranya Kalia in Passport but her Actual name is Hiradhya Kalia (DOB:29/12/2012). 0040510014-6

I, Prince S/o Jai Prakash R/o B-51, Joshi Colony, I.P.Extn., Delhi-110092, have changed my name to Prince Singh. 0040510021-6

I, Pragati W/o Pradeep Kumar R/o-A-9 Gali No.8 Mahendra-Park Adarsh Nagar Delhi-110033 changed my name to Shiva. 0040510019-4

I, PRINCE ABHIMANYU S/o Mrs.Sudha Singh R/o.Ward.No.2, Village-Shilanath, Post-Dullipatti, Distt.-Madhubani, Bihar-847226, have changed my name to PARAMA KARUNA DASA., for all purposes. 0040510019-1

I, Omprakash Chandrakar, S/o Loknath Chandrakar, R/o Plot No-59, Flat No-3 F/F, Gali No.19, Bhagwati Garden Extn., Uttam Nagar, West Delhi - 110059, have changed my name to Om Prakash Chandrakar for all purposes. 0070672187-1

I, Om Parkash/ Om Parkash Gautam/ O. P Gautam S/o Rameshwar Dayal R/o 1021, Vikas Kunj, Vikaspuri, New Delhi-110018 state that my actual name is Om Parkash Gautam. This is for all record and future purposes. 0040509914-1

I, Nupur Thareja D/o Ashok Kashyap W/o Mohit Thareja R/o-F-66, 2nd-Floor, Sushant-Lok-2, Sector-57, Gurgaon, (Haryana)-122011,have changed my name to Nupur Kashyap. 0040510014-4

I, No.14621342P Hav Patel Jagdish Bhai,serving at 505 ABW,informs that in my service records,my daughter's name is wrongly mentioned as KURPULI. Her correct name is KRUPALI PATEL which may be amended accordingly. 0040509960-1

I, Nisha Gupta W/O Sudhir Gupta R/O FD-13, Vishakha Enclave, Pitam Pura, Delhi-110088 Have Changed My Name From Nisha To Nisha Gupta For All Future Purposes. 0040510057-6

I, Naresh Kumar S/o Khem Chand R/o-D-217, J.J.Colony, Shakurpur, Delhi-110034.,have changed my minor daughter name., from Manvi Nehra to Manvi.,for all future purposes. 0040510033-3

I, Nabeel S/o Tufail Ahmed, R/o- H. No.-C-6/49 New-A-285 Gali No.-24 Chauhan Bangar Near- Bank Wali Gali, New Seelampur North East Delhi-53, have changed my name to Nabeel Ahmed. 0040510010-1

I, Monu S/O Sh.Ram Babu Sharma R/O-5/331, Mohalla-Maharam, Shahdara, East-Delhi-110032, Have changed my name to Monu Sharma.,For All future purposes. 0040510019-2

I, Mohammad Zaki Siddiqi S/O-Hasan Ali R/O-Rz-3258a, 2nd-Floor, Gali-No-36, Tughlakabad-Extn, Kalkaji, N.Delhi-110019., Changed My Name To Mohammad Zaki. 0040510019-9

I, Mohammad Ahmed Siddiqi S/O Mohammad R/O-Rz-3258a, 2nd Floor, Gali No-36, Tughlakabad-Extn, Kalkaji, N.Delhi-110019. Changed My Name To Mohammad Ahmad. 0040510019-8

I, Mary Daina James D/o Trevor Michael James R/o 1404, Tower-3, Panchsheel Wellington, Crossing Republik, Ghaziabad, UP-201016 have changed my name to Mary Diana James. 0040509964-2

I, Mahabir Singh Bisht S/o Bakhatawar Singh Bisht R/o E-248, Street No.4, West Vinod Nagar, Mandawali, Delhi-110092, have changed my name to Mahabir Singh for all purposes. 0040509921-1

I, Madan Barwa S/o Late Shri Kanhiya Lal R/o WZ-276, C/4 2nd Floor, Inder Puri, ND-110012 have corrected the spelling mistake in my minor daughter name from Jyotsna to Jyotsana, for all future purposes. 0040509941-1

I, Lavinder Singh Bindra S/o H.S.Bindra, Residing at-1/9440, Street No.2, Mohan-Park Naveen-Shahdara Delhi-110032.,have changed the name of my minor son Dilpreet Singh aged-26/04/2005 and shall hereafter be known as Dilpreet Singh Bindra. 0040510014-10

I, Km.Prabhjeet Kaur D/o Palvindra Singh R/o Samana urf Ramraj Muzaffarnagar, have changed my name to Prabhjeet Kaur. 0040510021-10

I, Karamvir Sharma R/o.E-86,Sector-52, Noida,U.P, informs that my minor son's AKSHIT D.O.B incorrectly mentioned-16.07.2004 instead-12.07.2014 in his school records, amend accordingly. 0040509980-1

I, Kamlesh W/o Sh.Rakesh Singh R/o-H.No.452, Gali-No.4, Rajiv Colony, Bhopura, Sahibabad, U.P.201005 have changed my name Kamlesh to Hemlata for all purposes 0040510033-1

I Hitherto known as Surinder Kaur W/o Ram Lubhaya R/o-X/3365 Street No.1, Raghubarpura No.2, Gandhi Nagar Delhi-110031, have changed my name and shall hereafter be known as Surinder Kaur Simak. 0040510016-3

I, Mohit Agrawal R/o-D-306, Paramount Golf-Foreste, UPSIDC Site-Extn. Greater-Noida, G.B.Nagar, U.P.,have changed the name of my minor son's name,from Shaurya Agrawal to Atharva Agrawal. 0040510057-5

I, Kamal Kishor S/o.Sh. Roshan Lal R/o-E-39B,Gali.No.3, Hardev Nagar,Jharoda,Delhi-110084. My & my Wife's name wrongly mentioned in my son Himanshu Kalra's School Records.As my name Kamal Kishor Kalra Instead of Kamal Kishor & my wife's name Deepa Kalra instead of Deepa Rani. 0040509980-2

I, Jatin S/o of Mahesh Kumar R/o H.no-45 Bhim Nagar .Gurgaon-122001 has changed my name toJatin Pahuja for all future purpose. 0070672205-1

I, Inder Sain Verma S/o Sh. Ram Suresh R/o H.No. A-342, Shyam Colony Phase-II, Budh Vihar, Delhi-86. Have Changed my Name to Inder Sain for all purpose. That Inder Sain Verma & Inder Sain is the one and same person. 0040509969-1

I, Hitesh Vasudev S/O- Baldev Raj R/O-E-32, Second Floor, Saraswati-Garden, Ramesh Nagar, Delhi-15 Have Changed My Name To Hitesh Vasdev. 0040510057-2

I, Geeta Makhija W/o Sanjay Makhija R/o-O-20, Block-O, Gali No-21, New Mahavir-Nagar, Tilak-Nagar, New Delhi-110018., have changed my name to Bhavya Makhija. 0040510057-8

I, Gaurav Katna R/o E1404 Bestech Park View Spa Next Sector 67 Gurgaon have changed my minor daughter's name from Rishidha to Rishidha Katna for all purposes vide affidavit number 10AA 093612 date 28-08-2019. 0050154168-1

I, Gajanfer Mehndi S/o Alamdar Hussain, R/o 6, Shahi Masjid, Rashid Market, Delhi-110051 have changed my name to Ghazanfar Mehdi for all purposes. 0040509917-1

I, Dinesh Kumar S/o Ram Bharosey R/o-10513, Partap-Nagar Metro-Station, Bageechi-Peerji, Delhi-110007, have changed my name to Dinesh Chauhan. 0040510021-7

I, Dheeraj Kumar S/o Madan Lal H.No-100, Ashok-Nagar Ganaur, Sonipath,Haryana have changed my name to Dheeraj Chugh. 0040510021-9

I, Deepa Ranjan Vijay Ranjan Singh D/O, Vijay Ranjan Singh R/o 191, Shaheed Bhagat Singh Apartment Dwarka 14, ND-78 have changed my name to Deepa Ranjan Singh. 0040510009-1

I, Chhaya Badsiwal S/o Shankar Lal R/o A-184 Gokalpuri North East Delhi-110094 have changed my name to Chhaya. 0040510033-6

I, Balwant Singh son of Sardar Singh, resident of Vill Lalowal, PO-Alampur, Teh Dasuya, Hoshiarpur,Punjab-144205, hereby declare that name of mine, my father's, my mother's and my wife's has been-wrongly written as Sikh Balwant Singh Sardar Singh instead of Balwant Singh, Sikh Sardar Singh RadhaSingh instead of Sardar Singh, Sikh Mail Kaur Sardar Singh instead of Mail Kaur and Sikh Manjit KaurBalwant Singh instead of Manjit Kaur in my Passport. The actual name of mine, my father's, my mother's and my wife are Balwant Singh, Sardar Singh, Mail Kaur and Manjit Kaur respectively 0070672200-1

I, Baldev Raj S/O-Ram Kumar Goyal R/O-A-1/14, Surya-Market, Budh-Vihar Phase-1, Delhi-86 Have Changed My Name Baldev Raj Goyal. 0040510019-6

I, Bajrang & Bajrang Jangra S/o Sh.Bhanu Ram R/o-4-J-1, R.H.B, RHB-Colony, Milakpur-Goojar, Bhiwadi, Rajasthan-have changed my name to Bajrang Jangra., for all purposes. 0040510014-2

I, Baby Maya D/o Unni Krishanan R/o-A2/4, 20-Top Duplex, Sector-6, PCNDTA, Pune-05 have changed my name to Arya Pillai.,for future. 0040510019-5

I, Aseem Kumar Srivastava R/o F-403, Anusandhan Apartment, Plot No.22, Sec-6, Dearka, New Delhi-110075 have changed my minor son name Bhavya Srivastva to Aayansh Srivastva. Both are same person. 0040509936-1

I, Anita W/O Vikram Singh R/O-B-873, MIG Flats, East Of Loni-Road ,Shahdara, Delhi-110093 Have Changed My Name To Anita Bansala. 0040510057-3

I, Ambuj S/o-Satya Narayan Saraswat,R/o H.no.S-594, School Block ,Near Sheetla Mata Mandir,Shakarpur,Delhi-92,Have changed my name to Ambuj Saraswat for all Purposes. 0040509980-6

I, Amarpreet W/O Rajinder Singh Kohli, R/O-D166/20, Sector-50 Noida, Gautambudh-Nagar, Up-Have Changed My Name To Amarpreet Kaur Kohli.,For All Future Purposes. 0040510014-9

I Sandeep S/o Joginder Singh R/o-H.No.676 Saini Mohalla Nangloi Delhi-110041 inform that Sandeep and Sandeep Kumar both are one and same person 0040510033-9

I Rekha Rani D/o Sh.Madan Singh W/o Sh.Ajay Jain R/o 4376/4B, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110002 have changed my name to Rekha Jain for all purposes. 0040509908-1

I Raj/Raj Rani@Raj Chauhan W/O-Ramesh Chauhan R/0-Plot No.53A Jain Colony Part-2 Main-Solanki Road Uttam-Nagar Delhi-110059 have.Change Name To Raj Bala. 0040510019-10

I, Abdul Wahab S/o Mohd. Yusuf R/o-313/76A, Tulsi-Nagar, Inderlok,Near Bilal Masjid, School-Road, Delhi-110035 have changed my minor daughter's name Ariba Khatoon to Ariba Khan. 0040510021-3

I, Prubhleen Kaur D/O Rajender Singh Popli R/O- B-5/130, Paschim-Vihar, Delhi-63 Have Changed My Name To Simran Deep Kaur. 0040510019-7

I, ARUN CHAUDHARY S/o Shri Dharam Singh R/o House No.9, Gali No.1, Sonda Road, Patel Nagar, Modi Nagar, Ghaziabad, UP-201204 have changed my name from Arun Raj to Arun Chaudhary for all purposes. 0040509945-1

I, Chatura Prasad S/o Gopal Dutt Semwal R/o-206,-D, Pocket-B, Mayur-Viahr-II, Delhi-110091.have changed my name to Chatura Prasad Semwal. 0040510021-8

I hitherto Known as Vijai Singh S/O Sh.Sukh Lal R/O-H.No.153.,Village & Post-office Achina Tehsil & Distt.Charkhi Dadri Haryana. have changed my name and shall hereafter be known as Vijay Kumar. 0040510033-10

I Swapan Das S/o Sh.Bimal Chander Dass R/o H.No.170, Shahpur Jat, South Delhi-110039 have changed the name of my minor daughter from Brithika Das to Nishtha Das for all purposes. 0040509908-2

खोया+पाया

I,SHIVAM S/o Sushil kumar R/o-B-126 prem-nager-2 kirari-suleman nagar Delhi-86.have lost my original-certificate class-10th year-2017 Rollno-8341217 CBSE-Delhi. 0040510053-4

I,Vijay Kumar Pandey S/o Dev Prakash Pandey R/o-WP-421 Wazirpur-Village Ashok-Vihar Delhi-52,Lost my10th-class Marksheet Roll.No.8699869, Year-2013 issued by CBSE-Delhi. 0040510053-9

It is notified for the information that I lost my Original Property Document of H .No-C-2 Block Plot No 945, Palam Vihar, Gurgaon(122017). Name: Honey Malhotra S/o Arjun Dev Malhotra, If found please contact us 9818603976 0040509965-1

It is notified for the information that my Original Qualifying Examination Certificate and Marksheet of Main Secondary Examination of Year 2002, Roll No.6176097 issued by CBSE has been actually lost. Name of Candidate: Neelam D/o Narayan Das, R/o 3244, Gali Buddha Wali, Roshnara Road, Arya Pura, Delhi-110007, Contact-9871355957. 0040509916-1

I, Gaurav Tyagi son of Shri Neeraj Tyagi Residence of House No. 253-B, , Hastsal Village, Uttam Nagar, New Delhi-110059 have my Original Certificate/ Marksheet Class Xth, Year-2014, Roll No. 8178205, C.B.S.E Delhi & XIIth, Year-2016, Roll No. 270193153065 Issued by NIOS Delhi has been Actually Lost. 0040509999-1

I, KUSHAL S/o Rajesh kumar R/o-h.no-413 nangal thakran Delhi-39 have lost my original-certificate class-10th (2017) Rollno-8179504 class -12th (2019) Rollno -9661689 CBSE Delhi. 0040510053-5

I, RITU Narwal D/o-Surat Singh R/o-h.no.199 st.no-199 galino-3 nathupura-road burari-Delhi-87have lost my original certificate class-12th year-2015 Rollno-9134622 cbse-Delhi. 0040510053-8

I, SURAJ Kumar S/o Gokul dev R/o-h.no.199 st.no-3 gali no-3 nathupura-road burari Delhi-87have lost my original certificate class-12th year-2016 Rollno-9135596 cbse-Delhi. 0040510053-6

I, Sharmila Roy D/o Alok Roy R/o Bh-003 Abhimanyu Apartment Vasundhara Enclave Plot No.65 Delhi-110096 inform that my Property No.Bh-003 Abhimanyu Apartment Vasundhara Enclave Plot No.65 Delhi-110096 Original Conveyance Deed on the name of Mr. Raj Kumar Tandon vide Regd No.27401 in Addl. Book No.1 Vol. No.5038 on pages 83 to 84 on dt.26/11/2013 in the office of Sub Registrar-VII INA New Delhi has been Lost if found contact me 9711087183. 0040509919-1

I, KUNAL Grover S/o Sunil kumar R/o h.no-199 st.no-199 galino-3 nathupura-road burari Delhi-87have lost my original-certificate class-12th year-2016 Rollno-9135587 cbse-Delhi. 0040510053-7

PUBLIC NOTICE

My client Sh. Pyare Lal S/o Sh. Basanta Ram R/o A-41-42, Raghubir Nagar, New Delhi-27, do hereby disowned his Son Nand Kishore from their moveable & immoveable properties for all purposes. As he have become dishonest, disobedient with my client his recent acts have been shocking and have broken all relations from him. Any body who deals with him shall be doing so at their own risks & consequences. My client shall not be responsible for any of his acts, omissions & commission.

Naresh Sharma (Advocate)
Authority Building Distt. Center Janak Puri, New Delhi-58

PUBLIC NOTICE

My client Smt. Sarla Kumari @ Sarla Gupta W/o Late Shri Hans Raj Gupta R/o Property No. 97, Block A (New No. 313/18B), Inderlok, Delhi - 110035 has due to the mis-deeds of her elder son Mr. Mahender Kumar Gupta & his wife Mrs. Kavita Gupta has disowned and severed all relations with them & their family members and has also debarred & disinherited them from all her moveable and immoveable properties. My client shall not be responsible for their acts and deeds in whatsoever manner.

ANIL KR. THAKUR ADVOCATE
Ch. No.: 264, Western Wing, Tis Hazari Courts, Delhi

PUBLIC NOTICE

I, Dharam Dev, Advocate, Dev Law Associates notify that my client Smt. Sushma @ Sushma Sharma W/O Late Shri Subhash @ Subhash Sharma, R/O RZ-30, EXTN., Uttam Nagar, New Delhi-110059 is the owner in possession of property bearing no. 30, Area admeasuring 25 Sq. Yards out of Khasra No. 391, 337 and 348 situated in the area of Village Bindapur, Abadi known as Block Q, Uttam nagar, New Delhi-110059. She has lost her original property documents. My client has lodged Police Complaint with PS Bindapur, New Delhi.
General public is cautioned not to deal in respect of the above said property on the basis of lost documents and any such dealings shall be at their own risk and cost and my client shall not be responsible in any manner whatsoever.

Dharam Dev (Advocate)
Dev Law Associates
Ch. No. 301, N Wing, Tis Hazari Courts, Delhi

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public that my client Sh Jagdish Kumar aged about 65 years R/o 157, Pratap Nagar Delhi-110007 being aggrieved by the conduct and behaviour of his son Jatin Nagpal, aged 34 years and his daughter-in-law Anjali Chauhan aged 32 years has disowned and debarred them from all his immovable and movable properties with immediate effect and has reserved all relations with them. My client shall not be liable in any manner whatsoever for the deeds and acts of the said couple in past and future.

Satya Siddiqui & CO Advocates, D-164, Defence Colony, New Delhi-110024 Mob: 09811173763

PUBLIC NOTICE

Be it known to general public that my client Deep Chand S/o Sh. Sukh Nandan Ram, R/o G/118, DDA Flats Madangir, New Delhi-110062, has disowned his son Amit Kumar and his wife Neha From All of his moveable and immoveable properties because of his bad behavior towards my client. In future anybody dealing with them shall do so at his/her own risk, consequences and responsibility. My client will not be responsible for any act done by them with anyone.

Raj Kumar Advocate
Chamber No. 446
Saket District Courts,
New Delhi-110017

सार्वजनिक सूचना

मैं अपने मुवक्किलों श्री राम निवास पुत्र श्री बलबीर सिंह व श्रीमती शकुन्तला पत्नी श्री राम निवास दोनों निवासी 637, स्टेशन ब्लॉक, प्रेम नगर-1, किराड़ी सुलेमान नगर, दिल्ली- 110086 की ओर से घोषणा करता हूं कि मेरे मुवक्किलों ने अपने पुत्र राकेश तथा उसकी पत्नी सुषमा पुत्री स्व. श्री विनोद कुमार तथा उनके बच्चे अक्षरा तथा देविका (पुत्रियां), अनिकेश (पुत्र) के साथ अपने सभी सम्बन्ध समाप्त कर लिये हैं तथा उनको अपनी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है, क्योंकि इनका मेरे मुवक्किलों के प्रति चाल-चलन ठीक नहीं है। जो कोई भी व्यक्ति इनके साथ किसी भी प्रकार का सम्बन्ध रखता है, व लेन देन करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

कोई भी व्यक्ति मेरे मुवक्किलों के पुत्र राकेश तथा उसकी पत्नी सुषमा पुत्री स्व. श्री विनोद कुमार तथा उनके बच्चे अक्षरा तथा देविका (पुत्रियां) अनिकेश (पुत्र) के साथ दीवानी, फौजदारी या अन्य किसी प्रकार के मामले, लेन-देन आदि करता है तो वह अपनी लागत, जोखिम, परिणाम, जिम्मेदारी पर ही करेगा, उसमें मेरे मुवक्किल और उनके बाकी पुत्र-पुत्रियों व परिवार-रिश्तेदारों का कोई लेना देना नहीं होगा।

दिनेश सिंघल (अधिवक्ता)
डी-52, भू तल, फेस-2, नांगलोई, दिल्ली-41

PUBLIC NOTICE

Notified to the public that my client Mr. Radhey Shyam Sharma s/o Late Shri Laxmi Narayan Sharma R/o H. No. 407, Village Mundka, Delhi, his daughters Mrs. Madhu Gautam and Mrs. Shashi Sharma, his sons Pradeep Sharma and Bansidhar Sharma, have got no connection of whatsoever nature with his youngest son Shri Sandeep Sharma, and his wife Mrs. Saraswati Sharma, both of whom have been living separately. My aforesaid client has been living separately from all his family members at village Mundka, Delhi, whereas his sons have been living with their respective families separately, at C-4/4, Sector-15, Rohini, Delhi-110085. All the family members of my aforesaid client, and my client, have severed all their relations and connections from Mr. Sandeep Sharma and his wife Mrs. Saraswati Sharma. Any person dealing with them shall do so on their own risks and consequences and my client and his family will not be liable for any of their acts and actions at any point of time.

Sd/-
(R.D.Vats) Advocate
Ch. No. 668, Western Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-110054.

रिक्त स्थान

सुभाष चन्द्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन
प्रबन्ध नगर (मुबारकपुर) निकट आई.आई.एम. लखनऊ, लखनऊ
7525008600, 7525008604
www.scbihe.edu.in
आवश्यकता है
1. प्राचार्य
2. विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ता
D.EL.Ed. (BTC)
B.Sc. (Zoology, Botony, Physics, Chemistry, Mathmatics)
योग्यता:- (NCTE, U.G.C. एवं उ.प्र. शासन मानकानुसार)
योग्य अभ्यर्थी-15 सितम्बर 2019 तक आवेदन करें
प्रबन्धक

अदालती सूचना

PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE OF DEFENDANT
(Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure)
SUMMONS IN SUMMARY SUIT (ORDER XXXVII RULE 2) (TITLE)
IN THE COURT OF SH. DIG VINAY SINGH, ADJ-II (N/W)
ROOM No. 317, THIRD FLOOR, ROHINI COURT, DELHI
CASE No.: CS DJ/787/2018
PREETI GUPTA ....Plaintiff
Versus
ANIL AGGARWAL .... Defendant

To,
1. **SH. ANIL AGGARWAL FARM NO. 16, DAFFODIL LANE, SAT BARI, CHATTARPUR, DELHI-110074 ALSO AT: B-25/2, OKHLA INDUSTRIAL ESTATE, PHASE-II, DELHI-110020**

Whereas the **plaintiff** has instituted a suit against you for under order XXXVII of the Code of Civil Procedure 1908 for **Rs. 5,00,000/-** and interest you are hereby summoned to cause an appearance to be entered for you, within ten days from the service hereof in default where of the plaintiff will be entitled, after the expiration of the said period of ten days to obtain a decree for any sum not exceeding the sum of **Rs. 5,00,000/-** and the sum of Rs. (as per suit) for cost together with such interest, if any as the Court may order.
If you cause an appearance to be entered for you, the plaintiff will thereafter serve upon you a summons for judgment at the hearing of which you will be entitled to move the Court for leave to defend the suit.
Leave to defend may be obtained if you satisfy the Court by an affidavit or otherwise that there is a defence to the suit on the merits or that it is reasonable that you should be allowed to defend.
Given under my hand seal of this court on this **01.07.2019**

Sd/-
(ADDL. DISTRICT JUDGE)
(Seal) DELHI

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल नन्द सिंह एवं उसकी पत्नी श्रीमती निर्मला देवी दोनों निवासी एच-40ए, गली नं 8, [illegible] विहार, नई दिल्ली-110080 ने अपने पुत्र सुनील कुमार एवं उसकी पत्नी श्रीमती निशा को उनके दुर्व्यवहार व गलत आचरण के कारण अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर सम्बन्ध विच्छेद कर लिए हैं। इनके किसी प्रकार लेन-देन व व्यवहार के लिए मेरे मुवक्किल या उनके परिजन जिम्मेदार नहीं होंगे।

हेमलता शर्मा (अधिवक्ता)
चै.नं. 18, साकेत कोर्ट, दिल्ली-17

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल सूरजकांत झा, पुत्र लक्ष्मीकांत झा, निवासी म.नं. B-163, गली नं. 10, बी-ब्लॉक, स्वरूप विहार, कादीपुर, दिल्ली-110036 ने अपने छोटे पुत्र सुधीर कुमार झा व उसकी पत्नी अमृता झा के दुर्व्यवहार/अवज्ञाकारी होने तथा नियंत्रण से बाहर होने के कारण उन्हें अपनी सभी चल-अचल संपत्ति से बेदखल कर सभी सम्बन्ध विच्छेद कर दिए हैं। भविष्य में इनके कृत कार्यों के लिए मेरे मुवक्किल जिम्मेदार नहीं होंगे।

बिपिन कुमार झा (अधिवक्ता)
चै. नं. 1511, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली-85

PUBLIC NOTICE

This is informed to all in General Public that my clientess Santosh W/o Sheesh Chand & Suresh Chand S/o Shiv Charan both R/o. H.No. A-60, Tikri Khurd, Ganga Ram Colony, Narela, North West Delhi - 110040 have disowned to their son Akash & his wife Preeti from all moveable and immoveable properties of my clientess. Because they are out of control of my above named clientess and due to their immoral and disobedient behavior towards my clientess. If any one deals with them, for any kind of loan, debts/business, then my clientess will not be responsible for it.

JAVED AKHTAR-ADVOCATE
Seat No. 243, Gujarwal Block, Near Gate No.3, Tis Hazari Courts, Delhi

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concerned that my client **Salimuddin** son of Sadruddin, R/o 2920-21, Gali Jamun Wali, Sirkiwalan, Lal Darwaza, Hauz Qazi, Delhi-110006, has **disowned his daughter namely ADILA**, from his all moveable & immoveable properties and broken his relations with her as she is not obeying respecting to my client as well as his other family members. My client and his other family members will have no concern with any liabilities or any transactions pertaining to her in any manner at any time in future.

Sd/-
G.L. Goswami (Advocate)
3530, QUTAB ROAD, Delhi-06

PUBLIC NOTICE

My clients Sh. Mahabir Singh S/o Late Sh. [illegible] and Smt. Meena Kumari W/o Sh. Mahabir Singh both permanent R/o [illegible] ... have disowned and debarred their son [illegible] ... from their all moveable and immoveable properties due to their disrespectful behavior, disobedience ... My clients have also severed all their relations with them. If anybody deals with them in any manner, he/she shall do so at his/her own risks, costs and consequences. My clients shall not be liable or responsible for their same in any manner.

SANJEEV KUMAR ADVOCATE
Ch. No.C-14, C.L. Joseph Block, Tis Hazari Courts, Delhi -110054

PUBLIC NOTICE

THIS TO INFORM TO ALL THAT MY CLIENT SH. RAMPHAL S/O SH. MANGE RAM R/O H.NO. 240, VILLAGE DHIRPUR, DELHI-110009 AND HIS OTHER FAMILY MEMBERS HAVE SEVERED ALL THEIR RELATIONS WITH THE GRAND SON OF MY ABOVE SAID CLIENT NAMELY PUNEET S/O LATE MUKESH AND DISOWNED HIM FROM ALL THEIR MOVEABLE AND IMMOVEABLE PROPERTIES AS THE SAID PERSON IS NOT IN CONTROL OF MY CLIENT AND MY CLIENT SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR HIS ACTS AND DEEDS.

Sd/-
Z.S. YADAV (Advocate)
Ch.No.351, Western Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-54

बेदखली घोषणा पत्र मैं कान्ता निवासी 13/247 कल्याणपुरी दिल्ली अपने पुत्र बंटी को उसके गलत संगत में रहने के कारण अपनी चल अचल सम्पत्ति से बेदखल करती हूं अगर किसी को उससे कोई शिकायत है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री राजन ठुकराल पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश ठुकराल निवास बी-31, सर्वप्रिय विहार, नई दिल्ली की माता जी स्वर्गीय सत्या देवी पत्नी स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश ने दिनांक 09 जून 2016 को अपनी अंतिम अपंजीकृत वसीयत मेरे मुवक्किल, उसकी पत्नी, बच्चों व बहुओं के हक में की थी। मेरे मुवक्किल उक्त वसीयत को पंजीकृत कराना चाहते हैं, यदि किसी को भी इस पंजीकरण में कोई आपत्ति है तो अपनी आपत्ति सब-रजिस्ट्रार महरौली नई दिल्ली के सामने पेश करें।

KARAMVEER SINGH
Advocate
En. No. D/1712/06,
Chamber No. 469, Saket Court,
New Delhi-110017
Mob. 9250925395

सार्वजनिक सूचना

मेरी मुवक्किला हेमा गोस्वामी पत्नी अजय कुमार गोस्वामी, पुत्री राजकुमार निवासी 15-बी, ई ब्लाक तृतीय तल, ओम विहार विस्तार, उत्तमनगर, पश्चिमी दिल्ली ने अपने भाई उमेश गिरी से अपने समस्त संबंध विच्छेद कर लिये हैं। उसके किसी भी कृत्य व उसके किसी भी लेन देन के लिये मेरी मुवक्किला जिम्मेदार नहीं होगी।

भवदीय
योगेश शर्मा (एडवोकेट)

PUBLIC NOTICE

'It is notified for the information that our Original Property Documents i.e. Original Conveyance Deed, Original Allotment Letter, Original Share Certificate and other documents related to our Flat No. 53, Vandana Apartments, 42, I.P. Extension, Delhi-110092 have been actually lost. If found please return to Mrs. Kusum Vidya Ratna & Dr. Uday Aditya Gupta R/o Flat No. 53 Vandana Apartments, 42, I.P. Extension, Delhi-110092.'

Sd/-
R.K. Sharma (Advocate)
Ch. No. 13, Tehsil Building, Tis Hazari courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

To know all men that my clients Sh. Gurjit Singh Saathi S/o Late Sh. Mahinder Singh Saathi and his wife Smt. Sarabjeet Kaur both R/o 53/78, Punjabi Bagh West, New Delhi have disowned and debarred their son Sh. Prabhjot Singh Saathi @ Monty and his wife Smt. Silky Saathi @ Simran from their all moveable and immoveable properties and my clients have severed their all relations with them due to their disobedience and bad behaviour. That my clients shall not be responsible for any of their act or conduct and if any person deals with them then he shall deal at his own risk, cost and consequences.

Sd/-
Rajesh Kumar (Advocate)
Seat Behind Court Room No. 36
Tis Hazari Courts Delhi-54

PUBLIC NOTICE

I, Vivek Chib, S/o RS Chib, R/o K-80A, Ground Floor, Hauz Khas Enclave, Delhi-110016, hereby inform that correct name of my minor son is Adidev Singh Chib. My minor son was born on 30.05.2004 and he is currently studying in Modern School, Vasant Vihar, New Delhi. Inadvertently, his name is wrongly recorded as Adidev Chib in his school records. However, it is hereby informed that his correct name is Adidev Singh Chib, and the same is also recorded in his passport, The same may be amended accordingly.

Sd/-
Vivek Chib (Advocate)
K-80A, Hauz Khas Enclave, New Delhi-16

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I Pinto Bai W/o Samay Singh Meena residing at Flat-No.96, Baghban Apartment, Sector-28, Rohini, Delhi-110042 declare that name of mine has been wrongly written as Sunita Meena in my minor Son's Manan Kantya & Pranav Singh School Educational Documents. The actual name of mine is Pinto Bai respectively which may be amended accordingly.

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

The Indian EXPRESS Classifieds
EXPRESS EDUCATION
IAS GS World PCS
Committed To Excellence
Now in English Medium...
GENERAL STUDIES
Foundation Batch
Starts with
Environment & Ecology
02nd
September | 03:00 PM
With Weekly Current Affairs Classes
629, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
011- 27658013, 7042772062/63
Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service
Ph.23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज, माकन ने 'आप' पर निशाना साध कहा

अन्य राज्यों से दिल्ली में महंगी बिजली

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 29 अगस्त।

कांग्रेस दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हो गई है। वह जनता के बीच जाने के लिए मुद्दे की तलाश में जुट गई है। इसी क्रम में दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने गुरुवार को कांस्टीट्यूशन क्लब में प्रेसवार्ता कर बिजली के मुद्दे पर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के कई राज्यों की तुलना में दिल्ली में बिजली महंगी है। माकन का आरोप है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि पूरे देश में दिल्ली में बिजली की दरें सबसे कम हैं, जबकि आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में देश के 10 राज्यों की तुलना में यहां बिजली की दरें सबसे अधिक हैं। देश के अन्य बड़े शहरों में बिजली की दरें 6.41–7.51 रुपए प्रति यूनिट हैं, जबकि दिल्ली में 8.45 रुपए प्रति यूनिट हैं। इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठे आंकड़े पेश कर दिल्लीवासियों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। पर दिल्ली की जनता सब समझती है। माकन ने कहा कि बीते पांच साल में बिजली विभाग पर करीब 9999.25 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ा है। इस दौरान दिल्ली में विद्युत क्षेत्र की सच्चाई के नाम पर 16 पेज की रिपोर्ट जारी की।

दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय माकन ने कहा, आंकड़ों पर नजर डालें तो दिल्ली में देश के 10 राज्यों की तुलना में बिजली की दरें सबसे अधिक हैं

निजी कंपनियों को पहुंचाया फायदा

माकन ने आरोप लगाया है कि सबसिडी के नाम पर दिल्ली सरकार ने निजी बिजली कंपनियों को 8500 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया है। यह वही बिजली कंपनियां हैं, जिनका कोई सीएजी ऑडिट भी नहीं होता और चुनाव पूर्व इन्हीं कंपनियों पर तत्कालीन सरकार पर फायदा पहुंचाने का आरोप केजरीवाल लगाते थे। उन्होंने सूचना के अधिकार कानून के तहत जवाब मांगा है।

माकन को भाजपा ने बनाया अपना प्रवक्ता : 'आप'

सबसे सस्ती बिजली के मामले में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन के बयान पर आप पार्टी ने कांग्रेस व भाजपा का घेरा है। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि इस मामले में भाजपा ने अजय माकन को अपने प्रवक्ता के तौर पर इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि जहां देश में आम आदमी पार्टी सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध करा रही है। वहीं, कांग्रेस ने इस मामले में प्रेसवार्ता करके बे–सिर–पैर के सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी बातें कहीं गईं वे सभी निराधार हैं।

संत रविदास मंदिर मामले पर मंत्री का डीडीए को पत्र

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 29 अगस्त।

दिल्ली के समाज कल्याण और अनुसूचित जाति–जनजाति मामले के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष तरूण कपूर से संत रविदास परिसर की कब्जे में ली गई भूमि का दोबारा आकलन कर उसे वन विभाग को सौंपने को कहा है। इस बाबत लिखे पत्र में गौतम ने डीडीए से कहा है कि दिल्ली विधानसभा प्रस्ताव पारित कर इसके पुनर्निर्माण का संकल्प ले चुकी है। लिहाजा डीडीए वन विभाग से आबंटित भूमि को मंदिर के नाम करने की पहल करे ताकि दिल्ली सरकार केंद्र को मंदिर निर्माण का प्रस्ताव भेज सके। गौतम ने डीडीए को लिखे पत्र में इस मसले को प्रथम प्राथमिकता के आधार पर हल करने की अपील भी की है। गौतम के मुताबिक इस भूमि का मालिक डीडीए है। फिलहाल इसे वन क्षेत्र का हिस्सा बताया गया है। यह भूमि दोबारा तभी मिल सकती है जब डीडीए इसे वन क्षेत्र की भूमि से अलग कराए। इसके बाद वह भूमि वन क्षेत्र से बाहर हो जाएगी और इस पर भव्य मंदिर बनाया जा सकेगा।

दिल्ली सरकार ने डीडीए को यह पत्र ऐसे समय में लिखा है जब मंदिर के संतों की समिति लोंगों के साथ 30 अगस्त से जंतर मंतर पर अनिश्चित कालीन अनशन करने जा रही है। उसकी प्रमुख मांगों में तुगलकाबाद स्थित संत रविदास के मंदिर स्थल व आश्रम को तुरंत उसके मूलस्थान पर पुनर्स्थापित करना शामिल है।

परिवर्तन यात्रा से भाजपा ने शुरू की चुनाव की तैयारियां

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 29 अगस्त।

विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दिल्ली में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को बदलने के लिए यह पहल की गई है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि यह यात्रा दिल्ली की सभी 70 विधानसभाओं से निकाली जाएगी। इस रैली में भाजपा ने पांच साल के लिए कमल निशान का नारा दिया है। इस बड़ी पहल को लेकर पार्टी में यह सुगबुगाहट भी सामने आई है कि 31 अगस्त को कच्ची कॉलोनियों के लिए एक बड़ी जनसभा की जानी थी लेकिन एकाएक उसे रद्द कर दिया था और इसके बाद प्रदेश भाजपा ने यह पहल की है। इससे एक बार फिर से चुनाव से ठीक पहले पार्टी का चुनावी घमासान भी सामने आया है। इस वजह से विपक्ष भी भाजपा को आड़े हाथों ले रहा है।

'अपना घर संभालें आप नेता'

दिल्ली भाजपा में मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर उठे सवाल पर बवाल खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी (आप) के बाद अब गुरुवार को भाजपा पूर्व अध्यक्ष विजय गोयल ने कहा कि 'आप' अपना घर संभालें। चुनाव में भाजपा एकजुट होकर अपने प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में भाजपा पर टिप्पणी करने से पहले 'आप' अपनी पार्टी की हालत देखे कि वह कितने फाड़ हो चुकी है।

अब मेट्रो में ले जा सकेंगे 25 किलो तक का सामान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 अगस्त।

दिल्ली मेट्रो में अब यात्री और भारी सामान ले जा सकेंगे क्योंकि अब अधिकतम वजन ले जाने की सीमा 15 किलोग्राम से बढ़ाकर 25 किलोग्राम कर दी गई है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से 27 अगस्त को अधिसूचित नियम के मुताबिक मेट्रो में यात्रियों को 25 किग्रा वजन तक का केवल एक बैग ले जाने की अनुमति होगी, लेकिन यह गठरी नहीं होनी चाहिए। सरकार ने इसके लिए मेट्रो रेलवे नियमावली–2014 में बदलाव किया है।

अधिसूचना के मुताबिक, मेट्रो रेलवे प्रशासन की मंजूरी के बिना कोई भी व्यक्ति मेट्रो ट्रेन में यात्रा के दौरान एक से अधिक बैग नहीं ले जा सकता। इस बैग का आकार 80 सेंटीमीटर गुना 50 सेंटीमीटर गुना 30 सेंटीमीटर के आकार और 25 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। हवाई अड्डों को जोड़ने वाली मेट्रो में मंत्रालय ने अधिकतम 32 किलोग्राम वजन ले जाने की अनुमति दी है। एअरपोर्ट मेट्रो ट्रेन में भी गठरी के रूप में सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

डीयू का दाखिला पोर्टल आज खुलेगा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 29 अगस्त।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) ने शुक्रवार को दाखिला पोर्टल खोलने का निर्णय किया है। विश्वविद्यालय की ओर से दी सूचना के मुताबिक गुरुवार को सीट उपलब्ध होने पर पहली से आठवीं कटऑफ में आने वाले सभी विद्यार्थियों को दाखिला मिल सकता है। इसके अलावा इस दौरान आठवीं कटऑफ के समय शिकायत निवारण समिति तक पहुंचे मामलों को निपटाया जाएगा।

फ्रेश एंड हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड
[illegible]
कॉनकॉर CONCOR

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

[illegible]

निविदा सं.	FHEL/EP/RAI CHILLER/DEEP FREEZER/2019
कार्य का नाम	[illegible]
अनुमानित लागत	855.28 [illegible]
पूरा करने की अवधि	12 माह
धरोहर राशि जमा	8,77,040 रु. (ई-भुगतान के माध्यम से)
निविदा दस्तावेज का मूल्य [illegible]	1,000 रु. (ई–भुगतान के माध्यम से सभी करों और ड्यूटी सहित)
निविदा प्रक्रमण शुल्क [illegible]	5,310 रु. (ई–भुगतान के माध्यम से सभी करों और ड्यूटी सहित)
निविदा की बिक्री की तिथि (ऑनलाइन)	26.08.2019 को (11:00 बजे) से 21.09.2019 (17:00 बजे तक)
निविदा जमा करने की तिथि और समय	23.09.2019 को 17.00 बजे तक
निविदा खुलने की तिथि और समय	25.09.2019 को 11.30 बजे

[illegible] www.concorindia.com [illegible] www.tenderwizard.com/FHEL [illegible] www.concorindia.com, www.tenderwizard.com/FHEL [illegible]

फोन नं.: 011–41673093–96

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

जन स्वास्थ्य विभाग

पीए सिस्टम के साथ ऑटो किराये पर लेने हेतु सूचना

[illegible]

1. ऑटो परिवहन विभाग में पंजीकृत होना चाहिए।
2. ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस होना चाहिए।
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible]
9. [illegible] 06.09.2019 [illegible] 3.00 [illegible]

1. [illegible] नई दिल्ली–18
2. [illegible] नई दिल्ली–43
3. [illegible] नई दिल्ली–24
4. [illegible] नई दिल्ली–16

[illegible]

Ro No.47/DPI/S/19-20

एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
[illegible]
ई-मेल: co.secy@nbccindia.com वेबसाइट: www.nbccindia.com

59वीं वार्षिक आम बैठक, बुक क्लोजर अवधि और रिमोट ई-वोटिंग के बारे में जानकारी की सूचना

[illegible]

कृते एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
हस्ता/-
[illegible]
कम्पनी सचिव
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29 अगस्त, 2019

यूको बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
UCO BANK
(A Govt. of India Undertaking)

आंचलिक कार्यालय, वसूली विभाग, पहला तल, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 फोन: 011-49498269, 49498261

अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना। जनता को सामान्य तथा कर्जदारों व गारंटरों को विशेष रूप से एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि प्रतिभूतित ऋणदाता ने नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति रेहन/प्रभारित, जिनका कब्जा यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, प्रतिभूतित ऋणदाता देय राशि की वसूली के लिए 17.09.2019 को "जैसी है जहां है", "जैसी है जो कुछ है" व "वहाँ जो कुछ भी है" पर बिक्री करेगा और आरक्षित मूल्य व ईएमडी निम्न अनुसार है: बोली प्रस्तुतिकरण की अंतिम तिथि 16.09.2019 को अपराह्न 05:00 बजे तक है। ई-नीलामी की तिथि एवं समय: 17 सितम्बर, 2019 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 02:00 बजे के मध्य तक प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित।

अचल सम्पत्ति का विवरण

शाखा का नाम, आईएफएससी कोड एवं खाता नम्बर	ऋणधारक एवं गारण्टर का नाम	बकाया राशि (रू. लाख में)	सम्पत्ति के स्वामी का नाम	कब्जा का प्रकार	पहचान की गई सम्पत्ति	[illegible]	[illegible]	[illegible]
नोएडा आईएफएससी: UCBA0000951 A/C NO.: 09511032220001 फोन: 0120-2523220 ई-मेल: newokh@ucobank.co.in	राज कुमार वर्मा और प्रेम लता वर्मा (09510610001349)	रू.10.21 लाख जमा उस पर आगामी ब्याज एवं अन्य प्रभार इत्यादि	प्रेम लता वर्मा पत्नी राजकुमार वर्मा	भौतिक कब्जा	आवासीय फ्लैट-III एफ/141, प्रथम तल, सेक्टर-3, वैशाली, गाजियाबाद। माप 343 वर्गफुट सुपर एरिया	रू. 9.50 लाख रू. 0.95 लाख	12-13/09/2019 शाखा प्रमुख श्री ललित प्रकाश मोबाइल: 8872426523	जानकारी नहीं

नियम एवं शर्तें:
1. प्रतिभूतित परिसंपत्ति आरक्षित मूल्य से नीचे नहीं बेची जाएगी।
2. नीलामी बिक्री ऑनलाईन "ई-नीलामी/बोलीकरण" के माध्यम से वेबसाईट: https://ucobank.auctiontiger.net पर उपरोक्त सम्पत्ति (आईएमटी) में ऊपर वर्णित समय के अनुसार 17.09.2019 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार सहित की जाएगी।
3. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान व जानकारी के अनुसार किसी सम्पत्ति पर कोई ऋण भार नहीं है, यद्यपि प्रत्याशित बोलीदाता अपनी बोली के प्रस्तुतिकरण से पूर्व नीलामी पर रखी सम्पत्ति के ऋणभार, शीर्षक और सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावे/अधिकार/देय के सम्बन्ध में वह अपनी स्वतंत्र जाँच कर सकता है। ई-नीलामी विज्ञापन का गठन नहीं करता है और बैंक के किसी प्रतिबद्धता या किसी प्रतिनिधित्व के गठन पर विचार करने योग्य नहीं समझता है। सम्पत्ति की बिक्री सभी वर्तमान एवं भविष्य के ऋणभार के साथ होगी। चाहे वे बैंक को ज्ञात या अज्ञात हो। प्राधिकृत अधिकारी /प्रतिभूतित ऋणदाता किसी भी प्रकार से किसी अन्य पार्टी के दावे/अधिकार/देय के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
4. यह बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी कि वह बोली प्रस्तुतिकरण से पूर्व परिसम्पत्ति व विनिर्देशों के बारे में स्वयं को संतुष्ट और जाँच करें। नीलामी में रखी सम्पत्ति के निरीक्षण की अनुमति प्रत्येक सम्पत्ति विवरण में वर्णित अनुसार स्थान पर इच्छुक बोलीदाता को प्रदान की जाएगी।
5. उपरोक्त सम्पत्ति के लिए धरोहर जमा राशि (ईएमडी) प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे आर्डर के माध्यम से या कॉलम नं.2 में वर्णित अनुसार खाता नं. में जमा करने के लिए आरटीजीएस/एनईएफटी फंड ट्रांसफर के माध्यम से नई दिल्ली में देय 16.09.2019 को अपराह्न 05:00 बजे से पूर्व जमा करनी होगी। कृपया ध्यान दें कि चैक ईएमडी राशि के रूप में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सम्पर्क नम्बर: श्री राम कुमार, मोबाइल नं. 8000023297 और श्री नीतिश झा (मोबाइल) 7982880393 ई-मेल आई डी: delhi@auctiontiger.net / support@auctiontiger.net और सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी जानकारी के लिए श्री ललित प्रकाश, मोबाइल: 8872426523.
6. बिक्री की निबंधन एवं शर्तें विवरण के लिए कृपया https://ucobank.auctiontiger.net पर व्यवस्थित लिंक का संदर्भ लें।

यह प्रकाशन उपरोक्त ऋणधारकों /गारण्टरों/मोर्टगेजरों के लिए 15 दिनों की सूचना है।

दिनांक: 30.08.2019 स्थान: नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक, अंचल कार्यालय, नई दिल्ली

मामूली कहासुनी के बाद युवक को गोली मारी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 29 अगस्त।

- आरोपी ने अपने भाई और दोस्तों के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम
- तिगड़ी थाना पुलिस को बत्रा अस्पताल से बीती देर रात को मिली थी सूचना

तिगड़ी थाना क्षेत्र में एक युवक की चाकू से हमला कर और दो गोली मार कर हत्या कर दी गई। वारदात की जानकारी पुलिस को बुधवार रात करीब 11 बजे बत्रा अस्पताल से मिली थी। अस्पताल पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि तिगड़ी, जेजे कैंप निवासी रोहित (24) को खून से लथपथ हालत में उसके परिजन लेकर आए थे, लेकिन कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया। परिजनों से पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि बुधवार को दिन में इलाके में ही रहने वाले आकाश नामक एक युवक से उसकी किसी बात पर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद गुस्साए आरोपी युवक ने अपने भाई और दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित परिजनों की शिकायत पर आरोपी आकाश, उसका भाई अनु और कपिल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश कर रही है।

जिला पुलिस के अतिरिक्त उपायुक्त परमिंदर सिंह ने बताया कि बुधवार देर रात पुलिस को सूचना मिली थी कि एक शख्स की गोली मार कर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस को पता चला कि परिजन घायल को अस्पताल लेकर गए हैं। वहां पहुंचने पर पुलिस टीम को पता चला कि रोहित अपने परिवार के साथ डी-266 जेजे कैंप, तिगड़ी में रहता था।

परिजनों ने बताया कि दिन में आकाश से उसकी मामूली कहासुनी के बाद लड़ाई हो गई थी, लेकिन उस वक्त मामला शांत हो गया था। रात के समय जब वह अपने घर लौट रहा था, तभी बीच रास्ते में आकाश ने उसे रोक लिया। इसी दौरान उसका भाई अनु और दोस्त कपिल भी आ गए। पहले तो सभी ने उस पर चाकू से करीब आठ बार वार किया, जिसके बाद पीड़ित को आरोपियों ने दो गोली मारीं।

गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। इसी बीच किसी ने पीड़ित के परिजनों को इसकी जानकारी दी। परिजन मौके पर पहुंचे और घायल अवस्था में रोहित को पास के बत्रा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान रोहित की मृत्यु हो गई।

जेएनयू : एबीवीपी के तीन काउंसिलर निर्विरोध निर्वाचित

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 29 अगस्त।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के तीन काउंसिलर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ये तीनों काउंसिलर स्कूल ऑफ संस्कृत एंड इंडिक स्टडीज (एसएसआइएस) से चुने गए हैं।

जेएनयू में एबीवीपी मुख्य चुनाव संयोजक ललित पांडेय ने बताया कि पिछले साल एबीवीपी के कुल 9 काउंसिलर जीत कर आए थे। इस बार नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही एसएसआइएस से तीन काउंसिलर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। स्कूल में काउंसिलर के तीन पद सृजित हैं जिसमें एबीवीपी के शुभम शर्मा, हरिप्रिया बेहरा और एम कृष्णा राव निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अभी 6 सितंबर को काउंसिलर के अन्य पदों के लिए भी मतदान होना है, जिसमें एबीवीपी बेहतर प्रदर्शन करेगी। पांडेय ने उम्मीद जताई एबीवीपी उन स्कूलों में भी काउंसिलर पद जीत रही है जो वाम छात्र संगठनों के प्रमुख जनाधार वाले क्षेत्र रहे हैं।

अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राघवेंद्र का पर्चा हो सकता है रद्द

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 29 अगस्त।

- छात्र संघ चुनाव समिति की ओर से इस संबंध में कोई सूचना जारी नहीं की गई

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) छात्र संघ अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राघवेंद्र मिश्रा पर ये आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से उनके नामांकन को रद्द करने के लिए चुनाव समिति को कहा है। हालांकि छात्र संघ चुनाव समिति की ओर से इस संबंध में कोई सूचना जारी नहीं की गई है।

शिकायत निवारण कोष (जीआरसी) के प्रमुख प्रोफेसर उमेश अशोक कदम की ओर से चुनाव समिति के प्रमुख शशांक पटेल को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि हमें 29 अगस्त को राघवेंद्र मिश्रा की उम्मीदवारी को रद्द करने के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है। इस संबंध में जांच के दौरान जीआरसी को राघवेंद्र पर हुई अनुशासनात्मक कार्रवाई के बारे में पता चला है। जेएनयू के चीफ प्रॉक्टर की ओर से प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रॉक्टोरियल जांच समिति की ओर से 7 अगस्त को राघवेंद्र पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था जिसे 10 दिन के अंदर जमा करके उसका सबूत चीफ प्रॉक्टर दफ्तर में भेजना था। इस मामले में जीआरसी ने एकमत से राघवेंद्र मिश्रा की उम्मीदवारी को रद्द करने का निर्णय लिया है। जीआरसी की ओर से चुनाव समिति को इस निर्णय को बिना किसी बदलाव के मानने के लिए कहा गया है। इस पत्र की प्रति राघवेंद्र मिश्रा, शिकायतकर्ता और साबरमती छात्रावास के वरिष्ठ वार्डन को भी भेजा है।

राघवेंद्र मिश्रा ने कहा कि जेएनयू प्रशासन की ओर से मुझे से नोटिस भेजा गया है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि मैं प्रोफेसर उमेश कदम से पूछना चाहता हूं कि आप मुझे से इतना डर क्यों रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रवीण थल्लापल्ली पर मुझे से ज्यादा जुर्माना हुआ था और उन्हें छात्रावास से भी हटाया गया था। इसी तरह एनएसयूआइ की ओर से चुनाव लड़े विकास यादव पर भी जुर्माना हुआ था लेकिन इन दोनों को चुनाव लड़ने दिया गया। उन्होंने जेएनयू प्रशासन पर आरोप लगाया कि वह एक गरीब के बेटे को चुनाव में लड़ने देना नहीं चाहता है।

युवक की गोली मार कर हत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 29 अगस्त।

बदरपुर थाना क्षेत्र में बुधवार रात करीब दस बजे अपने घर वापस लौट रहे अविनाश को बदमाशों ने पीछे से गोली मार दी। गोली कंधे में काफी अंदर चली गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे एम्स ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवा दिया है। शुरुआती छानबीन के आधार पर पुलिस लूटपाट का मामला मान कर चल रही है। पर पुलिस इस मामले में सभी दृष्टिकोण से छानबीन कर रही है।

जानकारी के मुताबिक अविनाश अपने परिवार के साथ बदरपुर में रहता था। इलाके में ही काम करता था। बुधवार रात को वह अपने घर वापस लौट रहा था। तभी कुछ बदमाशों ने उसे घेर लिया और उससे लूटपाट करने लगे। विरोध करने पर बदमाशों ने उसे पीछे से गोली मार दी। गोली उसके कंधे में लगी। उसके बाद बदमाश उससे पैसे व मोबाइल लूट लेकर ले गए। हालांकि अभी यह पता नहीं चल सका है कि लूट की रकम कितनी थी। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त उसके पास दस से 20 हजार रुपए थे लेकिन पुलिस का कहना है कि आरोपियों के पकड़े जाने के बाद ही सही कारणों का पता चल सकेगा।

नशा मुक्ति केंद्र में शख्स की चाकू घोंप कर हत्या

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 29 अगस्त।

कोटला मुबारकपुर थाना क्षेत्र में एक शख्स की चाकू से वारकर हत्या कर दी गई। आरोपी ने वारदात को नशा मुक्ति केंद्र में अंजाम दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवा दिया है। मृतक की पहचान अलीगंज, कोटला मुबारकपुर निवासी मनोज (32) के रूप में हुई है। शुरुआती छानबीन में पुलिस को पता चला है कि आरोपी को शक था कि मनोज ने उसके चाचा के पानी के मोटर को चुराया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी साहिर की तलाश कर रहे है।

दक्षिण जिला पुलिस के अतिरिक्त उपायुक्त परमिंदर सिंह के मुताबिक, बुधवार रात करीब 8 बजकर 19 मिनट पर सूचना मिली कि नशा मुक्ति केंद्र परिसर में झगड़ा होने के बाद एक युवक को चाकू मार दिया गया है। घायल को परिवार के लोग एम्स ट्रामा सेंटर लेकर गए हैं, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। एम्स ट्रामा सेंटर पहुंचने पर पुलिस को पता चला कि मनोज अपने परिवार के साथ इलाके में रहता था। वह शादीशुदा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवा दिया और हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। मनोज सफदरजंग अस्पताल में चालक का काम करता था। पुलिस ने जांच में पता चला कि मनोज निजामुद्दीन में रहने वाले शाहिर उर्फ शाहिन ने चाकू से ताबड़तोड़ वार किए थे। आरोपी भी इस केंद्र में दवा लेता था और वहीं पर सोता था। दरअसल, मनोज के चाचा सोनू के घर से पानी की मोटर चोरी हो गई थी। सोनू ने भतीजे को बताया कि इस चोरी में साहिर का हाथ है। यह पता चलने पर मनोज दोपहर को केंद्र पर बात करने के लिए गया था। इस मुद्दे को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ था।

वहां मौजूद लोगों ने दोनों को समझा-बुझाकर मामला शांत करवा दिया था। पर शाम करीब साढ़े सात बजे एक बार फिर इन दोनों के बीच कहासुनी होने लगी। इसी दौरान साहिर ने मनोज पर चाकू से वारकर दिए। हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

'विदेश में उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी सरकार'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 29 अगस्त।

दिल्ली के सामाजिक कल्याण व अनुसूचित जाति-जनजाति मामले के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि दिल्ली सरकार दलित मेधावी विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी। विदेशी विश्वविद्यालयों में एम फिल, पीएचडी, एलएलएम, एमटेक और अन्य उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले दिल्ली के छात्र इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे।

आवेदक को दिल्ली का निवासी होने चाहिए और उनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकार दो साल के पाठ्यक्रम के लिए 10 लाख रुपए और चार साल के पाठ्यक्रम के लिए 20 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

पूर्व कोयला सचिव को बरी किया

छत्तीसगढ़ में एक कोयला ब्लाक के आबंटन से जुड़े मामले में सीबीआइ आरोपों को साबित करने में नाकाम रही और अदालत ने गुरुवार को पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता व दिल्ली की एक कंपनी को बरी कर दिया। विशेष जज भरत पराशर ने कहा कि सीबीआइ आरोपी गुप्ता और दिल्ली स्थित पुष्प स्टील्स एंड माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ विभिन्न आरोपों को साबित करने में बुरी तरह से नाकाम रही। (जनसत्ता संवाददाता)

खबरों में शहर

'बाली उमर' पर परिचर्चा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 29 अगस्त

उपन्यास बाली उमर के युवा कथाकार भगवंत अनमोल का पाठकों के साथ संवाद का आयोजन राजपाल एंड संस की ओर से किया गया। हंसराज कॉलेज में हुए कार्यक्रम का संचालन मनीष जी ने किया। हंसराज कॉलेज के सहायक प्राध्यापक मनीष, हिंदी विभाग के शोधार्थी जावेद जुकरैत के अलावा आसिफ खान व तेज प्रताप तेजस्वी ने उपन्यास पर अपनी बात कही। जावेद जुकरैत ने कहा कि उपन्यास में गांवों की शिक्षा और जीवन की सही तस्वीर झलकती है। तेज प्रताप तेजस्वी ने उपन्यास के अंशों को उद्धृत करते हुए प्रेम के विभिन्न स्तरों एवं स्वरूपों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सच्चा प्रेम गंगा की पानी की तरह निर्मल होता है और किसी पाबंदियों में नहीं रहता। भगवंत अनमोल ने उनके सवालों का जवाब देते हुए अपने उपन्यास के अंतर्निहित तथ्यों, कथ्यों एवं भावनाओं का अर्थपूर्ण तरीके से उल्लेख किया। यह उपन्यास बच्चों के माध्यम से अपने समय की राजनीति और जातीय-क्षेत्रीय पहचानों के संघर्ष की पहचान करता है। धन्यवाद ज्ञापन मीरा जौहरी ने किया।

डूटा चुनाव में पड़े 82 फीसद से अधिक मत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 29 अगस्त।

दिल्ली विश्वविद्यालय पर गुरुवार को शिक्षक संघ (डूटा) चुनाव के रंग चढ़ा हुआ था। सुबह दस बजे शुरू हुआ मतदान शाम पांच बजे संपन्न हुआ। शिक्षकों में सुबह से शाम तक उत्साह नजर आया। बड़ी संख्या में शिक्षक मतदान के लिए परिसर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक 82.36 फीसद मतदान हुआ। किसी और शिक्षक संघ का प्रत्याशी अध्यक्ष पद पर नहीं होने से सीधी टक्कर एनडीटीएफ और डीटीएफ के बीच रही है। शाम छह बजे के बाद मतगणना काम शुरू हुआ।

प्लास्टिक के ज्यादा उपयोग से होता है कैंसर : गोयल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 29 अगस्त।

प्लास्टिक के ज्यादा उपयोग से कैंसर का खतरा है। बच्चों पर इसका खास असर पड़ता है क्योंकि चॉकलेट, दूध की थैली, सब्जी वाले पॉलिथीन आदि में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाली पॉलिथीन होती है जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। इसे देखते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने 50 माइक्रोन से कम मोटाई के पॉलिथीन को प्रतिबंधित कर दिया है। इसका उपयोग कम से कम करने के आदेश दिए हैं। यह बातें भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश के सहप्रभारी डॉ अनिल गोयल ने कहीं। वे पूर्वी दिल्ली में प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम के तहत एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। कैलाश नगर स्थित सर्वोदय बाल विद्यालय में प्लास्टिक बंद को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें बच्चों ने रैली निकाली।

डॉ गोयल ने कहा कि आज प्लास्टिक में कई तरह के घातक रसायन उपस्थित होते हैं जो पानी के जरिए, प्रदूषित वायु से, खाद्य पदार्थ में प्लास्टिक के उपयोग से धीरे धीरे आपके शरीर में जाते हैं।

इससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है और फिर कैंसर जैसे बीमारी पैदा होने लगती है। गोयल हॉस्पिटल एंड यूरोलॉजी सेंटर के डॉ गोयल ने कहा कि सूखा और गीला कचरा अलग रखें जिससे सूखे कचरे को फिर से उपयोग करने लायक बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि छात्र देश के भविष्य हैं इसलिए उन्हें भी प्रकृति को बचाने के साथ ही सतत पोषणीय विकास में भागीदारी जरूरी है।

प्राचार्य सुधीर सांडिल्य ने कहा कि जान बचाने का काम डॉक्टर करते हैं। एक दिन मैंने देखा कि गाय के पेट में प्लास्टिक जाने से उनकी सांस रुकने लगी। गाय का ऑपिरेशन करके पेट से प्लास्टिक निकाला गया। जिसके बाद हमने प्लास्टिक का उपयोग न करने का प्रण लिया। हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए प्लास्टिक पर प्रतिबंध जरूरी है।

'फिट इंडिया' अभियान के लिए दौड़े शिक्षक और विद्यार्थी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 29 अगस्त।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से गुरुवार को शुरू किए गए 'फिट इंडिया' अभियान में दिल्ली के विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों, अधिकारियों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस मौके पर सभी ने खुद को स्वस्थ रखने के लिए निरंतर प्रयास करने की शपथ ली।

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की ओर से 'फिट इंडिया' अभियान के सीधे प्रसारण को देखने का इंतजाम वाइसरीगल लॉज के सम्मेलन केंद्र में था। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर योगेश त्यागी, विश्वविद्यालय के अधिकारी, शिक्षक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। डीयू से संबद्ध कॉलेजों ने भी इस अभियान को अपने परिसरों में आयोजित किया। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज ने सुबह नौ बजे से कार्यक्रम की शुरुआत की।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर ने विश्वविद्यालय में आयोजित वॉकाथॉन को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को जामिया के विद्यार्थियों और स्टाफ ने देखा। कुलपति की अगुवाई में जामिया स्कूलों और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, एनएसएस स्वयंसेवक, एनसीसी कैडेट्स, शिक्षकों, अधिकारियों और गैर शिक्षक स्टाफ ने वॉकाथान के तहत विश्वविद्यालय के गेट नंबर सात से डॉक्टर एम अंसारी सभागार तक मार्च किया। इस मौके पर विद्यार्थी राष्ट्रीय ध्वज, बैनर और प्लेकार्ड लिए हुए थे, जिन पर फिट इंडिया अभियान के संबंध में नारे लिखे थे। साथ ही फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली के बारे में नारे लगाए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) में प्रति कुलपति प्रोफेसर रविंद्र कंहेरे के नेतृत्व में मैदान गढ़ी परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी लोगों को प्रतिदिन दस हजार कदम चलने के लिए प्रेरित किया गया। इग्नू के देश भर में मौजूद अध्ययन केंद्रों पर फिट इंडिया अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए।

150 से अधिक रेलगाड़ियां रहेंगी प्रभावित

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 29 अगस्त।

उत्तर रेलवे के बल्लभगढ़ स्टेशन पर नॉन-इंटरलॉकिंग के कार्य के चलते डेढ़ सौ से अधिक रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर रहेगा। यह गतिरोध 30 अगस्त से 11 सितंबर तक रहेगा। कुछ गाड़ियां दो दिन तो कुछ तीन से चार दिन तक रद्द रहेंगी। करीब दो दर्जन गाड़ियों को समय व स्टेशन में बदलाव के साथ चलाया जाएगा। इसके साथ ही करीब डेढ़ दर्जन गाड़ियों को बदले गए रास्ते से चलाया जाएगा। कुछ को आंशिक तौर पर रद्द किया गया है।

बल्लभगढ़ स्टेशन पर नॉन-इंटरलॉकिंग काम के कारण रेलगाड़ियों का अस्थायी रूप से निरस्तीकरण या आंशिक निरस्तीकरण या मार्ग परिवर्तन व ठहराव में बदलाव किया गया है। उत्तर रेलवे के ढांचागत विकास व संरचना को बेहतर बनाने के मकसद से तुगलकाबाद-पलवल के बीच चौथी रेल लाइन बिछाने के लिए बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन पर नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा।

आज के कार्यक्रम

सभा संगोष्ठी

जनवादी लेखक संघ, दलित लेखक संघ, जनसंस्कृति मंच : प्रतिशील आंदोलन की विरासत और हमारा समय पर विचार गोष्ठी, गुरु रविदास सभागार, दोपहर साढ़े तीन बजे, एफ-19, यूनाइटेड बिल्डिंग, कनॉट प्लेस।

इंडिया हैबिटेट सेंटर : मनोविज्ञान पर चर्चा, कासुरिना सभागार, लोधी रोड, शाम सात बजे।

इंडिया एक्सपो सेंटर : 'वाटर एक्सपो-2019' में जल प्रबंधन से जुड़ी मशीनों पर तीन दिवसीय प्रदर्शनी और पानी पर चर्चा का आयोजन, हाल नंबर 9, इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट, ग्रेटर नोएडा सुबह दस बजे से।

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : अफ्रीका पर लिखी पुस्तक पर चर्चा, सभागार-1, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 40-मैक्समूलर मार्ग, शाम साढ़े छह बजे।

प्रदर्शनी

इंडिया इंटरनेशनल सेंटर : पेरु में कपड़े की बुनाई परंपरा पर कला प्रदर्शनी, आर्ट गैलरी, कमला देवी ब्लॉक, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, मैक्समूलर मार्ग, सुबह 11 बजे से, एक सितंबर तक।

विविध

इंडिया हैबिटेट सेंटर : फिल्म, स्टेन सभागार, लोधी रोड, शाम सात बजे।

जेवर हवाई अड्डा

नोएडा-ग्रेटर नोएडा की हरियाणा से दूरी होगी कम

यमुना पर दो नए पुल करेंगे राह आसान

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 29 अगस्त।

जेवर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने का फायदा दिल्ली, नोएडा समेत करीब 150 किलोमीटर के दायरे में आने वाले एक दर्जन शहरों को होगा। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई अन्य जिलों के लिए भी जेवर दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के विकल्प के रूप में उभरेगा, लेकिन फिलहाल दिल्ली के आइजीआइ हवाई अड्डे को उत्तर प्रदेश के जेवर हवाई अड्डे से सीधा जोड़ने के लिए नया कॉरिडोर विकसित करने पर काम किया जा रहा है। ताकि दिल्ली के जाम से बचकर जेवर हवाई अड्डे को अधिक से अधिक शहरों से सीधा जोड़ा जा सके। इसके लिए नोएडा के सेक्टर-150 और सेक्टर-168 में से यमुना नदी पर हरियाणा को जोड़ने वाले नए पुल बनाने होंगे। करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से दोनों पुल बन जाने पर हरियाणा और से नोएडा-ग्रेटर नोएडा की दूरी कुछ मिनटों की रह जाएगी।

दिल्ली के जाम से बचने के लिए फरीदाबाद, गुरुग्राम के रास्ते नोएडा-ग्रेटर नोएडा में सीधा प्रवेश की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है। इसके लिए दो प्रस्तावित पुल सेक्टर-150 व सेक्टर-168 में बनाने होंगे। नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर सेक्टर-150 से होते हुए एक पुल यमुना नदी के किनारे बसे अमीपुर गांव तक जाएगा। इसके बाद एक सड़क फरीदाबाद से कबूलपुर व शिकारगाह गांव के पास से नोएडा के लिए बनाई जाएगी। इस पुल से फरीदाबाद के सेक्टर-95 के आउटर रोड तक 90 मीटर चौड़ी सड़क बनाई जाएगी। यह सड़क राजपुर कलां, तिलोरी खादर गांवों के पास से होते हुए अलीपुर शिकारगाह तक जाएगी। इस पुल का निर्माण टोल ब्रिज कंपनी से कराने की योजना है। टोल से निर्माण लागत निकलने के बाद यह पुल नोएडा को हस्तांतरित हो जाएगा जबकि सेक्टर-168 से फरीदाबाद के महावतपुर और लालपुर गांव तक यमुना पर पुल बनेगा। दोनों पुलों को जोड़ने के लिए भी रिवाजपुर गांव के पास महावतपुर गांव के ऊपर से लालपुर तक करीब छह किलोमीटर लंबी 90 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी जो फरीदाबाद बाइपास मार्ग से जुड़ेगी। इस रास्ते से सेक्टर-89 के पास वजीरपुर गांव के रास्ते सेक्टर-28 में फिर बड़खल फ्लाईओवर से सीधे सूरजकुंड रोड तक पहुंचेगी। जो मानव रचना शिक्षण संस्थान चौराहे से गुरुग्राम इफ्को चौक तक पहुंच जाएगी। यहां से आइजीआइ हवाई अड्डा काफी नजदीक है।

जेवर में हवाई अड्डा बनने से गाजियाबाद, बुलंदशहर, आगरा, मथुरा, मेरठ आदि तमाम शहरों को बड़ा फायदा होगा।

जीआइपी मॉल का जल-सीवर कनेक्शन काटा

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 29 अगस्त।

पानी-सीवर बिल का भुगतान नहीं करने पर गुरुवार को प्राधिकरण ने शहर के नामी जीआइपी मॉल के पानी और सीवर का कनेक्शन काट दिया है। जीआइपी मॉल पर प्राधिकरण के जल-सीवर शुल्क का 14.45 करोड़ रुपए बकाया है। इसके अलावा सेक्टर-32 स्थित लॉजिक्स सिटी सेंटर और सेक्टर-30 स्थित एनएमसी अस्पताल पर जल-सीवर के बकाए का भुगतान नहीं होने पर कनेक्शन काट दिया गया है। इन दोनों प्रतिष्ठानों पर प्राधिकरण के जल-सीवर का 46 लाख रुपए बकाया है।

जल-सीवर के बड़े बकाएदारों के कनेक्शन काटने का फैसला प्राधिकरण ने पहली बार लिया है। इसके लिए श्रेणी तय की गई हैं। पहली श्रेणी में 10 लाख रुपए या इससे ज्यादा वाले बकाएदारों के कनेक्शन काटे जाएंगे। उसके बाद पांच से 10 लाख रुपए वाले बकाएदारों को शामिल किया जाएगा। प्राधिकरण अधिकारियों के मुताबिक 10 लाख रुपए से अधिक बकाएदार 107 हैं। इन पर करीब 46.21 करोड़ रुपए जल-सीवर शुल्क का बकाया है। बकाएदारों की सूची में अभी ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं को शामिल नहीं किया गया है। उनकी सूची तैयार कराई जा रही है। पांच लाख रुपए से अधिक रकम वाले 386 बकाएदारों को हाल ही में नोटिस जारी किया गया है। 10 लाख रुपए से अधिक रकम वाले बकाएदारों के कनेक्शन काटे जाने के बाद दूसरी श्रेणी वालों पर कार्यवाही की जाएगी। सभी से वसूली आरसी के जरिए की जाएगी। जल विभाग के उप महाप्रबंधक वीएम पोखरियाल ने बताया कि जीआइपी मॉल प्रबंधन पर जल-सीवर शुल्क के रूप में 14.45 करोड़ रुपए बकाया हैं। कई बार नोटिस देने के बावजूद भुगतान नहीं करने पर गुरुवार को कनेक्शन काट गए हैं। बकाया वसूली के लिए प्राधिकरण ने आरसी जारी की है। दूसरी तरफ, जीआइपी मॉल में पानी- सीवर का कनेक्शन कटने की वजह से मॉल में दुकान लगाने वालों की आफत आ गई है।

श्रीनगर के बाहरी इलाके में दुकानदार की हत्या

श्रीनगर, 29 अगस्त (भाषा)।

श्रीनगर शहर की बाहरी सीमा में आतंकवादियों ने एक दुकानदार की बृहस्पतिवार रात गोली मार कर हत्या कर दी। उन्होंने कहा कि मृतक की पहचान परीम पोरा स्थित एक दुकान के मालिक गुलाम मोहम्मद के तौर पर की गई है।

अधिकारियों ने कहा कि तीन युवा मोटरसाइकिल पर आए और दुकानदार पर गोलियां बरसा दीं जब वह अपनी दुकान बंद कर रहा था। उन्होंने कहा कि घटना के बाद इलाके में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है और पुलिस हत्यारों की तलाश कर रही है।

चिदंबरम की गिरफ्तारी इंद्राणी के लिए बनी 'अच्छी खबर'

मुंबई, 29 अगस्त (भाषा)।

शीना बोरा हत्याकांड में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी ने गुरुवार को कहा कि आइएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार एवं धनशोधन मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी अच्छी खबर है।

चिदंबरम को वित्त मंत्री के तौर पर आइएनएक्स मीडिया समूह को 305 करोड़ रुपए की मंजूरी देने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर 21 अगस्त को सीबीआइ ने गिरफ्तार किया है। इंद्राणी मुखर्जी और उसके पति पीटर मुखर्जी आइएनएक्स मीडिया समूह के पूर्व प्रमोटर हैं। इस समय दोनों इंद्राणी की बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में जेल में हैं।

सीबीआइ ने पहले दावा किया था कि समूह ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम से जुड़ी एक कंपनी को कथित रूप से भुगतान किया था। इंद्राणी ने संवाददाताओं से कहा, 'उनकी (चिदंबरम की) गिरफ्तारी अच्छी खबर है। वह अब चारों ओर से घिर गए हैं।' इंद्राणी को उसकी बेटी शीना बोरा की हत्या के मामले में सीबीआइ की एक विशेष अदालत में पेश किया गया था। इसी दौरान उसने संवाददाताओं से बात की।

उसने कहा कि आइएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे कार्ति चिदंबरम को दी गई जमानत भी रद्द कर दी जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए चार नामों की सिफारिश

नई दिल्ली, 29 अगस्त (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट के कॉलिजियम ने शीर्ष अदालत में बतौर न्यायाधीश पदोन्नत किए जाने के लिए हाई कोर्ट के चार मुख्य न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की है। सूत्रों ने बताया कि गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले कॉलिजियम ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान और केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की है।

न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जबकि न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट राजस्थान हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय केरल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं।

PRE-OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(7) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED, FOR THE ATTENTION OF THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF

LINDE INDIA LIMITED

Regd. Office: Oxygen House, P43, Taratala Road, Kolkata, West Bengal, 700088. Tel: +91 33 6602 1600; Fax: +91 33 2401 4206; Website: www.linde.in; CIN: L40200WB1935PLC008184

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 2,13,21,056 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF INR 10 EACH ("OFFER SHARES"), FROM THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF LINDE INDIA LIMITED ("TARGET COMPANY") BY THE BOC GROUP LIMITED ("ACQUIRER") TOGETHER WITH PRAXAIR, INC. ("PAC 1") AND LINDE HOLDINGS NETHERLANDS B.V. ("PAC 2") (PAC 1 AND PAC 2 ARE COLLECTIVELY REFERRED TO AS "PACs") IN THEIR CAPACITY AS PERSONS ACTING IN CONCERT WITH THE ACQUIRER PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH REGULATIONS 3(1), 4, 5(1) AND 5(A)(3) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011 AND SUBSEQUENT AMENDMENTS THERETO ("SEBI (SAST) REGULATIONS") AT AN OFFER PRICE OF INR 478.40 PER EQUITY SHARE ("OFFER/OPEN OFFER")

This Pre-Offer Advertisement is being issued by ICICI Securities Limited, the manager to the Offer ("**Manager**"), for and on behalf of the Acquirer and the PACs in respect of the Offer to the eligible shareholders of the Target Company, pursuant to and in compliance with Regulation 18(7) of the SEBI (SAST) Regulations.

This Pre-Offer Advertisement should be read in continuation of, and in conjunction with the Public Announcement dated October 24, 2018 ("**PA**"), the Detailed Public Statement dated November 8, 2018 ("**DPS**"), the Draft Letter of Offer dated February 01, 2019 (the "**DLoF**"), Corrigendum to DPS dated August 27, 2019 ("**Corrigendum**") and the Letter of Offer dated August 24, 2019 dispatched to the Eligible Shareholders of the Target Company (the "**LoF**").

Capitalized terms used but not defined in this Advertisement shall have the same meaning assigned to such terms in the LoF, unless otherwise defined.

The shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following information related to the Offer:

1. **Upward revision in the Offer Price:** Pursuant to SEBI's observation letter dated August 14, 2019, the Acquirer and PACs have decided to revise the offer price upwards from INR 328.21 to INR 478.40 per equity share ("**Offer Price**"), consisting of INR 376.63 (Rupees Three Hundred and Seventy Six and Sixty Three Paise) per Equity Share plus interest compounded at the rate of ten per cent per annum for the period between December 20, 2016 and the date of publication of the DPS in terms of Regulation 8(12) of SEBI (SAST) Regulations, being INR 71.10 (Rupees Seventy One and Ten Paise) per Equity Share plus interest compounded at the rate of ten per cent per annum in terms of Regulation 5A (3) of the SAST Regulations, being INR 30.67 (Rupees Thirty and Sixty Seven) per Equity Share.

2. **Financial Arrangements:**

2.1. Based on the revised Offer Price, the maximum consideration payable under this Offer (assuming full acceptance) at the Offer Price of INR 478.40 per Equity Share will be INR 10,19,99,93,190.40 (Rupees One Thousand and Nineteen Crores Ninety Nine Lakhs Ninety Three Thousand One Hundred and Ninety and Forty Paise) i.e. the consideration payable for acquisition of 2,13,21,056 Equity Shares at the Offer Price.

2.2. Pursuant to Regulation 17(2) of the SAST Regulations, in case of upward revision of the offer price, the value of the Escrow Account is required to be calculated for the revised offer price and the additional amount is required to be brought into the Escrow Account prior to effecting such revision. Accordingly, in light of revision of the Offer Price, the Acquirer and PACs have deposited an aggregate amount of INR 10,19,99,932 in the Escrow Account "BOCG: LINDE INDIA OPEN OFFER ESCROW ACCOUNT 2018" which is more than 1% (one percent) of the Maximum Consideration together with an unconditional and irrevocable bank guarantee from Bank of America, N. A., acting through its branch office at Salarpuria Windsor, 5th Floor, B-Wing, No. 3, Ulsoor Road, Bengaluru-560042 enhanced to INR 1,66,80,22,863 in favour of ICICI Securities Limited (being Manager to the Offer). Together the combined value is in compliance with Regulations 17(3)(b) and 17(1) of the SEBI (SAST) Regulations.

3. **Recommendation of the Committee of Independent Directors:** The committee of independent directors of the Target Company (the "**IDC**") has recommended that the shareholders should independently evaluate the offer. The recommendations of the IDC were published on August 28,2019 in the same newspapers in which the DPS was published. A summary of the relevant extracts of the IDC's recommendations are below:

Members of the IDC	Mr Jyotin Mehta, Chairman of the IDC Mr Arun Balakrishnan Dr Shalini Sarin
Recommendation on the Open Offer, as to whether the offer is fair and Members of the IDC believe that the open offer is fair and reasonable	The IDC is of the opinion that the Offer Price of ₹ 478.40 as offered by the Acquirer: 1. Is in accordance with the regulations prescribed under the SEBI (SAST) Regulations; and 2. Appears to be fair and reasonable. However, the IDC has advised that the public shareholders of the TC should independently evaluate the Offer Price and take an informed decision before subscribing to the Open Offer.
Summary of reasons for recommendation	IDC has reviewed the PA, DPS, DLoF, LoF and has taken into consideration the following for making the recommendation: 1. For a period of 12 calendar months (i.e., a period of December 1, 2015 to November 1, 2016, both days included) preceding the announcement of the press release dated December 20, 2016, wherein Linde Aktiengesellschaft and PAC 1 announced their intention to merge, which is the triggering underlying transaction for this Open Offer, the equity shares of the TC were infrequently traded in terms of SEBI (SAST) Regulations. In such cases, SEBI (SAST) Regulations require the Acquirer/PACs and the Manager to the Offer to determine the offer price in accordance with Regulations 8(3), 8(4), and 8(12) of the SEBI (SAST) Regulations. In this case, the basic offer price was determined to be ₹ 276.09 (Rupees Two hundred and Seventy Six and Paise nine only) per equity share, in accordance with the valuation report provided by Ernst and Young Merchant Banking Services Pvt. Ltd. (an independent SEBI registered merchant banker) dated 16 October 2018, in compliance with Regulation 8(16) of the SEBI (SAST) Regulations. Subsequently, SEBI appointed CNK & Associates LLP, Chartered Accountants as an independent chartered accountant for determining the fair price of the equity shares of Linde India Ltd. for the purpose of the Open Offer. As per the direction of SEBI, CNK & Associates LLP, Chartered Accountants, have vide their valuation report dated August 06, 2019 ("**Valuation Report**") determined the fair price of per equity share of Linde India Ltd. at ₹ 376.63 (Rupees Three Hundred and Seventy Six and Paise Sixty three only) as on December 20, 2016. SEBI vide it's letter dated August 14, 2019, had asked the Acquirer and PACs to revise the Offer Price to ₹ 376.63 and adding interest as per Regulation 8(12) and Regulation 5A(3) of SEBI (SAST) Regulations. 2. The offer price of ₹ 376.63 as aforesaid has been enhanced to ₹ 478.40 (Rupees Four Hundred Seventy Eight and Paise Forty only) as a result of inclusion of ₹ 101.77 towards total interest for the period of delay, comprising (a) interest amounting to ₹ 71.10 (Rupees Seventy One and Paise Ten only) per Equity Share computed at the rate of 10% (ten percent) per annum for the period between December 20, 2016 and the date of publication of the DPS in terms of Regulation 8(12) of SEBI (SAST) Regulations, on basic Open Offer price of INR 376.63 and (b) an additional interest amounting to ₹ 30.67 (Rupees Thirty and Paise Sixty Seven only) per Equity Share computed at the rate of 10% (ten per cent) per annum for the period between January 24, 2019 and the revised date of payment of consideration to the Public Shareholders of Linde India Ltd. i.e. October 1, 2019 in terms of Regulation 5A(3) of the SEBI (SAST) Regulations. 3. Hence the Offer Price is ₹ 478.40 (Rupees Four Hundred Seventy Eight and Paise Forty only). 4. CNK & Associates LLP, Chartered Accountants in its Valuation Report has adopted the following valuation methods for arriving at the fair price of the equity shares and each of the methods were given equal weightage: (a) Comparable Companies' Multiple Method/ Guideline Company Method - EV/EBITDA multiples of comparable companies; and (b) Discounted Cash Flows (DCF) method. Based on the review of the PA, DPS, DLoF, LoF and Valuation Report, and keeping in mind the above facts, the IDC is of the opinion that the final Offer Price of ₹ 478.40 offered by the Acquirers and the PACs is fair and reasonable and is in accordance with the SEBI (SAST) Regulations. However, the public shareholders of the TC are advised to independently evaluate the offer price and take an informed decision before subscribing to the Open Offer.

4. The Offer is not a competing offer in terms of Regulation 20 of the SEBI (SAST) Regulations. There has been no competitive bid to the Offer.

5. The Letter of Offer was dispatched to all Eligible Shareholders of the Target Company by August 26, 2019.

6. Eligible Shareholders are required to refer para 8 "Procedure for Acceptance and Settlement of this Offer" on page 42 of the LoF in relation to *inter alia* the procedure for tendering their Equity Shares in the Open Offer and are required to adhere to and follow the procedure outlined therein. Please note that a copy of the LoF (including Form of Acceptance-cum-Acknowledgment) is also available on SEBI's website (http://www.sebi.gov.in) during the Tendering Period and shareholders can also apply by downloading such forms from SEBI's website. Further, in case of non-receipt/non-availability of the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement, the application can be made on plain paper along with the following details:

6.1. Eligible Public Shareholders who have acquired Equity Shares but whose names do not appear in the register of members of the Target Company on the Identified Date, or unregistered owners or those who have acquired Equity Shares after the Identified Date, or those who have not received the LoF, may participate in this Offer by:

(a) downloading the LoF along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgment from the SEBI website (www.sebi.gov.in) or obtaining a copy of the same from the Registrar to the Offer on providing suitable documentary evidence of holding of the Equity Shares; or

(b) submitting an application on a plain paper to their Selling Broker giving details regarding their shareholding and confirming their consent to participate in this Offer on the terms and conditions of this Offer as set out in PA, the DPS and the LoF and submitting all the required documents as identified in the LoF.

7. In terms of Regulation 16(1) of the SEBI (SAST) Regulations, the DLoF was submitted to SEBI on February 01, 2019. The final observations from SEBI were received in terms of Regulation 16(4) of the SEBI (SAST) Regulations *vide* letter dated August 14, 2019, which have been incorporated in the LoF.

8. **Details regarding the status of the statutory and other approvals**: As disclosed in the LoF, to the best of the knowledge of the Acquirer and the PACs, all the statutory approvals required by the Acquirer or the PACs to complete this Offer have been obtained. However, in case of any additional statutory approvals being required by the Acquirer or the PACs at any later date, this Offer will be subject to such approvals. In the event that any statutory approvals required are not obtained or are finally refused or are otherwise not received for reasons outside the reasonable control of the Acquirer and/or PACs, the Acquirer and/or PACs may withdraw the Offer under Regulation 23 of the SEBI (SAST) Regulations. Non-resident Indian ("**NRI**") and overseas corporate body ("**OCB**") holders of the Equity Shares, must obtain all approvals required to tender the Equity Shares held by them in this Offer (including without limitation, an approval from the Reserve Bank of India ("**RBI**") and submit such approvals along with the Form of Acceptance cum - Acknowledgement and other documents required under this Offer. Further, if holders of the Equity Shares who are not persons resident in India including NRIs, OCBs, FIIs and FPIs had required any approvals (including from the RBI or any other regulatory body) in respect of the Equity Shares held by them, they will be required to submit such previous approvals that they would have obtained for holding the Equity Shares, along with the other documents required to be tendered to accept this Offer. In the event that such approvals are not submitted, the Acquirer and PACs shall reject any such Equity Shares tendered in this Offer.

9. The revised schedule of activities pertaining to the Offer is set out below:

Activity	Schedule disclosed in the Draft Letter of Offer (Date and Day)	Revised Schedule (Day and Date)
Date of the Public Announcement	Wednesday, October 24, 2018	Wednesday, October 24, 2018
Date of publication of the Detailed Public Statement encapsulating intention to delist under regulation 5A (3) of the SEBI (SAST) Regulations in the newspapers	Friday, November 09, 2018	Friday, November 09, 2018
Last date for competing offer	Tuesday, December 04, 2018	Tuesday, December 04, 2018
Public announcement of failure of the Delisting Offer and update on the Open Offer	Friday, January 25, 2019	Friday, January 25, 2019
Date of Corrigendum to Announcement of failure of the Delisting Offer and Update on the Open Offer	Tuesday, January 29, 2019	Tuesday, January 29, 2019
Opening of withdrawal period for Public Shareholders to withdraw the Equity Shares tendered in the Delisting Offer	Wednesday, January 30, 2019	Wednesday, January 30, 2019
Filing of the Draft Letter of Offer with SEBI	Friday, February 1, 2019	Friday, February 1, 2019
Closure of withdrawal period for Public Shareholders to withdraw the Equity Shares tendered in the Delisting Offer	Tuesday, February 12, 2019	Tuesday, February 12, 2019
Date of appointment of New Independent Valuer (as defined hereinafter) by SEBI	-	Friday, May 31, 2019
Last date for SEBI observations on the Draft Letter of Offer (in the event SEBI has not sought clarifications or additional information from the Manager)	Monday, February 25, 2019	Wednesday, August 14, 2019**
Identified Date*	Wednesday, February 27, 2019	Monday, August 19, 2019
Last date by which the Letter of Offer is required to be dispatched to the Public Shareholders	Thursday, March 7, 2019	Monday, August 26, 2019
Last date by which the committee of the independent directors of the Company shall give its recommendation to the Public Shareholders of the Company for the Open Offer	Tuesday, March 12, 2019	Thursday, August 29, 2019
Date of publication of advertisement containing announcement of the schedule of activities of the Open Offer, status of statutory and other approvals, if any and procedures for tendering acceptance in the newspaper where the DPS was published and notification to SEBI, the Stock Exchanges, and the Target Company at its registered office.	Wednesday, March 13, 2019	Friday, August 30, 2019
Last date for upward revision of the offer price/offer size of the Open Offer	Wednesday, March 13, 2019	Friday, August 30, 2019
Date of commencement of tendering period (Open Offer opening date)	Thursday, March 14, 2019	Tuesday, September 3, 2019
Date of expiry of tendering period (Open Offer closing date)	Thursday, March 28, 2019	Tuesday, September 17, 2019
Last day of payment to the Public Shareholders whose Equity Shares have been accepted in the Open Offer	Thursday, April 11, 2019	Tuesday, October 1, 2019
Last date for publication of post-Open Offer announcement and submission of the final report with SEBI	Thursday, April 18, 2019	Thursday, October 10, 2019

**Date falling on the 10th Working Day prior to the commencement of the Tendering Period. The Identified Date is only for the purpose of determining the Public Shareholders as on such date to whom the LOF would be sent. All the Public Shareholders (registered or unregistered) of the Equity Shares of the Target Company are eligible to participate in this Offer at any time prior to the closure of the Tendering Period.*

***Actual date of receipt of comments from SEBI*

10. The Acquirer and PACs accept full responsibility for the information contained in this Pre-offer advertisement and also the obligations of the Acquirer and PACs as laid down in the SEBI (SAST) Regulations and subsequent amendments thereof.

11. This Advertisement is expected to be available on SEBI's website at www.sebi.gov.in

FOR THE ATTENTION OF ELIGIBLE SHAREHOLDERS

SEBI vide circular no. CIR/CFD/POLICYCELL/1/2015 dated April 13, 2015 read with circular no. CFD/DCR2/CIR/P/2016/131 dated December 09, 2016, as amended from time to time, has provided guidelines on the mechanism for acquisition of shares through the stock exchange pursuant to, inter alia, tender-offers under SEBI (SAST) Regulations, to facilitate tendering of shares by the shareholders and settlement of the same through the stock exchange mechanism. In accordance with these circulars and notices/guidelines issued by the Stock Exchanges and Clearing Corporation in relation to the mechanism of acquisition of shares, this Offer is being carried out through the stock exchange mechanism (in the form of a separate acquisition window provided by BSE Limited, being the designated stock exchange), and hence would be subject to payment of securities transaction tax. For further details, eligible shareholders are requested to refer to Para No. 8 titled "Procedure for Acceptance and Settlement of this Offer" on page 42 of the LoF.

As per the press release dated December 3, 2018 issued by SEBI, the deadline for the requirement for effecting transfer of securities only in dematerialized form, was till April 1, 2019. In view of the same, and pursuant to Regulation 40(1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015, as amended, the Acquirer shall only accept shares tendered in the dematerialized form. Such Public Shareholders holding shares in Physical Form should ensure that the process of getting the Equity Shares dematerialized is completed well in time so that they can participate in this Offer by or before the closure of the Tendering Period.

MANAGER TO THE OFFER

ICICI Securities

ICICI SECURITIES LIMITED
SEBI Regn. No.: INM000011179
ICICI Centre, H.T. Parekh Marg, Churchgate,
Mumbai - 400020, Maharashtra, India
Tel.: +91 22 2288 2460; **Fax:** +91 22 2282 6580;
Email ID: linde.openoffer@icicisecurities.com
Contact Person: Mr. Rishi Tiwari/Mr. Anurag Byas

Issued for and on behalf of the Acquirer and PACs

Acquirer	PAC 1	PAC 2
BOC GROUP LIMITED	**PRAXAIR, INC.**	**LINDE HOLDINGS NETHERLANDS B.V.**
The Priestley Centre, 10 Priestley Road, The Surrey Research Park, Guildford, Surrey, GU2 7XY, England	251 Little Falls Drive, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, United States of America	Havenstraat 1, 3115HC Schiedam, Netherlands

Date : August 29, 2019
Place: Mumbai

PRESSMAN

फैसले और उम्मीदें

भारत में विदेशी पूंजी लाने के मकसद से सरकार ने एफडीआइ नियमों को और उदार बनाने की दिशा में जो कदम बढ़ाया है वह निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मददगार होगा। बुधवार को कैबिनेट की बैठक में जो बड़े फैसले किए गए उनसे साफ है कि देश को मंदी के माहौल से उबारने के लिए इस तरह के आर्थिक उपाय करने जरूरी हो गए हैं। पिछले एक हफ्ते में यह तीसरा मौका है जब अर्थव्यवस्था को सुधारने की लिए तीसरा बड़ा फैसला किया गया है। भारत में इस वक्त निवेश, मांग और खपत तीनों सुस्त हैं और अर्थव्यवस्था के ये तीनों ही कारक मंदी का कारण बने हुए हैं। ऐसे में विदेशी निवेश लाने के लिए एफडीआइ नियमों में ढील देना वक्त की जरूरत बन गई है। सबसे बड़ा फैसला तो यह हुआ है कि एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र के लिए नियमों को आसान बनाया गया है। इस क्षेत्र में तीस फीसद घरेलू खरीद के नियम के दायरे को व्यापक बनाया गया है। इससे एकल ब्रांड कंपनियां अब ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर साथ-साथ खोल सकेंगी। अब पहले ऑफलाइन स्टोर खोलने की अनिवार्यता खत्म हो जाने से भारत में विदेशी कंपनियों के आने का रास्ता आसान हो जाएगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि कई बड़ी कंपनियां भारतीय बाजार में दस्तक देंगी।

आज दुनिया में खुली अर्थव्यवस्था है। ऐसे में कारोबारी नियम भी उदार ही होने चाहिए, बशर्ते राष्ट्र के हितों पर प्रतिकूल असर न पड़ता हो। सरकार ने कोयला क्षेत्र के विकास को रफ्तार देने के लिए कोयला खनन और ठेका विनिर्माण में सौ फीसद विदेशी निवेश का रास्ता साफ कर दिया है। हालांकि कोयला क्षेत्र को लेकर अभी संदेह इसलिए बना हुआ है कि विदेशी कंपनियां इसमें पैसा लगाने से बच सकती हैं। इस वक्त दुनिया की बड़ी कंपनियों की दिलचस्पी हरित ऊर्जा वाली परियोजनाओं को लेकर ज्यादा है। लेकिन ठेका विनिर्माण क्षेत्र में सौ फीसद एफडीआइ अर्थव्यवस्था को गति देने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। माना जा रहा है कि इससे विदेशी कंपनियां भारत में अब दूसरी कंपनियों को ठेके देकर अपने उत्पाद भी बनवाएंगी। यही कंपनियां फिर भारत से निर्यात करेंगी तो इससे भारत को दोहरा फायदा होगा। इससे देश में विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। एक मोटा अनुमान यह लगाया गया है कि ठेका विनिर्माण क्षेत्र में सौ फीसद एफडीआइ के फैसले से 2022 तक देश की जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़ कर पच्चीस फीसद तक हो सकता है जो अभी सोलह-सत्रह फीसद है।

इसके अलावा कैबिनेट ने देश भर में पचहत्तर नए मेडिकल कालेज खोलने का जो बड़ा फैसला किया है, वह निश्चित रूप से वक्त की जरूरत है। आज देश में ज्यादातर जिले खासतौर से ग्रामीण इलाके बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित हैं। इसकी वजह यह रही है कि आजादी के बाद स्वास्थ्य क्षेत्र का बुनियादी ढांचा विकसित नहीं हो पाया है। देश में डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों की भारी कमी है। ऐसे में अगर बड़ी संख्या में मेडिकल कालेज खुलते हैं तो निश्चित रूप से अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर होगी और जिला स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं का दायरा बढ़ाया जा सकेगा। सबसे ज्यादा फायदा ग्रामीण आबादी को होगा। भारत में चिकित्सा क्षेत्र को नया रूप देने के मकसद से सरकार का यह फैसला मील का पत्थर साबित हो सकता है। सबसे बड़ी जरूरत तो इस बात की है कि इन योजनाओं पर काम पुख्ता तरीके से हो।

दोहरी प्रताड़ना

पंचायती राज व्यवस्था को इसलिए मजबूत बनाने पर जोर दिया गया था कि स्थानीय लोग भाई-चारे के साथ अपने मामलों का निपटारा खुद कर लिया करेंगे, अपनी समस्याओं का खुद समाधान तलाशेंगे और नौकरशाही के बेवजह दखल से मुक्त रह सकेंगे। मगर पंचायतें किस कदर पक्षपाती और अन्यायी होती गई हैं, इसके ढेर उदाहरण मौजूद हैं। पंचायतों पर काबिज लोग सरकारी धन की लूट तो करते ही हैं, जाति, धर्म, समुदाय के आधार पर नाइंसाफी भी करते हैं। इसका ताजा उदाहरण बिहार के गया जिले में एक ग्राम पंचायत का बलात्कार पीड़िता का सिर मुंड़वा कर गांव में घुमाना है। जब पीड़िता और उसके परिजन बलात्कार की शिकायत लेकर पंचायत के पास पहुंचे तो उसके सदस्यों ने उल्टा लड़की को ही दोषी ठहरा दिया कि वह गलत आरोप लगा रही है। इसके दंड स्वरूप लड़की का सिर मुंड़वा कर उसे गांव में घुमाया गया। इस मामले की सूचना मिलने पर स्थानीय थाने ने संबंधित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। विचित्र है कि जिसे पीड़ित को न्याय दिलाना चाहिए, वह खुद अन्याय करता है।

हालांकि बिहार में यह अकेली घटना नहीं है, जिसमें किसी पंचायत ने दोषियों के खिलाफ खड़े होने के बजाय पीड़िता को दंडित करना न्यायसंगत समझा। कई घटनाओं में कुछ महिलाओं को खौलते तेल में हाथ डाल कर अपनी बेगुनाही साबित करने, सामूहिक पिटाई सहने, पत्थर मारे जाने जैसी दंड सुनाए जा चुके हैं। इन तमाम घटनाओं का बारीकी से अध्ययन करें तो लगभग सभी महिलाएं समाज के कमजोर तबके से रही हैं। छिपी बात नहीं है कि देश की तमाम पंचायतों पर ऊंची कही जाने वाली जातियों के दबंग लोग काबिज हैं। जिन सीटों पर आरक्षण की वजह से समाज के कमजोर और नीची कही जाने वाली जातियों के लोग सरपंच हैं, वे भी गांव के दबंग लोगों के मुताबिक ही काम करते देखे जाते हैं। इस तरह उनमें से भी ज्यादातर का कार्यव्यवहार ताकतवर लोगों के अनुसार होता है। फिर गांवों में नीची कही जाने वाली जातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को किस कदर प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है, यह भी कोई छिपी बात नहीं है। जाहिर है, गया की ग्राम पंचायत ने भी इसी सामंती सोच के चलते पीड़िता को दोहरी प्रताड़ना से गुजरने को मजबूर किया।

ज्यादातर ग्राम पंचायतों में जातिवादी सोच गहरे तक जड़ जमाए हुए है। यही वजह है कि गांवों के विकास से जुड़ी योजनाओं का अधिकतर लाभ सरपंच अपनी जाति से जुड़े लोगों को पहुंचाते देखे जाते हैं। अपनी जाति के लोगों पर अगर किसी तरह का आरोप लगता है, तो सरपंच अक्सर उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जाते देखे जाते हैं। गया की पंचायत में भी पीड़िता चूंकि समाज के कमजोर तबके से थी और पंचायत में दबंग लोगों का कब्जा है, उन्होंने यह सोच कर ही एकतरफा फैसला किया कि वह उनके फैसले को चुनौती नहीं दे सकती। उसका परिवार पंचायत के फैसले को चुपचाप मान और चुप्पी साध लेगा। यह भी छिपी बात नहीं है कि गांवों के दबंग लोग किस तरह गरीब और कमजोर तबके की महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं। ऐसे में जिन लोगों पर लड़की ने बलात्कार का आरोप लगाया, वे ताकतवर लोग रहे होंगे, छिपी बात नहीं है। जाहिर है, पंचायत ने उन्हें बचाने का प्रयास किया। पंचायतों के ऐसे रवैए के चलते ही पंचायती राज व्यवस्था की साख गिरी है।

कल्पमेधा

अत्याचार करने वाला उतना दोषी नहीं है, जितना उसे सहन करने वाला।
-बाल गंगाधर तिलक

कैंसर का कहर

मनीष वैद्य

बीते कई सालों से पर्यावरणविद और कृषि वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि जल्दी ही रासायनिक खाद और दवाओं को हटा कर जैविक खेती को नहीं अपनाया गया तो हालात गंभीर हो सकते हैं। फिर भी अब तक जैविक खेती को लेकर सिर्फ नारेबाजी ही हो रही है। हमारे यहां जैविक खेती की अवधारणा नई नहीं है, परंपरा से हमारे पूर्वज इसे करते रहे हैं। आसन्न चुनौतियों से निपटने का एकमात्र विकल्प है-अपनी जड़ों की ओर लौटना।

रासायनिक खादों और कीटनाशकों के इस्तेमाल ने पूरी दुनिया की धरती में खेती के उत्पादन, खाद्य सुरक्षा और मनुष्य की सेहत के लिए गंभीर खतरे खड़े कर दिए हैं। यहां तक कि शिशु के लिए अब अपनी मां का दूध भी सुरक्षित नहीं रह गया है। दूषित पेय और खाद्य पदार्थों के कारण मां का दूध भी प्रदूषित हो जाता है। यह बात विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन की एक रिपोर्ट में कही गई है। भारत में भी हरित क्रांति के बाद उत्पादन बढ़ाने के नाम पर किसानों को परंपरागत खेती छोड़ कर कीटनाशकों और रासायनिक खादों की सलाह दी गई। इसका अंधाधुंध इस्तेमाल हुआ और जोरदार पैदावार से किसान मालामाल भी हुए, परंतु तब इसके दूरगामी दुष्परिणामों पर गौर नहीं किया गया था। पंजाब को इसकी प्रयोगशाला की तरह देखा गया लेकिन खेतों में रासायनिक खाद और कीटनाशकों ने यहां के पानी, हवा और जमीन को बुरी तरह प्रदूषित कर दिया और किसानों को कैंसर की बीमारी तोहफे में दे दी। पंजाब के बठिंडा से बीकानेर जाने वाली ट्रेन को कैंसर ट्रेन के नाम से जाना जाता है। इससे हर दिन दो सौ से ज़्यादा कैंसर के मरीज बीकानेर के कैंसर अस्पताल पहुंचते हैं। बीस स्टेशनों से गुजरते हुए यह हर दिन सवा तीन सौ किलोमीटर का सफर तय कर कैंसर मरीजों की बुझी हुई उम्मीदों को जिंदा करने की कोशिश करती है।

पंजाब के बाद देश के कुछ और हिस्से भी अब तेजी से कैंसर की चपेट आते जा रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओड़िशा और राजस्थान को है। देश में अब तक कैंसर मरीजों का आंकड़ा साढ़े बाईस लाख का है जो अगले बीस सालों यानी 2040 तक दुगना हो जाने की आशंका जताई जा रही है। कीटनाशकों के प्रयोग में ये राज्य देश के सर्वाधिक उपयोगकर्ताओं में शामिल हैं और यही कारण है कि अब इन राज्यों में कैंसर मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। कैंसर से बीते साल सात लाख चौरासी हजार लोगों की मौत हो गई और साढ़े ग्यारह लाख नए मामले सामने आए थे।

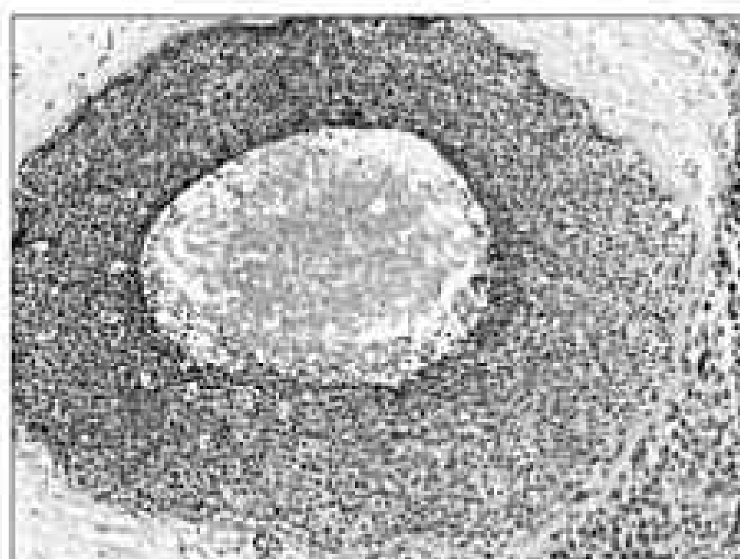

कभी अपनी खास तरह की समृद्ध खेती-बाड़ी और प्राकृतिक सुंदरता के लिए पहचाने जाने वाले इन आठ राज्यों में लोग अब कैंसर के खौफनाक कहर से रूबरू हो रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में तो यह जानलेवा बीमारी तेजी से पांव पसाररही है। तंबाकू और बीड़ी पीने वालों को यह बीमारी आम है लेकिन यहां कई ऐसे लोग भी इस लाइलाज बीमारी के चंगुल में फंस चुके हैं जिन्होंने कभी तंबाकू का इस्तेमाल नहीं किया। विशेषज्ञों के मुताबिक इसका बड़ा कारण खेतों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक हैं। मध्यप्रदेश में इंदौर के पास घने जंगलों और हरे-भरे खेतों के बीच बसा गांव हरसोला आलू और सब्जियों की पैदावार के लिए मशहूर है। यहां के कम स्टार्च वाले आलू की विदेशों सहित देशभर में मांग रहती है और इस आलू का उपयोग चिप्स बनाने वाली कंपनियां ज्यादा करती हैं। लेकिन चौंकाने वाला तथ्य यह है कि बीते सालों में यहां कैंसर के पैंतीस से ज्यादा मरीज चिन्हित हुए थे, जिनमें से पंद्रह की मौत हो चुकी है। यह साफहै कि इस गांव के ज्यादातर लोग किसान हैं और अपने खेतों में काम करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि खेतों का कीटनाशक बारिश के पानी के साथ जमीन में पहुंचता है और जमीन के साथ जमीनी पानी के भंडार को भी प्रदूषित करता है। खेती-बाड़ी वाले गांवों में बीते चालीस सालों में रासायनिक खादों और कीटनाशकों का इस्तेमाल करीब चार से पांच गुना तक बढ़ा है। इसी ने हमारे परिवेश में जहर और हवा में कड़वाहट घोल दी है। ये बीमारियां इन्हीं की देन हैं।

कुछ सालों पहले तक पैंतालीस साल या इससे अधिक उम्र की महिलाओं में ही स्तन कैंसर की आशंका होती थी लेकिन अब पच्चीस से पैंतीस साल की महिलाओं में यह बीमारी अधिक देखने में आ रही है। भारत में हर आठ में से एक महिला को स्तन कैंसर की आशंका रहती है। स्तन कैंसर सायलेंट किलर है और इसका पता लगने में थोड़ी-सी भी देर हो जाए तो इसके ठीक होने की संभावना कम हो जाती है। यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इससे मौतें ज्यादा होती हैं, क्योंकि वहां तक जांच व निदान की तकनीक और संसाधन अब तक सुलभ नहीं हो पाए हैं। इस बीमारी के फैलने का सबसे बड़ा कारण बदलता खानपान, प्रदूषण, जीवन शैली में बदलाव, नशा और अनुवांशिकी के साथ-साथ पानी, सब्जियों और अनाज में कीटनाशकों के अंश का पहुंचना है। संसाधनों और डाक्टरों की कमी, गरीबी और कुपोषण ने इस संकट को और बढ़ा दिया है।

रासायनिक खाद के इस्तेमाल में भी भारत पीछे नहीं है। बीते साठ सालों में यूरिया का बेतहाशा इस्तेमाल किया गया। 1960 में जहां नाइट्रोजन फर्टिलाइजर में यूरिया का अंश महज दस फीसदी था, जो अब बढ़ कर बयासी फीसद से ज़्यादा हो चुका है। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक भारत हर साल एक सौ अड़तालीस लाख टन यूरिया की खपत करता है। हैरत की बात यह है कि अधिकांश खेतों की मिट्टी की जांच ही नहीं हुई है। ऐसे में बिना किसी आकलन के किसान अपनी मर्जी से यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें लगता है कि अब जमीन को यूरिया की आदत बन गई है और यदि वे यूरिया नहीं डालेंगे तो पैदावार काफी घट जाएगी। देश में सबसे ज्यादा यूरिया की खपत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड हैं। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़ा है। लेकिन छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का क्षेत्रफल काफी कम होने पर भी यूरिया की खपत काफी तेजी से बढ़ी है और इसमें हर साल बीस फीसद बढ़ोतरी हो रही है। यूरिया का तीस फीसद हिस्सा ही पौधों को बढ़ाता है, जबकि सत्तर फीसद नाइट्रोजन में बदल कर बारिश के पानी के साथ धरती में चला जाता है और भूजल भंडार और मिट्टी के साथ नदी-नालों में समा कर उन्हें प्रदूषित करता है। ऐसा पानी फसलों को नुकसान पहुंचाता है। यह पानी और इससे उगने वाला अन्न दोनों ही मनुष्य में गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं।

बीते कई सालों से पर्यावरणविद और कृषि वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि जल्दी ही रासायनिक खाद और दवाओं को हटा कर जैविक खेती को नहीं अपनाया गया तो हालात गंभीर हो सकते हैं। फिर भी अब तक जैविक खेती को लेकर सिर्फ नारेबाजी ही हो रही है। हमारे यहां जैविक खेती की अवधारणा नई नहीं है, परंपरा से हमारे पूर्वज इसे करते रहे हैं। आसन्न चुनौतियों से निपटने का एकमात्र विकल्प है-अपनी जड़ों की ओर लौटना। दुर्भाग्य से जिन गांवों के कोठार कभी अन्न के दानों से भरे रहते थे, आज वहां दवाइयां हैं, जहां के खेत सोना उगलते थे, आज वहां की हवा में दुर्गंध है। जहां कभी फसलें आने पर लोक गीत गूंजते थे, आज वहां भयावह खौफ और मौत का सन्नाटा है। जहां के लोग हाड़-तोड़ मेहनत करने के बाद भी हृष्ट-पुष्ट बने रहते थे, आज वे कंकाल की तरह नजर आते हैं और निराशा इतनी कि हर दिन अपनी मौत की घड़ियां गिनते रहते हैं। बीते तीस-चालीस सालों में हमने खेती की उपज बढ़ाने के नाम पर किन यमदूतों को हमारी खेती में शामिल कर लिया कि हमारी जान पर ही बन आई। भला ऐसी समृद्धि किस काम की जो मौत का तोहफा देती हो।

पूर्वाग्रहों के पाठ

अमित चमड़िया

दुनिया मेरे आगे

कक्षा तीन में एक शिक्षक ने दिवाली पर निबंध लिखवाया। उस निबंध की पहली पंक्ति कुछ इस प्रकार थी- 'दिवाली भारत देश का एक प्रमुख पर्व है।' यों यह पंक्ति हिंदी निबंध की किताबों में आमतौर पर लिखी हुई मिल जाती है, लेकिन जब ईद या गुरुपर्व पर निबंध लिखवाए जाते हैं तो पंक्ति कुछ इस प्रकार होती है- 'ईद मुसलिम समुदाय का प्रमुख त्योहार है या गुरुपर्व सिख धर्म को मानने वाले लोगों द्वारा मनाया जाता है।' मुझे भी अपने स्कूल में इन त्योहारों के बारे कुछ इसी तरह की बात सिखाई गई थी। आज भी लाखों बच्चे इसी तरह के निबंधों की किताब पढ़ रहे हैं या उनकी कक्षा में उनके शिक्षक द्वारा इसी तरह की पंक्तियां इन त्योहारों के बारे लिखवाई जा रही हैं। कक्षा तीन के बच्चों के लिए इसमें कुछ भी असामान्य जैसा नहीं है, पर हम 'स्वाभाविक तरीके' से या 'सहजता' से बहुत कुछ बच्चों को गलत बातें बता देते हैं। त्योहारों के बारे में इस तरह की बातें कुछ इसी तरह की हैं।

भारत बहुलतावादी संस्कृति का परिचायक है। जब हम दिवाली को भारत देश का प्रमुख पर्व बताते हैं तो हम ईद और गुरुपर्व को भी क्यों नहीं भारत के एक प्रमुख त्योहार के रूप स्वीकार करते हैं। अगर हम एक पर्व को किसी खास धर्म से जोड़ते हैं तो फिर यही काम दिवाली पर निबंध लिखते समय क्यों नहीं होता है! इस पर्व के संदर्भ पर हम यह नहीं लिखते हैं कि दिवाली हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह भी तथ्य है कि समूचे देश में हर जगह दिवाली नहीं मनाई जाती है। हमारे स्कूल की किताबें कई बार हमें प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से भेदभाव करना सिखाती हैं। आदिवासी समुदाय के पर्व, जैसे- सरहुल, भगोरिया आदि के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो यह क्यों नहीं बताया जाता है कि ये उत्सव भी भारत देश के प्रमुख त्योहार हैं? क्यों इस पर्व को केवल आदिवासी समुदाय का पर्व बताया जाता है? इस बात से किसी को इनकार नहीं होगा कि भारत देश केवल हिंदू धर्म को मानने वालों का ही नहीं है, बल्कि तमाम दूसरे धर्मों और समुदायों का भी है। आदिवासी बच्चे या गैर-हिंदू बच्चों की मनःस्थिति के बारे में सोचने की जरूरत है कि जब उनकी ही कक्षा में उनके त्योहार को देश का त्योहार नहीं बताया जाता है और किसी खास त्योहार को देश का त्योहार बताया जाता है तो उन्हें कैसा महसूस होता होगा।

एक निजी स्कूल की कक्षा आठ में पढ़ने वाले एक छात्र से मैंने पूछा कि तुम्हारा स्कूल क्यों बंद है, तो उसका जवाब था-'मुझे नहीं मालूम।' मेरे बहुत जोर देने पर उसने कहा कि मुसलिम समुदाय का कोई त्योहार है, इसलिए बंद है। प्रसंगवश यह बताना जरूरी है कि स्कूल ईद के अवसर पर बंद था। अब इस तरह के निबंध को बच्चे पढ़ेंगे तो उस छात्र की तरह अन्य को भी स्कूल के बंद होने का कारण नहीं पता होगा।

मामला केवल किताबों तक ही सीमित नहीं है। हाल ही में झारखंड की राजधानी रांची के एक पुलिस थाने में मेरा जाना हुआ। वहां पता चला कि थाने में अभी-अभी पूर्णिमा का हवन समाप्त हुआ है। कैसे हम सरकारी प्रतिष्ठानों में किसी खास धर्म को इस तरह से मनाने की इजाजत देते हैं। जबकि भारत के संविधान में यह बात स्पष्ट रूप से दर्ज है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। तो किसी खास धर्म की पहचान को मुख्य बना कर पेश करना क्या संविधान का उल्लंघन नहीं है? संविधान के उल्लंघन पर किस-किस तरह के कानूनी प्रावधान लागू होते हैं?

हम अक्सर इस बात को टेलीविजन पर देखते हैं कि शिलान्यास आदि के मौके पर या कार्यक्रमों में सरकारी अधिकारी या नेता हिंदू रीति-रिवाज से पूजा करते हैं। दूसरी ओर, वही सभी स्तंभों की ओर से धर्मनिरपेक्ष होने का दावा भी किया जाता है। क्या ऐसी स्थिति में अन्य धर्मों के प्रति समान स्तर पर सम्मान की भावना और व्यवहार की उम्मीद की जा सकती है? निजी मान्यताओं से कुछ भी बाधित नहीं होना चाहिए। एक उदाहरण दिल्ली के पटेल चौक मेट्रो स्टेशन पर देखा जा सकता है, जहां 'भगवद्गीता' किताब को लोगों के देखने के लिए रखा गया है। क्या सरकार और उसकी किसी एजेंसी के द्वारा एक खास धर्म के प्रति इस तरह के सार्वजनिक व्यवहार अन्य समुदायों के बीच बहिष्करण का अहसास नहीं करेंगे? जब इस तरह की सामग्रियां हम बचपन में ही पढ़ने लगते हैं तो बड़े होने पर वही भेदभाव रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल होना स्वभाविक है। हमारे स्कूल की किताबों में बड़े बदलाव की जरूरत है और यह बात बच्चों को बतानी होगी कि क्यों निबंधों में इस तरह की पंक्तियां उचित नहीं हैं। तभी शायद हम सही शिक्षा बच्चों को दे पाएंगे और सही अर्थों में एक मजबूत भारत का पाठ तैयार कर पाएंगे।

संकीर्ण सोच

हाल में जम्मू-कश्मीर पर सरकार के फैसले के बाद भारत के एक बड़े वर्ग की अजीबोगरीब प्रतिक्रिया देखने को मिली। न केवल आम लोग बल्कि नेताओं ने भी ऐसी प्रतिक्रियाएं दीं। मसलन, एक मुख्यमंत्री ने कहा कि अब शादी के लिए लड़कियां बिहार के बदले जम्मू-कश्मीर से मंगा ली जाएंगी। एक भाजपा विधायक ने कहा कि देश के मुसलमानों को खुश होना चाहिए कि अब उन्हें शादी के लिए आसानी से गोरी लड़कियां कश्मीर से मिल जाएंगी। लोगों के एक वर्ग ने कहा कि अब कश्मीर में जमीन लेकर वहां के संपत्ति पर कब्जा करेंगे। कश्मीर में फोन लाइन और मोबाइल नेटवर्क बंद होने के कारण होने वाली समस्या पर उन्मादी लोगों ने कहा कि कश्मीर के लोग तो बैलट पेपर पर चुनाव कराना चाहते थे तो मोबाइल फोन बंद होने पर खत का उपयोग क्यों नही कर रहे। ये सारी बातें काफी चटकारे लेकर सुनाई और प्रचारित की जाती रहीं और इसे मजाक कहा गया।

इस तरह की घटनाएं और प्रतिक्रियाएं समाज में और देश में सिर्फ वैमनस्य ही पैदा करती हैं और देश का माहौल खराब होता है। जो लोग इस तरह के अनर्गल और आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं या सोशल मीडिया पर इस तरह का प्रचार कर रहे हैं उन्हें जरा विवेक से काम लेना चाहिए। अगर अपने ही देश में रहने वालों के खिलाफ हम इस तरह की बातें करेंगे तो इससे गलत संदेशा जाएगा। हमें यह समझना होगा कि कश्मीर के लोग भी हमारे हैं, केवल भूभाग पर अधिकार से अपनत्व नहीं आता और इतिहास इसका साक्षी है।

● *विश्वामित्र राज, राजगीर (बिहार)*

मदद और सवाल

भारतीय रिजर्व बैंक के चौरासी साल के इतिहास में पहली बार अपने आरक्षित कोष से एक लाख छिहत्तर हजार करोड़ रुपए निकाल कर केंद्र सरकार को देने का फैसला किया है, ताकि देश की डगमगाती आर्थिक स्थिति को दुरस्त किया जा सके। हालांकि सरकार रिजर्व बैंक से पैसे लेने के लिए लंबे समय से दबाव बना रही थी। देश के कुछ बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इस तरह के कदम से भारतीय रिजर्व बैंक की साख पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। सवाल तो यह है कि इस बात की क्या गारंटी है कि पिछले पांच साल में भारतीय अर्थव्यवस्था जिस तरह से तहस-नहस हुई है, वह इस तरह की मदद से पटरी पर आ जाएगी। इस आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता कि कहीं भारत भी दूसरा अर्जेंटीना न बन जाए।

● *निर्मल कुमार शर्मा, गाजियाबाद*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

सही फैसला

फिलहाल अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है। इसलिए रिजर्व बैंक की ओर से वित्तीय रूप से सरकार के हाथ मजबूत करने की पहल को उपयुक्त समय पर उठाया गया कदम ही कहा जाएगा। यदि अर्थव्यवस्था की सुस्ती और गहराने के बाद रिजर्व बैंक की ओर से सरकार को 1,76,051 करोड़ रुपए हस्तांतरित करने का फैसला किया जाता तो शायद अनुकूल नतीजे हासिल करने में मुश्किल होती। रिजर्व बैंक के इस फैसले के बाद देश के कारोबार जगत के साथ-साथ आम जनता के बीच तो एक अच्छा संदेश जाएगा ही, वैश्विक निवेशकों को भी इसका एहसास होगा कि भारत ने आर्थिक सुस्ती को दूर भगाने के लिए कमर कस ली है। रिजर्व बैंक से उम्मीद से अधिक राशि मिलने से केंद्र सरकार को केवल खर्च बढ़ाने में ही मदद नहीं मिलेगी, बल्कि चालू वित्त वर्ष के शेष समय में बुनियादी ढांचे से लेकर सामाजिक क्षेत्र तक में खर्च बढ़ा कर मांग को बल देने में भी सहायता मिलेगी।

● *हेमंत कुमार, गोराडीह (भागलपुर)*

वाणी पर संयम बरतें नेता

जागरूक मीडिया के युग में अब राजनेताओं को जरा संभल कर काम करने और सतर्क होकर बात करने की आदत डाल लेनी चाहिए। किसी भी मामले में उतावलेपन और उत्तेजित होने से बचना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि जुबान ही लड़खड़ा जाए और अपना आपा खो बैठें। मजाक या ठिठोली आपस में वे भले ही व्यक्तिगत रूप से कर लें लेकिन सार्वजनिक रूप से उन्हें इन सब बातों से परहेज रखना चाहिए। एक बात और है। दीवारों के भी कान ही नहीं आंख-नाक सब होते हैं। मीडिया में व्यक्ति न सिर्फ सुनता और देखता है बल्कि हर बारीकी को मोबाइल कैमरे से कैद कर लेता हैं। राजनीतिज्ञ किसी भी दल के क्यों न हों आखिर वे हैं तो राजनेता। फिर कम से कम जवाबदार नेता, मंत्री, शासक, प्रशासक को तो बहुत ही सूझ-बूझ से काम लेना चाहिए। यह इसलिए कहने में आ रहा है कि पिछले काफी समय से देखने, सुनने और पढ़ने में आ रहा है कि नेताओं के बोल और व्यवहार दोनों ही कभी-कभी इतने निम्नस्तरीय हो जाते हैं कि उन्हें न तो बयां किया जा सकता है और न ही प्रकाशित और प्रसारित। सरकार और अन्य पार्टी प्रमुखों को ही ये सब बातें संज्ञान में लेनी पड़ेंगी और कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, तभी उनकी गिरती छवि को रोका जा सकता है।

● *शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर*

कुछ तो सबक लें

प्रज्ञा ठाकुर राजनीति के लिए नहीं बनी हैं। पिछली जिंदगी को लेकर उनकी मजबूरी और आदतें न तो उन्हें संयमी सांसद बनने दे रही हैं, न ही साध्वी रहने दे रही हैं। वे न घर की रहीं न घाट की। जब भी वे बोलेंगी, अपने और पार्टी दोनों के लिए संकट खड़ा करती रहेंगी। प्रत्येक दल में ऐसे लोग हैं जो पार्टी लाईन की परवाह किए बिना विवेक विचार आचरण कर संकट खड़ा करते रहते हैं और पार्टी नेतृत्व जैसे-तैसे सफाई देता रहता है। ऐसे माहौल में यदि आप किसी एक पर उंगली उठाते हैं तो चार आपके अपने पर उठती नजर आती हैं।

● *राधेश्याम तांबट, इंदौर*

नई फिल्म
- छिछोरे
- ड्रीम गर्ल

बॉक्स ऑफिस

फिल्म	कुल कमाई
मिशन मंगल	171 करोड़
बाटला हाउस	81.4 करोड़
जबरिया जोड़ी	16 करोड़
सुपर 30	143.55 करोड़

• 29 अगस्त तक की कमाई

जन्मदिन

राजकुमार राव	31 अगस्त
राम कपूर	1 सितंबर
विवेक ओबेरॉय	3 सितंबर
ऋषि कपूर	4 सितंबर

राजिंदर सिंह बेदी थे उर्दू के सदाबहार अफसानानिगार

जाहिद खान

उर्दू अदब की बात हो और वह राजिंदर सिंह बेदी के नाम के बिना खत्म हो जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। बेदी, उर्दू के सदाबहार अफसानानिगार थे। अपनी दिलचस्प कथा शैली और जुदा अंदाजे-बयां की वजह से वे उर्दू अफसानानिगारों में अलग से ही पहचाने जाते हैं। कहानी लिखने में उनका कोई सानी नहीं था। बेदी के कथा साहित्य में जन जीवन के संघर्ष, उनकी आशा-निराशा, मोहभंग और अंदर-बाहर की विसंगतियों पर सशक्त रचनाएं मिलती हैं।

1 सितंबर, साल 1915 में अविभाजित भारत के लाहौर में जन्मे राजिंदर सिंह बेदी की मातृ भाषा पंजाबी थी, लेकिन उनका सारा लेखन उर्दू में ही मिलता है। राजिंदर सिंह बेदी ने लेखक और फिल्मकार के रूप में खासी मकबूलियत पाई। उनकी पहली कहानी 1936 में आई। 'महारानी का तोहफा' यह कहानी 'अदबी दुनिया' पत्रिका के सालाना अंक में छपी थी। इस कहानी प्रकाशन के तीन साल बाद उनका पहला कहानी संग्रह 'दाना-ओ-दाम' प्रकाशित हुआ। इस कहानी संग्रह से ही उनका नाम उर्दू के बेहतरीन अफसानानिगारों की फेहरिस्त में शुमार होने लगा। सआदत हसन मंटो, कृश्न चंदर की तरह राजिंदर सिंह बेदी के अफसानों के भी चर्चे घर-घर में होने लगे।

जयंती

लाहौर से प्रकाशित होने वाले उस दौर की चर्चित पत्रिकाओं 'हुमायूं' और 'अदबी दुनिया' में उनकी कहानियां प्रमुखता से प्रकाशित होती थीं। 'दाना-ओ-दाम' के बाद बेदी के चार कहानी संग्रह 'गरहन' (साल 1942), 'कोखजली' (1949), 'अपने दुख मुझे दे दो' (1965) 'हाथ हमारे कलम हुए' (1974) और प्रकाशित हुए। उर्दू में ही नहीं बल्कि हिंदी में भी बेदी की किताबों के कई संस्करण अभी तल प्रकाशित हो चुके हैं।

उनकी कहानी कला पर मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी अपनी किताब 'उर्दू भाषा और साहित्य' में टिप्पणी करते हुए लिखते हैं, 'बेदी चाहे जिस क्षेत्र को चुनें, वे हमारी अनुभूतियों की कोई ऐसी रग छू देते हैं जिसका दुःख पहले सोया हुआ होता है, लेकिन उनके स्पर्श से पूर्णतः जागृत हो जाता है।' देश और पंजाब के बंटवारे पर बेदी ने 'लाजवंती' लिखी। जब भी बंटवारे पर लिखी कहानियों की बात होगी, 'लाजवंती' की बात जरूर होगी। बेदी की ज्यादातर कहानियों में महिलाओं के दुःख-दर्द, जज्बात और उनकी समस्याएं बड़ी ही संजीदगी से नुंमाया हुई हैं। 'लाजवंती' से लेकर 'युक्लिप्टस', 'बब्बल', 'एक लंबी लड़की' और 'दिवाला' आदि। उनके एक मात्र उपन्यास 'एक चादर मैली सी' के केन्द्र में भी एक औरत ही है। साल 1962 में प्रकाशित इस उपन्यास को साल 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

उर्दू अदब के साथ-साथ राजिंदर सिंह बेदी का फिल्मों से भी गहरा नाता रहा। दीगर साहित्यकारों के बनिस्बत वे इस विधा में ज्यादा कामयाब रहे। उनका मानना था, 'फिल्म, लघु कथा के करीब है।' फिल्मों में बेदी को कामयाबी, उनके इसी नजरिए के ही बदौलत मिली। साल 1949 में उन्होंने फिल्म 'बड़ी बहन' से जो फिल्मों में पटकथा व संवाद लिखना शुरू किया, तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी जिंदगी के आखिर तक वे फिल्मों से जुड़े रहे। उन्होंने कई फिल्मों के संवाद और पटकथाएं लिखीं। उनकी सभी फिल्में एक से बढ़कर एक है। अमिय चक्रवर्ती की 'दाग', सोहराब मोदी की 'मिर्जा गालिब', विमल राय की 'देवदास' व 'मधुमती' ऋषिकेश मुखर्जी की 'अनुराधा', 'अनुपमा', 'सत्यकाम' व 'अभिमान' समेत कई फिल्मों के जानदार और हृदयस्पर्शी संवाद बेदी की कलम से ही निकले। फिल्म 'देवदास' के संवादों में जो सहजता और संवेदनशीलता दिखलाई देती है, वह राजिंदर सिंह बेदी की धारदार कलम का ही कमाल है।

उर्दू-हिंदी पाठकों के दुलारे, बेहतरीन अफसानानिगार, फिल्म संवाद लेखक राजिंदर सिंह बेदी ने 11 नवम्बर, साल 1984 में हमसे अपनी आखिरी विदाई ली।

एंग्री बर्ड 2- अनुभव मजेदार : कपिल

आरती सक्सेना

लाखों करोड़ों दर्शकों को हंसाने वाले कपिल शर्मा का शो एक बार फिर नंबर वन पर है। वहीं वे हॉलीवुड कार्टून फिल्म 'एंग्री बर्ड 2' को लेकर भी चर्चा में हैं। इस फिल्म में कपिल ने रेड नामक किरदार को अपनी आवाज दी है। अपने अब तक के सफर और निजी जिंदगी के बारे में उनका क्या कहना है? ऐसे ही कई सवालों के दिलचस्प जवाब दिए कपिल शर्मा ने ...

आमने सामने

सवाल : पहली बार हॉलीवुड फिल्म 'एंग्री बर्ड 2' मे अपनी आवाज देते नजर आएंगे। इस बारे में बताएं।

● 'एंग्री बर्ड 2' में मैंने रेड नामक किरदार के लिए अपनी आवाज दी है । मैंने इसका पहला भाग देखा था मुझे बहुत ही मजा आया था। लिहाजा जब सोनी की तरफ से मुझे एंग्री बर्ड के दूसरे भाग के लिए अप्रोच किया गया तो मुझे ये काफी दिलचस्प लगा और मैं हामी भर दी। और मैं जहां जाता हूं वहां मैं अपने कॉमेडी परिवार को भी साथ ले जाता हूं। लिहाजा अर्चना पूरन सिंह और कीकू शारदा ने भी इस फिल्म में अपनी आवाज दी है।

सवाल : पहली बार डबिंग करने का अनुभव कैसा था?

● मुझे लगा था कि मुझे कार्टून की तरह आवाज निकालनी है। इसलिए जब मैं पहली बार एंग्री बर्ड के लिए डबिंग करने गया तो मैं कार्टून जैसी आवाज निकालने लगा। तब उन लोगों ने मुझसे कहा कि मुझे कार्टून जैसी आवाज नहीं निकालनी है बल्कि अपनी ही आवाज देनी है। सो मेरे लिए यह काम और आसान हो गया। हमने अपनी आवाज के जरिए एंग्री बर्ड को मनोरंजक बनाना था। सो हमने डबिंग के दौरान वो सभी बातें बोली जो आज की जिंदगी में बोली जाती है। इसमें कई कॉमेडी पंच भी थे सो बहुत मजा आया।

सवाल : आपके हर शो में आपकी मां साथ होती हैं लिहाजा आपने एक अच्छे बेटे होने का फर्ज तो पूरा कर दिया। साथ ही आपने एंग्री बर्ड के जरिए एक अच्छे पिता होने का भी फर्ज पूरा कर दिया। बेटे के आने से पहले ही आप कार्टून फिल्म में अपनी आवाज देने लगे?

● लड़का होगा या लड़की ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बस मैं तो यही चाहता हूं कि जो भी हो वो स्वस्थ हो। जहां तक बच्चे के लिए कार्टून फिल्म से जुड़ने का सवाल है तो ये तकदीर सब कुछ अपने आप ही करवा देती है। मेरा बच्चा जब बड़ा होगा तो शुरुआत में वह ऐसी ही कार्टून फिल्म देखेगा। लिहाजा जब वह समझदार होगा तो मैं उससे कहूंगा कि बासू ये मैं हूं जो रेड के रूप में फिल्म में आवाज निकाल रहा है। उसको भी अपने पापा पर गर्व और खुशी होगी।

सवाल : आपने हॉलीवुड की अंग्रेजी वर्जन में अपनी आवाज नहीं दी, इसकी खास वजह ?

● अरे कोई बुलाएगा तभी तो जाएंगे। ऐसे ही थोड़े ही घुस जाएंगे। और फिर इससे पहले जो फिल्में ऑफर हुई वे अंग्रेजी में थी और आपको तो पता है कि अंग्रेजी में मेरा हाथ तंग है। हिन्दी में एंग्री बर्ड करने का अलग ही मजा आया। वैसे भी हिन्दी वर्जन को इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है कि दर्शक सपरिवार एक साथ ये फिल्म देखने जा रहे हैं।

सवाल : फिल्म 'फिरंगी' की असफलता के बाद क्या भविष्य में आप फिल्में करेंगे ?

● हां क्यों नहीं। भले ही मेरी फिल्म फ्लॉप हो गई है लेकिन मेरे इरादे बुलंद हैं। मैं भविष्य में और फिल्मों में जरूर काम करूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि फिल्मों में भी मेरा एक ना एक दिन सितारा जरूर चमकेगा।

सवाल : हाल ही में आपका नाम लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्ड में दर्ज किया गया। आपके लिए पुरस्कार कितने मायने रखते हैं?

● जब आपको कोई पुरस्कार सम्मान मिलता है तो काम के प्रति आपका उत्साह दुगना हो जाता है ऐसा ही कुछ मेरे साथ तब हुआ जब कई सारे पुरस्कारों के साथ मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रेकार्ड में दर्ज किया गया। मेरे परिवार वालों को मेरी इस उपलब्धि से बहुत खुशी हुई।

सवाल : क्या सही में आपकी अंग्रेजी कमजोर है या फिर आप सबको हंसाने के लिए ऐसा करते हैं ?

● नहीं वाकई मुझे अंग्रेजी अच्छी बोलनी नहीं आती थी। मैं शुरुआती दिनों में बहुत टूटी-फूटी अंग्रेजी बोलता था। लेकिन अब मुंबई आकर लोगों से मिल-मिल कर मेरी अंग्रेजी काफी सुधर गई है। नाओ आई कैन टॉक इंग्लिश आई कैन वॉक इंग्लिश।

सवाल : आपके शो की बाग डोर सलमान खान ने उस वक्त संभाली जब आप काफी बुरे दौर से गुजर रहे थे। सलमान जैसे शुभ चिंतक और अच्छे दोस्त के बारे में आपका क्या कहना है?

● सलमान भाई तो सबकी मदद करते हैं। वे पूरी इंडस्ट्री के भाई जान हैं। उन्होंने सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि कई सारे लोगों की मदद की है। तभी तो इंडस्ट्री उनको भाई जान कहती है। मैं भी सलमान भाई का हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा जो उन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया।

सत्रीय नृत्य में आती है पूर्वोत्तर की सुगंध

शशिप्रभा तिवारी

पूर्वोत्तर सांस्कृतिक सौंदर्य में भी अनूठा है। ऐसा ही अनोखा है असम का सत्रीय नृत्य। इस नृत्य को अभी हाल ही में संगीत नाटक अकादमी की ओर से शास्त्रीय नृत्य की एक और शैली के रूप में मान्यता मिली है। अब इसे कलाकार विभिन्न मंचों पर लुभावने अंदाज में पेश करते हैं। इसी संदर्भ में सत्रीय बैठक का आयोजन किया गया।

नृत्योत्सव

पहले दो दिवसीय कार्यशाला में गुरु जतीन दास ने सत्रीय नृत्य की तकनीकी पक्ष से परिचित करवाया। पद संचालन, स्थान एवं स्थिति, हस्तकों के बारे में बताया। कथक नृत्य की तरह ही सत्रीय में भी कलाकार जब मंच पर प्रवेश करता है तो उसे स्थान कहते हैं और जब वह सम पर आता है तो उसे स्थिति कहते हैं।

सत्रीय नृत्य नवधा भक्ति की तरह है इसमें नामघर में गुरु के आसन के समक्ष शिष्य नाम प्रसंग का वर्णन व गायन करता है। समारोह के दौरान मीनाक्षी मेदी और अन्य प्रशिक्षुओं ने सत्रीय नृत्य की तकनीकी बारीकियों में चाली और ओजा पाली पेश किया।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में सत्र और असम के सत्रीय नृत्य पर चर्चा की गई। सत्रीय नृत्यांगना मीनाक्षी मेदी ने सत्रीय नृत्य की बारीकियों की चर्चा की। इसके अलावा, गुरु जतिन गोस्वामी, ओडिशी नृत्यांगना शेरॉन लॉवेन, कथक नृत्यांगना निशा महाजन, असम के देबाशीष और गीतार्थ दर्शन बरुआ ने सत्रीय नृत्य के स्थितियों पर चर्चा की।

सत्रीय नृत्य गुरु जतिन गोस्वामी ने कहा कि सत्रीय नृत्य को इक्कीसवीं सदी के आरंभ में बतौर शास्त्रीय नृत्य परंपरा मान्यता प्रदान की गई। माना जाता है कि इस नृत्य की शुरुआत 15वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के संत श्रीमंत शंकर देव ने की थी। जबकि अंकीय नाट की शुरुआत श्रीमंत शंकर देव के शिष्य श्रीमंत माधवदेव ने की। एक शरण धर्म यानि सत्र के प्रांगण में सत्रीय नृत्य को सत्र में रहने वाले ब्रह्मचारी शिष्य करते थे। वे सहज रूप में नाट्यशास्त्र, अभिनय दर्पण और संगीत रत्नाकार जैसे शास्त्रों के मार्ग का अनुसरण अपने नृत्य और नाट्य में करते थे।

इस परिचर्चा में ओडिशी नृत्यांगना शेरॉन लॉवेन ने कहा कि इसे स्कूलों और मंदिरों में प्रस्तुत कर लोकप्रिय बनाया जा सकता है। कथक नृत्यांगना निशा महाजन ने कहा कि यह नृत्य सत्र के गर्भ गृह से निकलकर मंच तक आया है। इसे कलाकारों को तय करना है कि वह इसे किस रूप में दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। इस दौरान देबाशीष मोहंता ने कहा कि नामकीर्तन और भावना के प्रति लोगों में जागरूकता है, पर इसे और लोकप्रिय बनाने की जरूरत है। जबकि गीतार्थ दर्शन ने कहा कि सत्रीय नृत्य की परंपरा को महानगरों में पोषित करने की जरूरत है।

शैलेंद्र (30 अगस्त, 1923- 14 दिसंबर, 1966)

एक गाने के पीछे की कहानी

गणेशनंदन तिवारी

हमारी याद आएगी

एक फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान 1964 में सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार साहिर लुधियानवी को 'जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा..' (ताजमहल) के लिए मिला। स्टेज पर साहिर ने कहा कि इसके हकदार हैं शैलेंद्र है, जिनका 'बंदिनी' में लिखा गीत 'मत रो माता लाल तेरे बहुतेरे...' देशप्रेम पर लिखा अब तक का सर्वश्रेष्ठ गीत है। साहिर ने शैलेंद्र को स्टेज पर बुलाया और पुरस्कार उनके साथ शेयर किया था। आज शैलेंद्र की 96वीं जयंती है।

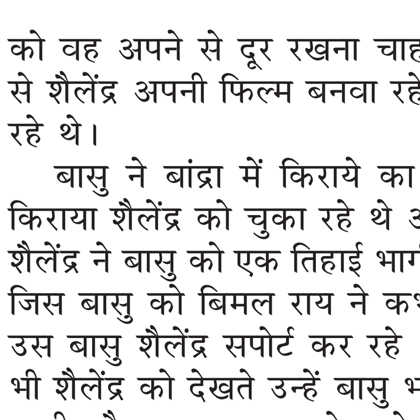

'तीसरी कसम' (1966) बनाना गीतकार शैलेंद्र के लिए 'आ बैल मुझे मार' जैसा था। फिल्म बनते बनते वह इसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु और निर्देशक बासु भट्टाचार्य से बोलचाल बंद कर चुके थे। राज कपूर से उनके रिश्तों में तनाव आ चुका था। घर गिरवी रखना पड़ा था। बासु भट्टाचार्य के कारण तो उन्हें बिमल राय और एसडी बर्मन के कोप का सामना करना पड़ा था और उनकी 'बंदिनी' (1963) छोड़नी पड़ी थी। शैलेंद्र ने 'बंदिनी' छोड़ी तब फिल्म का एक गाना लिखा जाना बाकी था। गुलजार ने यह बचा हुआ गाना लिखा जिसके बोल थे, 'मोरा गोरा रंग लई ले, मोहे श्याम रंग दई दे...'

बर्मनदा और शैलेंद्र के बीच अगर मतभेद थे, तो बिमल राय इसे सुलझा सकते थे। वे फिल्म के निर्माता थे। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया जबकि बिमल राय और शैलेंद्र लंबे समय से साथ काम कर रहे थे। बिमल राय की फिल्म 'दो बीघा जमीन' (1953) में 'धरती कहे पुकार के बीज बिछा ले प्यार के...' जैसे गाने से शैलेंद्र और राय का रिश्ता बना था। राय के कहने पर उनकी फिल्म 'परख' के संवाद भी शैलेंद्र ने लिखे थे। तभी वह बासु भट्टाचार्य के करीब आए थे, जो 'परख' में बिमल राय के चौथे नंबर के असिस्टेंट थे। बासु सांताक्रुज के एक पुराने बंगले में रहते थे, जिसका 70 रुपया महीना किराया भी भर नहीं पाते थे। यह पैसा शैलेंद्र भरते थे। 'परख' के दौरान बासु बिमल राय के घर आते जाते थे।

बिमल राय की बेटी रिंकी और बासु में प्यार हो गया। खबर लगते ही बिमल राय परेशान हो गए। उन्हें यह रिश्ता पसंद नहीं था। मगर रिंकी और बासु इतने आगे बढ़ गए थे कि उनका पीछे लौटना मुमकिन नहीं था। लिहाजा 1963 की जनवरी में पत्र लिख कर घर छोड़ने के बाद रिंकी ने बासु से शादी कर ली।

बिमल राय को लगा कि उनका सारा अस्तित्व ही हिल गया। इस वाकए ने उन्हें इतना तोड़ दिया कि कई दिनों तक वह मोहन स्टूडियो नहीं गए, जहां 'बंदिनी' की शूटिंग चल रही थी। जीवन भर बिमल राय ने इस रिश्ते को मान्यता नहीं दी। बासु भट्टाचार्य का नाम तक सुनना उन्हें पसंद नहीं था। उनसे जुड़ी हर चीज को वह अपने से दूर रखना चाहते थे। जबकि बासु से शैलेंद्र अपनी फिल्म बनवा रहे थे। उन्हें सहारा दे रहे थे।

बासु ने बांद्रा में किराये का घर लिया, जिसका किराया शैलेंद्र को चुका रहे थे और तीसरी कसम में शैलेंद्र ने बासु को एक तिहाई भागीदारी तक दे दी थी। जिस बासु को बिमल राय ने कभी माफ नहीं किया, उस बासु शैलेंद्र सपोर्ट कर रहे थे। बिमल राय जब भी शैलेंद्र को देखते उन्हें बासु भट्टाचार्य की याद आ जाती और वह असहज हो जाते थे। शैलेंद्र यह बात महसूस कर रहे थे। बिमल राय, बर्मनदा और शैलेंद्र के रिश्तों में अब वह गर्मी नहीं रह गई थी। शैलेंद्र समझ गए थे कि यह हालात इसलिए बने हैं क्योंकि बासु उनकी फिल्म 'तीसरी कसम' के निर्देशक हैं। नतीजा यह हुआ कि शैलेंद्र ने बासु भट्टाचार्य से बात करना बंद कर दिया। एसडी बर्मन से मतभेद के कारण शैलेंद्र को 'बंदिनी' छोड़नी पड़ी थी, फिल्म इंडस्ट्री में यही बात प्रचारित हुई थी। मगर बर्मनदा और शैलेंद्र के रिश्तों में इतनी तल्खी नहीं थी। अगर होती तो बर्मनदा शैलेंद्र से इसके बाद 'गाइड' (1966) के गाने नहीं लिखवाते।

खबर कोना

इंदिरा गांधी की बायोपिक में होंगी विद्या बालन

बॉलीवुड के एक के बाद एक कलाकार वेब सीरीज में एंट्री कर रहे हैं। वहीं इस सूची में अब विद्या बालन का नाम भी शामिल हो गया है। विद्या बालन वेब सीरीज में इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आएंगी। इस वेब सीरीज का निर्देशन रितेश बत्रा कर रहे हैं। 'द लंच बॉक्स' और 'फोटोग्राफ' से चर्चा में आए रितेश बत्रा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन पर आधारित वेब सीरीज का निर्देशन करेंगे। सुनने में आया है कि विद्या ने सागरिका घोष की लिखी किताब 'इंदिरा: इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर' के अधिकार खरीद लिए हैं। यह वेब सीरीज इसी किताब पर आधारित है। पिछले दिनों विद्या बालन ने वेब सीरीज में काम करने की बात स्वीकारते हुए कहा था कि मैं पहली बार किसी वेब सीरीज में अभिनय कर रही हैं। यह मेरी पहली वेब सीरीज है। फिलहाल विद्या अपनी फिल्म मिशन मंगल की बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई से बेहद खुश हैं।

'लाल कप्तान' अक्तूबर में होगी रिलीज

बॉलीवुड के नवाब सैफ अली खान के प्रशंसकों को उनकी फिल्म 'लाल कप्तान' के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। सैफ की एपिक एक्शना ड्रामा फिल्म 'लाल कप्तान' अब 11 अक्तूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पहले यह फिल्म छह सितंबर को रिलीज होनी थी। 'एनएच 10' से प्रसिद्धि पाने वाले नवदीप सिंह ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। सैफ ने इस फिल्म में एक नगा साधु का किरदार निभाया है। 'इरोस इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड' के प्रबंध निदेशक सुनील लल्ला और फिल्मकार आंनद एल राय भी इस फिल्म को छह सितंबर को रिलीज करना चाहते थे। कारण कि छह सितंबर सैफ अली खान का जन्मदिन है। फिल्मकार आनंद एल. राय ने कहा, 'एक टीम के तौर पर सैफ के जन्मदिन पर लाल कप्तान की रिलीज की तारीख की घोषणा करते हुए हम खुश हैं।'

'करगिल गर्ल' की मुख्य भूमिका में जाह्नवी कपूर

धड़क से अपने अभिनय की शुरुआत करने वाली जाह्नवी कपूर 'गुंजन सक्सेना- द करगिल गर्ल' में मुख्य भूमिका निभाएंगी। फिल्म के निर्माता करण जौहर ने ट्विटर पर इसकी घोषणा की। यह फिल्म भारतीय वायु सेना की फ्लाइंग ऑफिसर गुंजन सक्सेना के जीवन पर आधारित है। करण जौहर ने ट्वीट किया 'उन्हें बताया गया था कि लड़कियां पायलट नहीं बनतीं, लेकिन वे उड़ान भरने की अपनी चाह पर अड़ी रहीं। गुंजन सक्सेना-#द करगिल गर्ल 13 मार्च, 2020 को रिलीज होगी।' 'अदम्य साहस और बहादुरी के साथ उन्होंने पुरुष के दबदबे वाली इस दुनिया में अपना प्रभाव जमाया।'

कॉमेडी करने की भरपूर कोशिश की है : जॉन अब्राहम

बॉलीवुड के हैंडसम जॉन अब्राहम की फिल्म बाटला हाउस बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस फिल्म को लेकर उनकी वाहवाही भी खूब हो रही है। वहीं सुनने में आ रहा है कि कुछ सालों से फिल्मों में एक्शन अवतार में नजर आने वाले जॉन अब्राहम पर्दे पर कॉमेडी करते नजर आएंगे। जॉन इस साल के अंत में फिल्म 'पागलपंती' में कॉमेडी करते दिखेंगे। जॉन ने कहा, 'अंतिम बार जब मैंने कॉमेडी की थी तो वे 'वेलकम बैक' थी और 'पागलपंती' में आप मेरे हाव-भाव देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं वही जॉन हूं। इसमें आपको साफ बदलाव महसूस होगा।' इस फिल्म में जॉन और अनीश बज्मी एकबार फिर से साथ आ रहे हैं। बज्मी ने 'वेलकम बैक' फिल्म का निर्देशन किया था। फिल्म में अनिल कपूर, इलियाना डी क्रूज, अरशद वारसी, पुलकित सम्राट, कृति खरबंदा, उर्वशी रौतेला और सौरभ शुक्ला हैं। फिल्म आठ नवंबर को रिलीज होगी।

11 न्यायाधीशों वाले पीठ ने निलंबित किया एकल न्यायाधीश के आदेश को

पटना, 29 अगस्त (भाषा)।

पटना हाई कोर्ट की 11 न्यायाधीशों के पीठ ने एक अभूतपूर्व कार्रवाई में एक दिन पहले एक न्यायाधीश द्वारा पारित एक आदेश को गुरुवार को निलंबित कर दिया, जिसमें उन्होंने हाई कोर्ट और संपूर्ण न्यायिक प्रणाली में कथित जातिवाद और भ्रष्टाचार पर अपनी चिंता व्यक्त की थी।

बिहार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि न्यायमूर्ति राकेश कुमार ने बुधवार को पारित अपने एक आदेश में हाई कोर्ट और संपूर्ण न्यायिक प्रणाली में कथित जातिवाद और भ्रष्टाचार पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। आदेश में सेवानिवृत्त हो गए या जिनका निधन हो गया है, ऐसे पूर्व न्यायाधीशों के खिलाफ भी कुछ प्रतिकूल टिप्पणी की गई थी।

उन्होंने बताया कि मुख्य न्यायाधीश एपी शाही ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 11 न्यायाधीशों वाले एक पीठ का गठन किया और उनकी अगुआई वाले इस पीठ ने गुरुवार को एकल न्यायाधीश के आदेश की घोर निंदा करते हुए कहा कि यह न्यायिक पदानुक्रम, सत्यनिष्ठा और अदालत के गौरव पर हमले के समान है। इसके बाद पीठ ने आदेश को निलंबित कर दिया।

पटना हाई कोर्ट

● न्यायमूर्ति राकेश कुमार ने बुधवार को पारित अपने एक आदेश में हाई कोर्ट और संपूर्ण न्यायिक प्रणाली में जातिवाद और भ्रष्टाचार पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। मुख्य न्यायाधीश एपी शाही ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 11 न्यायाधीशों वाले एक पीठ का गठन किया और उनकी अगुआई वाले इस पीठ ने गुरुवार को एकल न्यायाधीश के आदेश की घोर निंदा करते हुए कहा कि यह न्यायिक पदानुक्रम, सत्यनिष्ठा और अदालत के गौरव पर हमले के समान है।

महाधिवक्ता ने कहा कि 11 न्यायाधीशों वाले पीठ ने यह भी फैसला किया कि एकल न्यायाधीश के आदेश की सामग्री को कहीं भी संप्रेषित नहीं किया जाएगा और उसके आदेश को आगे की कार्रवाई के लिए प्रशासनिक स्तर पर मुख्य न्यायाधीश के पास रखा जाएगा। न्यायमूर्ति कुमार ने उक्त आदेश भ्रष्टाचार के एक मामले में आरोपी पूर्व आइएएस अधिकारी केपी रमैया को एक सतर्कता अदालत द्वारा जमानत दिए जाने पर स्वतः संज्ञान लेते हुए दिया था।

न्यायमूर्ति कुमार ने 23 मार्च 2018 को रमैया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी जिसके बाद सतर्कता अदालत में आत्मसमर्पण करने पर उनको जमानत मिली थी। इससे पहले पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अदालत की रजिस्ट्री में प्रकाशित एक नोटिस में कहा गया था कि न्यायमूर्ति कुमार के समक्ष लंबित सभी मामले तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाते हैं और कोर्ट मास्टर को यह निर्देश दिया जाता है कि वह बताएं कि किन परिस्थितियों में निष्पादित किया जा चुका मामला अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए लाया गया।

जन आंदोलन बने फिटनेस : प्रधानमंत्री

पेज 1 का बाकी

बने। देश के हर गांव, पंचायत और स्कूलों तक इसे पहुंचाना होगा।'

मोदी ने बदलती जीवनशैली को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए जिम्मेदार बताते हुए कहा कि मोबाइल ऐप पर टिकी फिटनेस से काम नहीं चलने वाला। उन्होंने कहा, 'कुछ दशक पहले तक हम पैदल चलने, साइकलिंग या शारीरिक श्रम से पीछे नहीं हटते थे लेकिन तकनीक ने हमें आलसी बना दिया। बीमारियों की संख्या बढ़ती जा रही है जो चिंता का सबब है और इससे निजात पाने के लिए हमें जीवनशैली बदलनी होगी।' प्रधानमंत्री ने कहा कि इन बदलावों के लिए समूचे देश को प्रेरित करने का नाम ही 'फिट इंडिया आंदोलन' है।

उन्होंने दुनिया के अग्रणी देशों में चल रहे फिटनेस अभियान का हवाला देते हुए कहा कि चीन 'हेल्दी चाइना 2030' के लिए मिशन मोड में काम कर रहा है। आस्ट्रेलिया ने 2030 तक अपने 15 फीसद नागरिकों को व्यायाम में सक्रिय बनाने का लक्ष्य रखा है। ब्रिटेन में 2020 तक पांच लाख नए लोग व्यायाम से जुड़ेंगे जबकि अमेरिका 2021 तक करीब 1000 शहरों को फ्री फिटनेस अभियान से जोड़ेगा।' मोदी ने कहा, 'दुनिया के सभी देशों में जागरूकता बढ़ी है। भारत में भी कुछ लोगों को नहीं बल्कि देश के हर नागरिक को फिट होना होगा जबकि श्रेष्ठ और सशक्त भारत बनेगा।' उन्होंने लोगों से अपने पसंदीदा आइकन का अनुसरण करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, 'आपके जो भी आदर्श हों चाहे खिलाड़ी, बॉलीवुड स्टार या उद्योगपति, सफल लोगों का आम स्वभाव फिटनेस पर उनका भरोसा है। जो फिट है, वह हिट है और बाडी फिट तो माइंड हिट। मैं फिट तो इंडिया फिट को अपना मूलमंत्र बनाना होगा।'

विदेश मंत्रालय ने कहा, हमारे अंदरूनी मामलों में टिप्पणी न करे पाक

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 अगस्त।

पाकिस्तानी नेताओं के भड़काऊ और गैरजिम्मेदाराना बयानों को लेकर विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कड़ी टिप्पणी की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान का मकसद क्षेत्र में माहौल खराब करना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नेता भारत में हिंसा भड़काने और जिहाद की अपील कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी नेतृत्व के अति गैर-जिम्मेदाराना बयानों की भर्त्सना करते हुए उसे भारत के अंदरूनी मामलों पर टिप्पणी न करने की नसीहत दी है।

विदेश मंत्रालय ने कहा, 'हम भारत के अंदरूनी मामलों के बारे में पाकिस्तानी नेतृत्व के अति गैर-जिम्मेदाराना बयानों की कड़ी भर्त्सना करते हैं। पाकिस्तान से 40-50 बयान आ चुके हैं। ये ऐसे बयान हैं, जो बेहद गैर जिम्मेदाराना हैं। इनका मकसद क्षेत्र में गंभीर स्थिति का माहौल पेश करना है। भारत इन बयानों की कड़ी निंदा करता है। साथ ही उम्मीद करता है कि वह भारत में हिंसा के लिए उकसाना, आतंकवाद फैलाना और घुसपैठ कराना बंद करके सामान्य पड़ोसी जैसी व्यवहार करेगा।'

रवीश कुमार ने कहा कि पाकिस्तानी नेतृत्व मामले को तूल देना चाहता है, ताकि दुनिया को लगे कि कुछ हो रहा है। लेकिन वास्तव में स्थिति अलग है, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। पाकिस्तान की ओर से जो भी कहा जा रहा है, वह झूठ और मनगढंत है। एक सवाल पर रवीश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद को सरकारी नीति के हिस्सा के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।

भाजपा के सदस्यों की संख्या 18 करोड़

पेज 1 का बाकी

अधिक रहा। उन्होंने कहा कि पार्टी की ऑनलाइन सदस्यता 5,81,34,242 रिकॉर्ड की गई जो हमारी पूर्व सदस्य संख्या की तुलना में 50 फीसद से भी अधिक है।

ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से 62,34,967 नए सदस्य जुड़े हैं। इस सदस्यता अभियान के दौरान बने पार्टी के नए सदस्यों की कुल संख्या 7 करोड़ के लगभग होगी। नए सदस्यों के जुड़ने के साथ ही अब भाजपा के लगभग 18 करोड़ सदस्य हो गए हैं। विश्व में अभी केवल सात ही देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या भाजपा के सदस्यों की संख्या से अधिक है। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान की सफलता के लिए 1,85,965 विस्तारकों ने 7 दिन तक लगातार बूथ, मंडल और जिला स्तर पर कार्य किया।

राज्यसभा उपचुनाव 23 सितंबर को

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 अगस्त।

निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश से दो राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव की गुरुवार को घोषणा की। ये सीटें भाजपा में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के सदस्यों के इस्तीफा देने के कारण रिक्त हो गई थीं। उपचुनाव 23 सितंबर को होगा और मतगणना भी उसी शाम होगी। आयोग ने कहा कि उपचुनाव संबंधी अधिसूचना पांच सितंबर को जारी की जाएगी। इस माह की शुरुआत में संजय सेठ और सुरेंद्र सिंह नागर ने सपा व राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। उच्च सदन में उनका कार्यकाल सात जुलाई, 2022 को समाप्त होने वाला था।

करतारपुर गलियारे के उद्घाटन पर बैठक आज

पेज 1 का बाकी

लेकर चर्चा होगी। दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच यह पहला वीजा मुक्त गलियारा होगा। दूसरी तरफ, पाकिस्तान ने कहा है कि नवंबर में गुरु नानक की 550वीं जयंती समारोह में भाग लेने की योजना बना रहे भारत और अन्य देशों के तीर्थयात्रियों के लिए एक सितंबर से एक महीने तक वीजा जारी करने संबंधी कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान और भारत गुरु नानक के 550वें प्रकाश पर्व के मौके पर 12 नवंबर को लाहौर से करीब 125 किलोमीटर दूर नारोवाल में गलियारे के उद्घाटन के संबंध में तौर-तरीकों पर विचार करेंगे।

सिखों के बेहद पवित्र तीर्थस्थलों में से एक करतारपुर साहिब गुरुद्वारा भारतीय सीमा से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान में स्थित है। यह गलियारा पाकिस्तान के करतारपुर में दरबार साहिब को गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे से जोड़ेगा। सिख तीर्थयात्रियों को करतारपुर साहिब जाने के लिए केवल अनुमति लेनी होगी। करतारपुर साहिब की स्थापना गुरु नानक देव ने 1522 में की थी।

मेंढर में स्कूल पर की पाक फौज ने गोलाबारी

पेज 1 का बाकी

से गोले दागे। मेंढर सेक्टर में गोलाबारी के दौरान पड़ोसी मुल्क ने बेहद कायराना हरकत की। पाकिस्तानी चौकियों से एक स्कूल को निशाना बनाकर गोले दागे गए। इस दौरान सैकड़ों बच्चे स्कूल में ही फंस गए। जवाब में भारतीय सेना ने भी जमकर गोलाबारी की। सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक, पाकिस्तान की ओर से गुरुवार सुबह 11:30 बजे पहले गोलाबारी शुरू की गई। फिर मोर्टार के गोले दागे गए। गोले स्कूल के आसपास गिरे। इस दौरान बच्चे स्कूल में फंसे रहे। सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और जमकर गोलीबारी की। स्कूल में फंसे सभी बच्चों को सावधानी से सुरक्षित निकाल लिया गया। प्रवक्ता के अनुसार पुंछ और राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान सेना की ओर से लगातार तीसरे दिन संघर्षविराम का उल्लंघन किया गया।

धनशोधन मामले में चिदंबरम की अपील पर फैसला पांच को

पेज 1 का बाकी

बोपन्ना के पीठ ने आइएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में चिदंबरम को गिरफ्तारी से मिले संरक्षण की अवधि भी पांच सितंबर तक बढ़ा दी है। इस बीच, पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय को वे दस्तावेज और सामग्री सीलबंद लिफाफे में पेश करने का निर्देश दिया है जिसे वह इस मामले में अदालत के अवलोकन के लिए देना चाहता था। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सोमवार तक सीबीआइ की हिरासत में रहने की अदालत में पेशकश की। लेकिन पीठ ने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया क्योंकि महान्यायवादी तुषार मेहता का कहना था कि हिरासत की अवधि तो सिर्फ सीबीआइ अदालत ही बढ़ा सकती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इस सवाल पर निर्णय लेगी कि क्या उसे प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सीलबंद लिफाफे में पेश दस्तावेजों का अवलोकन करना चाहिए।

इससे पहले दिन में सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से महान्यायवादी तुषार मेहता ने अदालत में बहस करते हुए कहा कि धनशोधन समाज और राष्ट्र के खिलाफ अपराध है और आइएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए पूर्व वित्त मंत्री से हिरासत में पूछताछ करने की आवश्यकता है। मेहता ने पीठ से कहा कि वह फिलहाल चिदंबरम से जांच के दौरान जुटाई गई सामग्री को नहीं दिखा सकता क्योंकि धन किन-किन हाथों से गुजरा, इससे जुड़े साक्ष्य को नष्ट किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अग्रिम जमानत के स्तर पर आरोपी को सामग्री, सूत्र और साक्ष्य दिखाने की कोई जरूरत नहीं है और जांच करना जांच एजंसी का विशेषाधिकार वाला क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि धनशोधन समाज और राष्ट्र के खिलाफ अपराध है और समूची साजिश का पता लगाना जांच एजंसी का अधिकार और कर्तव्य है। मेहता ने कहा कि शीर्ष अदालत लगातार कहती रही है कि आर्थिक अपराध गंभीर से गंभीरतम प्रकृति के हैं, भले ही उनके लिए सजा कुछ भी निर्धारित हो।

बिहार से दिल्ली तक लालटेन जलाने की तैयारी में राजद

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 अगस्त।

लोकसभा चुनाव में बिहार के अपने सियासी गढ़ में चारों खाने चित होने के बाद सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की अगुआई वाला राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नए सिरे से अपने रुठे मतदाताओं को मनाने की कवायद में जुट गया है। लोकसभा चुनाव के बाद से सियासी परिदृश्य से गायब हुए पार्टी नेता तेजस्वी यादव ने फिर से कमान संभाल ली है। अगले साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी कुछ ही महीनों बाद होने वाले दिल्ली विधानसभा के चुनाव में किस्मत आजमाने की तैयारी में है।

राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव व बिहार विधान परिषद के सदस्य कमर आलम ने कहा कि यह झूठ फैलाया गया कि पार्टी नेता व बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव गायब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वे दिल्ली में ही थे और कुछ जरूरी काम में व्यस्त होने की वजह से पार्टी की गतिविधियों में अपेक्षाकृत कम शिरकत कर पा रहे थे। लेकिन अब उन्होंने पूरी तरह कमान संभाल ली है और पार्टी संगठन को नए सिरे से चुस्त दुरुस्त करने की कवायद तेज कर दी गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में पार्टी मजबूत बनकर उभरेगी। दिल्ली में पार्टी के नए अध्यक्ष बनाए गए मनोज चौधरी ने कहा कि दिल्ली वे आसपास के क्षेत्रों में राजद के संगठन को मजबूत किया जाएगा और पार्टी दिल्ली विधानसभा के चुनाव में अपनी किस्मत जरूर आजमाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की 70 सीटों पर मुकाबला अकेले करना है अथवा बिहार में पार्टी की सहयोगी कांग्रेस के साथ करना है, यह पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा लेकिन दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ने को लेकर कोई संशय की स्थिति नहीं है।

दिल्ली छोड़ कर केरल जाने की चाको की चाहत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 अगस्त।

दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर आग्रह किया है कि उन्हें दिल्ली की जवाबदेही से मुक्त किया जाए क्योंकि उनको सूबे में कांग्रेस का प्रभार देखते करीब साढ़े चार साल का लंबा अर्सा पूरा हो चुका है। चाको ने कांग्रेस अध्यक्ष से यह इच्छा भी जताई है कि वे अपने गृह प्रदेश केरल की राजनीति में पार्टी को मजबूत करने में योगदान देना चाहते हैं। ऐसे संकेत हैं कि दिल्ली में नए कांग्रेस अध्यक्ष के साथ साथ अब नए प्रभारी की भी नियुक्ति की जा सकती है।

दिल्ली की जिम्मेदारी छोड़ने संबंधी आग्रह को लेकर पूछने पर चाको ने कहा कि यह बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात कर उनसे आग्रह किया कि उनको दिल्ली की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाए। चाको ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष से उन्होंने यह भी आग्रह किया कि उन्हें केरल में पार्टी को मजबूत करने का अवसर दिया जाए। गृह प्रदेश होने की दलील देते हुए उन्होंने गांधी से कहा कि वहां पर वे पार्टी के लिए और ज्यादा मजबूती से काम कर सकेंगे।

कांग्रेस के प्रभारी चाको ने कहा कि यह कहना सही नहीं है कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष को कोई चिट्ठी लिखी है। उन्होंने कहा कि यह जरूर सही है कि उन्होंने खुद कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात कर उनसे कहा है कि दिल्ली में काम करते साढ़े चार साल हो गए, लिहाजा अब उन्हें पदमुक्त किया जाए।

दिल्ली विधानसभा के आगामी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस हाईकमान सबसे पहले दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की कवायद में जुटा है। सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश अध्यक्ष पद संभाल रही शीला दीक्षित के पिछले दिनों निधन के बाद से यह पद खाली पड़ा है। अब चाको के पद छोड़ने के आग्रह के बाद पार्टी को दिल्ली में नया प्रभारी भी नियुक्त करना पड़ेगा। समझा जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अगले कुछ दिनों में इस मुद्दे पर फैसला कर सकती हैं।

दिल्ली के प्रभारी के तौर पर चाको का कार्यकाल अच्छा नहीं रहा क्योंकि करीब साढ़े चार साल के उनके कार्यकाल के दौरान पार्टी एक भी चुनाव नहीं जीत पाई।

कार्मिक, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की टीमें जाएंगी कश्मीर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 अगस्त।

जम्मू कश्मीर को विभाजित कर बनाए गए दो केंद्र शासित प्रदेशों के आगामी 31 अक्तूबर को अस्तित्व में आने पर कर्मचारियों के बंटवारे एवं प्रशासनिक सुधारों से जुड़े मुद्दों पर गौर करने के लिए कार्मिक मंत्रालय की एक उच्चस्तरीय टीम अगले हफ्ते वहां का दौरा करेगी। साथ ही, बागवानी और जैविक खेती के क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की एक टीम भी जल्द ही राज्य का दौरा करेगी। इसके अलावा, अल्पसंख्यक आयोग की टीम भी अगले महीने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का दौरा करेगी।

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह की पहल पर दोनों टीमें भेजी जा रही हैं। सिंह के पास पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का भी प्रभार है। अधिकारियों के मुताबिक, कार्मिक मंत्रालय की टीम तीन सितंबर को जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी। वह राज्यपाल सत्यपाल मलिक एवं प्रशासन के अन्य अधिकारियों से मिलेगी और कर्मचारी एवं प्रशासनिक सुधारों से जुड़े मुद्दों पर गौर करेगी।

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019 के मुताबिक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) एवं भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) जैसी अखिल भारतीय सेवाएं और भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (एसीबी) उपराज्यपाल (एलजी) के नियंत्रण में रहेंगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बगैर विधानसभा के होगा और वहां के अधिकारी सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में होंगे। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को रद्द करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों -जम्मू कश्मीर और लद्दाख- में विभाजित करने के केंद्र के फैसले के बाद स्थानीय प्रशासन की मदद करने के लिए कई केंद्रीय टीमों ने वहां का दौरा किया है।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद स्थानीय लोगों से संवाद करने और उनके मुद्दों को समझने के मकसद से अगले महीने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की एक उच्चस्तरीय टीम दोनों प्रस्तावित केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा करेगी। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सैयद गैयुरूल हसन रिजवी के मुताबिक, आयोग की मासिक बैठक में यह निर्णय किया गया कि अगले महीने के पहले पखवाड़े में आयोग की उच्चस्तरीय टीम जम्मू, कश्मीर और लद्दाख का दौरा करेगी। आयोग की यह पहल इस मायने में महत्त्वपूर्ण है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख अल्पसंख्यक बहुल हैं। कश्मीर मुसलिम बहुल है तो लद्दाख में भी मुसलिम और बौद्ध आबादी बहुसंख्यक है। जम्मू क्षेत्र में मुसलिम समुदाय की अच्छी-खासी आबादी है और वहां सिख समुदाय के लोग भी रहते हैं।

तीस्ता सीतलवाड मामले में सीजेआइ से हस्तक्षेप की मांग

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 अगस्त।

गुजरात के एक निवासी ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड और उनके पति से जुड़े आपराधिक मामलों की जल्द सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश (सीजेआइ) रंजन गोगोई से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। यह मामला चार साल से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। सीतलवाड के पूर्व सहयोगी रईसखान अजीज खान पठान ने दो मामलों की ओर न्यायमूर्ति गोगोई का ध्यान आकृष्ट करने के लिए एक पत्र लिखा है। पत्र में पठान ने कहा है कि चार साल हो जाने के बाद भी मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किए गए हैं। पठान ने सीतलवाड के एनजीओ सिटिजंस फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी) में काम किया था।

पठान ने सीतलवाड और उनके पति के खिलाफ गुजरात पुलिस और सीबीआइ द्वारा दर्ज किए गए आपराधिक मामलों का उल्लेख किया है। वे मामले धन के कथित गबन और विदेशी चंदा विनियमन कानून (एफसीआरए) के कथित उल्लंघन से संबंधित हैं। ये मामले 2015 में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे। उन्होंने एक अन्य मामले का भी जिक्र किया जिसमें उन लोगों द्वारा संचालित एक अन्य एनजीओ 'सबरंग ट्रस्ट' को मानव संसाधन विकास मंत्रालय से कथित रूप से धोखाधड़ी से धन प्राप्त हुआ था। यह मामला इस साल मार्च में शीर्ष अदालत में सुनवाई के लिए आया था। ये मामले दंपति की अग्रिम जमानत से जुड़े हैं। पठान ने लिखा कि कृपया इस बात पर गौर करें कि चार साल के अंतराल के बाद भी पहले मामलों में सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। पठान ने प्रधान न्यायाधीश को 11 अगस्त को पत्र लिखा था। पठान ने गुजरात में 2002 के दंगा पीड़ितों के लिए सीतलवाड के साथ काम किया था।

'अनुकूल समय पर करेंगे हवाई क्षेत्र बंद करने पर फैसला'

इस्लामाबाद, 29 अगस्त (भाषा)।

पाकिस्तान ने गुरुवार को कहा कि भारत के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने का फैसला फिलहाल नहीं किया गया है, लेकिन वह अपने लिए अनुकूल समय पर इसका आदेश दे सकता है। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने गुरुवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर शीर्ष स्तर पर चर्चा हुई है। डॉन अखबार ने उनके हवाले से कहा, "कई विकल्पों में से एक यह भी है जिसपर विचार किया जा रहा है। हम प्रतिबंध का फैसला अपने लिये अनुकूल समय पर करेंग।

विदेश कार्यालय के प्रवक्ता की यह टिप्पणी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने का फैसला नहीं किया गया है और इस तरह का कोई भी कदम सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के बाद उठाया जाएगा। विदेश मंत्री ने भारत के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने संबंधी डॉन की रिपोर्ट को खारिज करते हुए उसे 'अटकलबाजी' करार दिया था।

पाकिस्तान की चिट्ठी में खट्टर और कई अन्य का भी जिक्र

पेज 1 का बाकी

को लिखे इस पत्र में उन्होंने भारत के खिलाफ अपने कुप्रचार के तहत जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। 'लैंगिक हिंसा का हथियार के रूप में इस्तेमाल' शीर्षक के तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और भाजपा विधायक विक्रम सैनी के बयानों का जिक्र किया गया है।

खट्टर ने 10 अगस्त 2019 को बयान दिया था। खट्टर ने बयान दिया था, 'कुछ लोग अब कह रहे हैं कि जैसे ही कश्मीर खुला है, वहां से दुल्हनें लाई जाएंगी...। लेकिन मजाक से हटकर अगर (लिंग) अनुपात में सुधार किया जाता है, तो समाज में सही संतुलन होगा। हरियाणा में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान सफल रहा है।' हालांकि, बाद में खट्टर ने अपने इस बयान पर सफाई दी थी और लिंगानुपात का हवाला दिया था।

पाकिस्तान की चिट्ठी में विधायक विक्रम सैनी के छह अगस्त को आए एक वीडियो का जिक्र किया गया है, जिन्होंने कहा था, 'मुसलिम पार्टी कार्यकर्ताओं को नए प्रावधानों का आनंद लेना चाहिए। वे अब कश्मीर की गोरी चमड़ी वाली महिलाओं से शादी कर सकते हैं।' शिरीन ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के कुछ ट्वीट का भी हवाला दिया है, जो उन्होंने पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने की प्रतिक्रिया में लिखा था। महबूबा मुफ्ती ने इसे भारत के लोकतंत्र का काला दिन बताया था। उन्होंने महबूबा मुफ्ती और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को नजरबंद किए जाने का जिक्र किया है। शिरीन मजारी ने अपने पत्र में कई विदेशी मीडिया की रिपोर्ट का हवाला दिया है। एक गूगल सर्च की खास तौर से चर्चा की है, जिसमें कहा गया है कि पांच अगस्त के बाद से भारत में 'हाऊ टू मैरी कश्मीर वुमन' के सर्च बढ़ गए हैं।

कश्मीर कभी पाकिस्तान का था ही नहीं : राजनाथ

पेज 1 का बाकी

के रिश्ते रखना चाहता है, लेकिन उसे पहले भारत में आतंकवाद का निर्यात बंद करना चाहिए। मंत्री ने 'किसान-जवान विज्ञान मेला' का उद्घाटन करने के बाद कहा, 'पाकिस्तान का कश्मीर पर कोई अधिकार नहीं है। हालांकि, उसने गिलगिट बाल्टिस्तान समेत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर अवैध कब्जा कर रखा है।' सिंह ने कहा कि संसद ने फरवरी 1994 में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था जिसमें भारत का रुख साफ किया गया है।

उन्होंने कहा, 'मैं पाकिस्तान से पूछना चाहता हूं कि कश्मीर उसका कब था? पाकिस्तान का सृजन भी भारत से अलग कर-के किया गया था। हम पाकिस्तान के अस्तित्व का सम्मान करते हैं लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह कश्मीर पर बयान देता रह सकता है।' उन्होंने कहा कि कश्मीर हमारा रहा है। इस बारे में कोई संदेह नहीं है। सच यह है कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। पाकिस्तान को पीओके में मानवाधिकार उल्लंघन और अत्याचारों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने फोन पर बातचीत में उनसे कहा था कि अनुच्छेद-370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाना भारत का आंतरिक मामला है। इस मुद्दे पर कोई देश पाकिस्तान के साथ नहीं है। सिंह ने हिंदी मुहावरे 'बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना' का जिक्र करते हुए इशारा किया कि पाकिस्तान का कश्मीर से कोई लेनादेना नहीं है।

सिंह ने कहा कि जब हमने लद्दाख को अलग केंद्रशासित क्षेत्र बनाने के लिए कानून बनाया तो हमने न केवल यहां की जनता की भावनाओं का सम्मान किया बल्कि लोगों की समस्याओं का समाधान भी दिया।

दिल्ली की बसों में मुफ्त यात्रा करेंगी महिलाएं

पेज 1 का बाकी

जांच टीमों की संख्या बढ़ाएगा। इसके अलावा सरकारी विभागों में तैनात कर्मचारियों को मुफ्त सफर के लिए सरकार से मिलने वाला यात्रा भत्ता छोड़ना होगा। अगर महिला कर्मचारी इस सुविधा का लाभ नहीं लेना चाहती है तो उन्हें एक लिखित सूचना विभाग को देनी होगी कि वे इस योजना का लाभ नहीं ले रही हैं।

एअरपोर्ट और अन्य विशेष सेवाओं के लिए चलने वाली बसों में भी यह सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा एनसीआर में जाने वाली डीटीसी व क्लस्टर की बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

सीबीआइ ने बिरला से मुकदमे की मांगी इजाजत

पेज 1 का बाकी

एजंसी ने तलब किया था। उन्होंने कहा कि एजंसी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले 2016 में सामने आए वीडियो की सच्चाई का पता लगाने के लिए आवाज के नमूनों की जांच कराएगी।

एजंसी ने लोकसभा अध्यक्ष से ममता बनर्जी नीत तृणमूल कांग्रेस के तीन मौजूदा सांसदों सौगत रॉय, काकोली घोष और प्रसून बनर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी। चौथे 48 वर्षीय सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में तामलुक लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद हैं और फिलहाल राज्य सरकार में परिवहन मंत्री हैं। 73 वर्षीय रॉय दमदम से सांसद हैं जबकि घोष (59) बारासात क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रसून बनर्जी (64) हावड़ा से सांसद हैं। सूत्रों ने कहा कि अगर लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी दी जाती है तो एजंसी इन चारों नेताओं के नाम आरोपपत्र में शामिल कर सकती है। अधिकारियों ने कहा कि नारद स्टिंग का मामला तृणमूल के कुछ नेताओं और पश्चिम बंगाल के नौकरशाहों से जुड़ा हुआ है, जिन्हें एक निजी कंपनी का प्रतिनिधि बताने वाले पत्रकार से पैसे लेते हुए कथित तौर पर रिकार्ड किया गया था।

कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर लगभग एक महीने की प्रारंभिक जांच के बाद 16 अप्रैल, 2017 को सीबीआइ की प्राथमिकी में सभी चार नेताओं को आरोपी बनाया गया था।

सीबीआइ ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि स्टिंग ऑपरेशन में कथित तौर पर दिखता है कि रॉय, घोष और अधिकारी प्रतिनिधि के रूप में दिख रहे व्यक्ति से पांच-पांच लाख रुपए स्वीकार करते हैं। वहीं प्रसून बनर्जी को एक व्यावसायिक उद्यम में मदद के लिए चार लाख रुपए लेते हुए देखा जा सकता है। अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में एजंसी ने तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य केडी सिंह से पूछताछ की थी।

कांडला और मुंद्रा बंदरगाह की सुरक्षा बढ़ाई गई

भुज (गुजरात), 29 अगस्त (भाषा)।

समुद्र के रास्ते आतंकवादियों की संभावित घुसपैठ की खुफिया जानकारी मिलने के बाद गुजरात पुलिस ने कांडला और मुंद्रा बंदरगाहों और अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

यह कदम समुद्री रास्ते से संभावित आतंकवादी हमले को भारतीय नौसेना की चेतावनी के कुछ दिन बाद उठाया गया है। मुंद्रा बंदरगाह का संचालन अडानी समूह करता है और यह देश के बड़े बंदरगाहों में से एक है। क्षमता के लिहाज से यह पिछले साल शीर्ष पर था। सरकारी कांडला बंदरगाह भी वृहत स्तर पर चीजों को ले जाने और लाने की सुविधा है। यह दोनों बंदरगाह अरब सागर में कच्छ की खाड़ी में हैं और पाकिस्तान के निकट है।

इस क्षेत्र में कई और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हैं। यहां जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज की ओर से चलनेवाला दुनिया का सबसे बड़ा तेलशोधक कारखाना है। इसके अलावा इसी तरह की एक सुविधा वाडीनार में है, जिसका संचालन रूसी कंपनी रोजनेफ्ट करती है। पुलिस महानिरीक्षक (सीमा रेंज) डीबी वाघेला ने कहा, 'हमें समय-समय पर आतंकवादियों की संभावित घुसपैठ की खुफिया जानकारी मिलती है और हमने कांडला बंदरगाह समेत अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ा दी है।' उन्होंने कहा, 'वास्तव में सुरक्षा व्यवस्था 15 अगस्त से पहले ही बढ़ा दी गई थी। अभी विशेष तौर पर आतंकवादियों के गुजरात में प्रवेश की कोई जानकारी नहीं है लेकिन सामान्य जानकारी है कि समुद्री मार्ग के जरिए आतंकवादी घुस सकते हैं।'

47 हजार करोड़ से बढ़ेगी देश में हरियाली : जावडेकर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 अगस्त।

देशभर में हरियाली बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन (कैम्पा फंड) के तहत 27 राज्यों को 47,436 करोड़ रुपए जारी किए हैं। गुरुवार केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया कि इस धनराशि का खर्च केवल हरित क्षेत्र व जल संचयन बढ़ाने की योजनाओं पर ही किया जा सकेगा। सरकार ने प्रावधान किया है कि राज्य सरकारें यह धन कर्मचारियों के वेतन, वाहन खरीद या अतिथि गृह जैसे कार्यों में खर्च न करें। सरकार का दावा है कि इससे हरित क्षेत्र बढ़ेगा और 2030 तक 2.5 से 3 अरब कार्बन तत्वों में कमी लाई जा सकेगी।

जावडेकर ने बताया कि यह धनराशि सीधे वनीकरण से जुड़ी योजनाओं पर ही खर्च की जा सकेगी। इसकी निगरानी केंद्र सरकार करेगी और इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सकार को अपने राज्यों पर भरोसा है और तय प्रावधानों के तहत वे इस धनराशि का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने बताया कि 10-20 सालों से कैम्पा फंड का पैसा केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार के मुताबिक यह धनराशि संबंधित राज्यों के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता है।

● कैम्पा फंड के तहत पैसा जारी, राज्यों को अपना हिस्सा कम न करने के आदेश

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने सभी राज्यों से अपील की है कि इस केंद्रीय फंड के आधार पर राज्यों के बजट प्रावधानों में कोई कटौती न करें। तभी इस धनराशि को जारी करने का सही लाभ देश को मिलेगा। कैम्पा फंड से हरित क्षेत्र तेजी से बढ़ना चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने बैठक में देशभर के पर्यावरण मंत्रियों को एक वीडियो क्लिप के माध्यम से पर्यावरण सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी भी दी। अब तक इस मद से 1000 से 1400 करोड़ रुपए राज्यों को जारी हो पाते थे लेकिन इस बार पांच से छह हजार करोड़ रुपए तक जारी किए गए हैं। इस प्रेसवार्ता में केंद्रीय राज्य पर्यावरण मंत्री बाबुल सुप्रियो भी उपस्थित थे।

जावडेकर ने कहा कि वनों पर किया गया खर्च भविष्य के लिए योगदान है, इसमें राज्य सरकार को कोई कमी नहीं करनी चाहिए। यह पैसा सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा। इसकी मदद से राज्य सरकारों द्वारा हरित क्षेत्र विकसित, वन क्षेत्र का प्रबंधन, वन क्षेत्रों को आगजनी से बचाने की पहल, वन क्षेत्रों में कटाव को रोकने का कार्य और वन क्षेत्रों के लिए अध्ययन कार्य किया जा सकेगा।

स्कूल में अलग बैठ खाना खाते दलित बच्चों का वीडियो वायरल

बलिया (उप्र), 29 अगस्त (भाषा)।

जिले के एक प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना के तहत दिए जाने वाले भोजन के दौरान कथित भेदभाव का मामला सामने आया है।

सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर वायरल हुए वीडियो में दलित बच्चों के साथ खाना खाने को लेकर कथित भेदभाव नजर आ रहा है। हालांकि जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारोत ने आरोप को निराधार करार देते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वीडियो में बलिया नगर के रामपुर का प्राथमिक विद्यालय दिख रहा है, जहां सामान्य वर्ग के बच्चे दलित बच्चों के साथ भोजन नहीं करते। दलित बच्चे घर से लाई थाली में खाना खाते हैं।

FUTURISTIC SOLUTIONS LIMITED
CIN: L74899DL1983PLC016586
Regd. Office: M-50, IInd Floor, M-Block Market, Greater Kailash-1, New Delhi-110048
Website: www.fsl.co.in Fax: 011-2925860,
Ph: 011-41630436, 41634701

NOTICE

Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of SEBI Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 NOTICE is hereby given that meeting of the Board of Directors of the Company will be held at 4.00 P.M on Friday, the 06th Day of September, 2019 at the Registered Office of the Company, inter alia, to consider and approve, the unaudited accounts for the quarter ended on 30.06.2019 and any other item with the permission of Board.

This information is also available on website of the company viz www.fsl.co.in and on the website of the stock exchanges viz. www.bseindia.com.

By Order of the Board
Sd/-
Place: New Delhi — Kuljit Kaur
Date: 29.08.2019 — (Company Secretary)

ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग
द्वितीय तल, पारस टॉवर, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड-248171

प्रकाशन नोटिस ओ0ए0 संख्या 98/2018

ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 के सेक्शन 19 के सब-सेक्शन (4) सपठित उप नियम (2ए) के नियम 5 समय-समय पर संशोधित ऋण वसूली ट्रिब्यूनल (प्रोसीड्योर) नियम 1993 के अधीन उपस्थित होने की सूचना

डायरी संख्या 433 — दिनांक: 17.08.2019

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम शान मेटल एवं अन्य

सेवा में,
1. मैसर्स शान मेटल [illegible], जिला-मुजफ्फरनगर, उ0प्र0।
2. श्री महताब अली पुत्र श्री [illegible], जिला-मुजफ्फरनगर, उ0प्र0।
3. श्री सलीमुद्दीन पुत्र श्री [illegible] मुजफ्फरनगर, उ0प्र0।

जहां कि उपरोक्त वर्णित आवेदक बैंक ने आपके विरुद्ध 14,81,126 रु. की वसूली हेतु ओ0ए0 सं0 98/2019 संस्थित किया है, जिसमें कि माननीय अधिकरण ने ऋण वसूली एवं दिवालियापन अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के सम्मन/नोटिस जारी किया था जो कि माननीय पीठासीन अधिकारी के समक्ष 16.08.2019 को सूचीबद्ध किया गया था।

वह कि, माननीय ट्रिब्यूनल इस बात से सन्तुष्ट है कि सामान्य तरीके से मांग नोटिस जारी किया जाना संभव नहीं है, इसलिए इस प्रकाशन के माध्यम से दी जा रही सूचना के द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि आप दि0 10.10.2019 को 10:30 बजे प्रातः अथवा इससे पूर्व आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने अधिकृत एजेन्ट या लीगल प्रैक्टिशनर के माध्यम से माननीय ट्रिब्यूनल में उपस्थित हों।

सूचित हो कि निर्धारित दिवस एवं समय पर ट्रिब्यूनल में आपकी उपस्थिति की चूक की दशा में इस प्रकरण पर सुनवाई और निर्णय आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।

दिनांक 17 अगस्त, 2019 के दिन अधिकरण की मुहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी।

ट्रिब्यूनल के आदेशानुसार
रजिस्ट्रार (I/C), ऋण वसूली ट्रिब्यूनल, देहरादून

ऋण वसूली अधिकरण-III, दिल्ली,
4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के समक्ष

ऋण वसूली अधिकरण (प्रक्रिया नियमावली) 1993 के नियम 12 एवं 13 के साथ पठित बैंक तथा वित्तीय संस्थानों के बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 19(4) के अंतर्गत सूचना

ओ.ए. नं. 705/2018

मामले में:
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड — आवेदक
बनाम
श्री राजेश मल्होत्रा एवं अन्य — प्रतिवादीगण

सेवा में,
डी-3 मै. आशियाना प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्रा.लि.
जिसका पंजीकृत कार्यालय है:
यूनिट नं. 219, एस/एफ, वसुन्धरा एन्क्लेव, प्लॉट नं. 1, वर्धमान सनराइज प्लाजा एलएससी, दिल्ली-110096

जैसा कि ऊपर नामित आवेदक ने आपके विरुद्ध एक मामला शुरू किया है तथा जैसा कि इस अधिकरण की संतुष्टि के लिये यह साबित हो चुका है कि आपको सामान्य तरीके से सर्व करना संभव नहीं है। अतएव, विज्ञापन के माध्यम से इस सूचना के द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि 26.9.2019 को 10.30 पूर्वा. में इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित हों। ध्यान रहे कि उपरोक्त तिथि को इस अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर मामले की सुनवाई तथा निर्णय आपकी अनुपस्थिति में ही की जायेगी।

मेरे हाथ से तथा अधिकरण की मुहर लगाकर आज, 13 अगस्त, 2019 को दी गई।

(मुहर)
कोर्ट के आदेश से
सहायक रजिस्ट्रार
डीआरटी-III, नई दिल्ली

त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड
CIN : एल29110यूपी1995पीएलसी041834
पंजीकृत कार्यालय : ए-44 हौजरी काम्पलैक्स, फेस II विस्तार, नौएडा-201305, उ० प्र०
कारपोरेट कार्यालय : 8वीं मंजिल, एक्सप्रैस ट्रेड टावर्स, 15-16, सेक्टर - 16ए, नौएडा, उत्तर प्रदेश - 201301
ई-मेल : shares.ttl@trivenigroup.com **वेबसाइट**: www.triveniturbines.com
दूरभाष : 91 120 4308000 / **फैक्स** : 91 120 4311010-11

चौबीसवीं वार्षिक साधारण बैठक, परोक्ष ई-वोटिंग की सूचना

वार्षिक साधारण बैठक

एतद्द्वारा त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड के सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी की चौबीसवीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) सोमवार, 23 सितम्बर, 2019 को दोपहर 12.30 बजे स्टारड्रम कनवेन्सन, भूतल, सी 1,वर्ड ट्रेड टॉवर, सेक्टर 16, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 में, जिसमें दिनांक अगस्त 3, 2019 की उपरोक्त एजीएम की सूचना में वर्णित व्यावसायिक कार्यो के निष्पादित करने हेतु आयोजित करनी तय की गई है। एजीएम की सूचना एवं वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को जिनके ई-मेल पते डिपाजटरीज सहभागियों/कम्पनी के पंजीयक एवं शेयर हस्तांतरण एजेंट एवं उन सदस्यों जिनके ई-मेल पते पंजीकृत नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा अनुमति माध्यम से 29 अगस्त, 2018 को भेज दिये गये हैं। ये कागजात कम्पनी की वेबसाइट www.triveniturbines.com एवं सेन्ट्रल डिपाजटरी सविसेस (इण्डिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट i.e. www.evotingindia.com पर उपलब्ध से डाउनलोड किये जा सकते हैं।

इलेक्ट्रानिक माध्यम द्वारा वोटिंग

कम्पनीज अधिनियम 2013 की धारा 108 एवं कम्पनीज (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 20 जैसा संशोधित हुआ एवं सेबी (लिस्टिंग दायत्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) नियमन, 2015 के विनियम, 44 के प्रावधानों के अनुसरण में कम्पनी अपने सभी सदस्यों को जैसा कि सूचना में सभी संकल्पों निष्पादित (जो दोनों भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारकों के लिए) एजीएम के स्थान के अतरिक्त इलेक्ट्रॉनिकली वोट देने की (परोक्ष ई-वोटिंग) सुविधा सेन्ट्रल डिपाजटरी सर्विसेज (इण्डिया) लिमिटेड (सीएसडीएल) द्वारा सूचना में निहित सभी प्रस्तावों पर उपलब्ध कराई जा रही है। इस उद्देश्य हेतु विस्तारित प्रक्रिया एजीएम की सूचना के अनुदेश 15 और साथ में सीडीएसएल की वेबसाइट i.e. www.evotingindia.com पर दी गई है। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि:

(क) परोक्ष ई-वोटिंग की अवधि 20 सितम्बर, 2019 (प्रातः 9.00 बजे आईएसटी) से प्रारम्भ होगी।
(ख) परोक्ष ई-वोटिंग की अवधि 22 सितम्बर, 2019 (साय 5.00 बजे आईएसटी) पर समाप्त होगी।
(ग) इलेक्ट्रॉनिकस माध्यम द्वारा अथवा एजीएम में वोट पात्रता निर्धारित करने की कट आफॅ तिथि सितम्बर 16 , 2019 है।
(घ) कोई भी व्यक्ति जो 16 अगस्त, 2019 के पश्चात् कम्पनी के सदस्य बने हों एवं कट ऑफ तिथि 16 सितम्बर, 2019 को शेयर धारण करते होंगे, वे यूजर आई डी एवं पास वर्ड प्राप्त कर इलेक्ट्रॉनिकली ई-वोंटिंग देने के लिए जैसा कि एजीएम की सूचना के अनुदेश 15 में दिये गये अनुसार प्रक्रिया पालन कर सकते हैं।
(ण) सदस्य ध्यान दें कि (i) ई-वोटिंग भाग सीएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए सितम्बर 22, 2019 (सायं 5.00 बजे) के बाद निःशक्त कर दिया जायेगा और उपरोक्त तिथि एवं सदस्य द्वारा एक बार प्रस्ताव पर वोट पर बाद में उसे बदलने की अनुमति नही दी जायेगी समय के उपरान्त अनुमति नहीं दी जायेगी। ; (ii) वोटिंग के लिए मत प्रत्र की सुविधा एजीएम स्थल पर उपलब्ध कराई जायेगी (iii) सदस्यों जिन्होने परोक्ष ई-वोटिंग पर एजीएम से पहले वोट दे दिया हो, एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन फिर से वोट देने के अधिकारी नहीं होंगे। (iv) एक व्यक्ति, जिसका नाम डिपाजटरीज द्वारा बनाई गई सदस्यो की पंजिका/लाभदायी स्वामी की सूची में कठ-ऑफ तिथि को अंकित होंगे केवल एजीएम में मत पत्र द्वारा परोक्ष ई-वोटिंग की सुविधा के अधिकारी होंगे।
(त) ई-वोटिंग की किसी भी प्रकार की पूछताछ या मामलों के लिए, सामान्य तय पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) एवं ई-वोटिंग नियमावली www.evotingindia.com के डाऊनलोडस विभाग पर उपलब्ध से अथवा श्री राकेश दलवी, प्रबन्धक, सीडीएसएल, ए विंग, पच्चीसवीं मंजिल, मैराथौन फ्यूटरक्स, मफतलाल मिल कम्पाउन्डस, एनएम जोशी मार्ग, लोवर परेल, (ई) मुम्बई- 400013 के टोल फ्री नम्बर 18002005533 अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल लिखकर पूछताछ कर सकते हैं।
(छ) सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रश्न, यदि कोई हों तो बैठक होने से कम से कम दस दिन पूर्व भेजें ताकि सूचना बैठक में उपलब्ध कराई जा सके।
(न) एजीएम की सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.triveniturbines.com एवं साथ में सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।

कृते त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड
हस्ता०/-
स्थान : नौयडा (उ०प्र०) — राजीव साहनी
तिथि : 29 अगस्त, 2019 — कम्पनी सविच

बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने पर लगेगा रासुका

लखनऊ, 29 अगस्त (भाषा)।

प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बच्चा चोरी की अफवाह में भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा की घटनाओं की खबरों के बीच पुलिस ने कड़ा कदम उठाते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया है। यूपी के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने बुधवार रात कहा था कि अब तक ऐसी घटनाओं के कारण 82 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और ऐसे लोगों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जा रही है।

INDIAN SUCROSE LIMITED
(Formerly Oswal Sugars Limited)
CIN: L15424PB1990PLC010903
Regd. Office & Works: G.T. Road, Mukerian, Distt. Hoshiarpur, Punjab-144211
Phone: +91-9115110651/52
Fax: +91-1883-244532
Email Id: isl.investor@yaducorporation.com
Website: www.muksug.com

NOTICE OF 28TH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 96 of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the 28th Annual General Meeting (AGM) of the members of the Company is scheduled to be held on **Monday, the 30th day of September, 2019 at 11.00 a.m.** at its Registered Office at G.T. Road, Mukerian-144211, Distt. Hoshiarpur (Punjab), to transact business as detailed in the notice dated August 28, 2019.

The Company has completed mailing of notice to the members individually by post together with the Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2019 and Report of Directors' and Statutory Auditors along with other documents.

These documents have been sent electronically to those members who have registered their e-mail addresses.

These documents are also available on the company website www. http://www.muksug.com/

Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of Members and Share Transfer Book of the Company will remain closed from 24th September 2019 to 30th September, 2019 both days inclusive for the purpose of Annual General Meeting of the Company.

The cut-off date for determining the eligible member for voting is 23rd September, 2019 through postal ballot and e-voting.

Further in accordance with section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is pleased to provide E-voting facility to all its members to exercise their rights to vote on the resolution through remote e-voting provided by National Security Depository Limited (NSDL). The E-voting period commences on **September 27, 2019 at 9:00 AM (Friday) and end on September 29, 2019 at 5:00 PM (Sunday)**. The Members will not be able to cast their votes after the said period. The only Members who have not cast their votes by remote e-voting shall be able to vote at the meeting.

For INDIAN SUCROSE LIMITED
Sd/-
(Kunal yadav)
Date: 28.08.2019 — Managing Director
Place: Punjab — DIN: 01338110

सूचना

[illegible]

(CIN: U65921DL1997PLC085204)

[illegible]

तिथि : 28.08.2019
स्थान : नई दिल्ली — निदेशक

इंदौर के अस्पताल प्रबंधन पर मामला दर्ज

इंदौर/नई दिल्ली, 29 अगस्त (भाषा)।

मोतियाबिंद ऑपरेशनों के दौरान घातक संक्रमण से 15 मरीजों की एक-एक आंख की रोशनी कथित तौर पर जाने के मामले में गुरुवार को यहां एक परमार्थ अस्पताल के प्रबंधन के दो शीर्ष अफसरों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। मामले के खुलासे के पखवाड़े भर बाद मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने यह कदम उठाया है। पुलिस ने बताया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रवीण जड़िया की शिकायत पर एमओजी लाइन स्थित इंदौर नेत्र चिकित्सालय के निदेशक सुधीर महाशब्दे और चिकित्सा अधीक्षक सुहास बांडे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इंदौर नेत्र चिकित्सालय में पांच और आठ अगस्त को किए गए मोतियाबिंद ऑपरेशनों के कुल 15 मरीजों की संबंधित आंख में एक घातक बैक्टीरिया का संक्रमण पाया गया। इससे उन्हें सर्जरी के बाद एक-एक आंख से दिखाई देना बंद हो गया। प्रदेश सरकार ने इस अस्पताल का पंजीयन रद्द कर दिया है और लापरवाही बरतने के आरोप में जिले में अंधत्व निवारण सोसायटी के प्रभारी डॉ. टीएस होरा को निलंबित किया जा चुका है। इस बीच, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव से चार हफ्ते के भीतर जवाब-तलब किया है।

नेटवर्क लिमिटेड
पंजी. कार्यालयः डब्ल्यू-39, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज II, नई दिल्ली-110020
ई-मेल आईडीः network.limited@gmail.com
वेबसाईटः www.networklimited.net, फोन नं.: 011-41067060,
CIN: L32209DL1989PLC034797

30वीं वार्षिक साधारण सभा, पुस्तक बंद होने तथा ई-वोटिंग की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नेटवर्क लिमिटेड के सदस्यों की 30वीं वार्षिक साधारण सभा मंगलवार, 24 सितम्बर, 2019 को 10.30 पूर्वा. में [illegible]

क) [illegible]
ख) रिमोट ई-वोटिंग सुविधा 21 सितम्बर, 2019 को 9.00 बजे पूर्वा. से शुरू होगी तथा 23 सितम्बर, 2019 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी। उक्त तिथि एवं समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
ग) जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि अर्थात 17 सितम्बर, 2019 को सदस्यों के रजिस्टर/लाभभोगी स्वामियों की सूची में शामिल होगा, वे रिमोट ई-वोटिंग के साथ सभा में मतदान करने की सुविधा प्राप्त करने के लिए अधिकृत होंगे।
घ) यदि कोई व्यक्ति सूचना के प्रेषण के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि 17 सितम्बर, 2019 को शेयर धारित करते हैं, वे networklimited@gmail.com या evoting@nsdl.co.in पर अपने फोलियो नं./ डीपीआईडी तथा क्लाइन्ट आईडी नं. का उल्लेख करते हुए अनुरोध भेज कर लागिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।
ङ) सभा में मत पत्र द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा सभा में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्यों जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किए हों, वे मत पत्र द्वारा सभा में मतदान करने में सक्षम होंगे।
च) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मताधिकार का प्रयोग कर लेने के बावजूद भी सदस्य सभा में शामिल हो सकते हैं लेकिन वे सभा में फिर से मतदान करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे।
छ) कम्पनी तथा एजेन्सी की वेबसाईट का पता जहां सभा की सूचना प्रदर्शित हैः www.networklimited.net तथा www.evoting@nsdl.com
ज) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान से संबंधित किसी भी प्रश्नों/समस्याओं के लिए सदस्यगण/लाभभोगी स्वामी अधोलिखित पते पर सम्पर्क करें:
1. श्री विकास जैन, कम्पनी सचिव, ईमेल आईडीः networklimited@gmail.com, टेलीफोन नं.: +91-11-41067060, पताः डब्ल्यू-39, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-II, नई दिल्ली-110020
2. एनएसडीएल की वेबसाईटः www.evoting@nsdl.com अथवा टोल फ्री नं.: 1800-222-990 से सम्पर्क करें।

निदेशक मंडल के आदेश से
नेटवर्क लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
स्थानः नई दिल्ली — अमन सॉहनी
तिथिः 29.8.2019 — प्रबंधक/निदेशक

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India
टप्पल शाखा
पताः चर्च स्कूल के सामने अलीगढ़ पलवल रोड़ टप्पल, अलीगढ़-202165
Email: tappal.ghaziabad@bankofindia.co.in

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति के लिए) (नियम 8 (1))

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ इण्डिया, का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(12) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक **03.05.2019** को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता **मैसर्स निशा इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड इलैक्ट्रीक, प्रोप. श्री ओमप्रकाश पुत्र गिरराज सिंह** को मांग नोटिस में वर्णित ऋण की राशि **रू. 966982.48 (नौ लाख छियासठ हजार नौ सौ बयासी और अड़तालीस पैसे)** को नोटिस दिए जाने के 60 दिवस के भीतर चुकाने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 के अंतर्गत ब्याज प्रवर्तन 2002 प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक **26.08.2019** को निम्नलिखित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणी तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **बैंक ऑफ इण्डिया, टप्पल शाखा** को देय धनराशि **रू. 966982.48 ब्याज** एवं अन्य शुल्क सहित देना होगा।

सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाए जाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 के उपधारा 8 के प्रावधान के लिए उधारकर्ताओं के ध्यान को आमंत्रितकिया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरणः श्री ओम प्रकाश पुत्र गिरराज सिंह (मालिक)
वह सम्पूर्ण सम्पत्ति जिसमें मकान नम्बर-1570/1, मौह. अपर कोट-टप्पल, तहसील खैर, जिला-अलीगढ़ में है।
सीमाएं: उत्तर की ओर- अशोक का प्लॉट, दक्षिण की ओर- सरफराज का मकान, पूर्व की ओर- रास्ता, पश्चिम की ओर- आस मौहम्मद का प्लॉट

दिनांकः 26.08.2019 — प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः टप्पल — बैंक ऑफ इंडिया

प्रारूप संख्या 25क
क्षेत्रीय निदेशक कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के समक्ष नॉर्दर्न रीजन नई दिल्ली

कंपनी अधिनियम 2013 कंपनी अधिनियम की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 41 के मामले में "यूनिसेवा ग्लाइकोल्स लिमिटेड" (CIN: U51109UP1992PLC014474) जिसका पंजीकृत कार्यालय महमूदाबाद एस्टेट बिल्डिंग, 15-हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001", में स्थित है के मामले में — आवेदक

[illegible]

आवेदक के लिए या उसकी ओर से मैसर्स यूनिसेवा ग्लाइकोल्स लिमिटेड
निदेशक
अमिताभ [illegible]
Din: 00556589
तारीख: 28.08.2019
स्थान: लखनऊ

आन्ध्रा बैंक ANDHRA BANK (A Govt. of India Undertaking)
विशिष्ट परिसम्पत्ति वसूली प्रबंध (एसएआरएम) शाखा
1ला तल, एम-35, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001
टोलीफोन नं. 011-23418746, 23418750, ईमेल-bm3102@andhrabank.co.in

बिक्री के विषय में ऋणधारक को जानकारी देने के लिये सूचना (30 दिनों की सूचना)
{प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 6 (2)/8(6)}

की ओर से: मिनीन्द्र एस आर, प्राधिकृत अधिकारी, आन्ध्रा बैंक, एसएआरएम शाखा, नई दिल्ली
सेवा में, ऋणधारकः मै. आरएचसी होल्डिंग प्राईवेट लि., 54, जनपथ, नई दिल्ली-110001
गारन्टर्सः 1. मै. सौभाग्या बिल्डकॉन प्रा. लि., 1101, टॉल्स्टॉय हाउस, टॉल्स्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001
2. मै. आर्टिफाइस प्रॉपर्टीज प्रा. लि., 170, मधुवन, नई दिल्ली-110092

विषय. वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (2002 के अधिनियम 54) के अंतर्गत आन्ध्रा बैंक की बकाया राशि की वसूली के लिये आपकी सम्पत्तियों की बिक्री

जैसा कि धारा 13 (2) के अंतर्गत मांग सूचना तिथि 02.01.2018 के माध्यम से मेरे/बैंक द्वारा की गई मांग के बावजूद आपने बैंक की बकाया राशि के भुगतान में चूक की है।
मैनें उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 25.06.2018 को नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
सम्पत्तियों को कब्जे में लेने के बवाजूद आपने आन्ध्रा बैंक की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया, अतएव आरक्षित मूल्य से ऊपर इस सूचना की तिथि से 30 दिनों के बाद निविदा आमंत्रण/सार्वजनिक नीलामी/ई-नीलामी/निजी संधि द्वारा नीचे वर्णित सम्पत्ति की बिक्री करना आवश्यक हो गया है।

क्रम सं.	प्रतिभूति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु. करोड़)
1	आर्टिफाइस प्रॉपर्टीज प्रा. लि. के नाम में प्लॉट नं. ए-11, मोहाली इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-III, एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब में औद्योगिक भूमि, माप 24916.67 वर्ग यार्ड्स	33.14
2	सौभाग्या बिल्डकॉन प्रा. लि. के नाम में प्लॉट नं. ए-9 एवं ए-10, मोहाली इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-III, एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब में औद्योगिक भूमि, माप 49,833.34 वर्ग यार्ड्स	66.27
	कुल	99.27

नीलामी की तिथि एवं समय तथा सेवा प्रदाता के विवरणों के विषय में बिक्री सूचना के माध्यम से सूचित किया जायेगा जो अलग से जारी की जायेगी तथा सम्पत्तियों की बिक्री उच्चतम मूल्य का प्रस्ताव करने वाले व्यक्ति को की जायेगी।
लेकिन, सम्पत्तियों की बिक्री निजी संधि द्वारा अथवा व्यक्तियों से कोटेशन प्राप्त भी की जायेगी जो बैंक तथा इच्छुक क्रेता को स्वीकार्य नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।
यदि आपके पास निजी संधि द्वारा अथवा कोटेशन प्राप्त कर किसी व्यक्ति को सम्पत्ति की बिक्री करने का ऐसा कोई प्रस्ताव हो, आप इस सूचना की प्राप्ति की तिथि से 7 दिनों के भीतर मुझे उसकी जानकारी दें जिसमें विफल होने पर यह माना जायेगा कि आपके पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है तथा मैं, तत्काल कोटेशन निविदा/सार्वजनिक नीलामी/ईनीलामी/निजी संधि आमंत्रित कर सम्पत्ति की बिक्री की कार्रवाई करूंगा।
कृपया ध्यान रहे कि यदि आप सार्वजनिक नीलामी अथवा जनता से कोटेशन या निविदा आमंत्रित कर अथवा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के पट्टा, एसाइन्मेन्ट अथवा बिक्री द्वारा अंतरण के लिये निजी संधि द्वारा बिक्री की सूचना के प्रकाशन की तिथि तक लागत, बैंक द्वारा वहन की गई खर्चे के साथ उस पर परवर्ती ब्याज के साथ मांग सूचना तिथि 02.01.2019 मे निर्दिष्ट राशि का भुगतान कर देते हैं तो अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री के लिये आगे कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। अधिनियम की धारा 13 (8) के अनुसार विमोचन का अधिकार उपलब्ध है।
यह सूचना किसी अन्य कानून के अंतर्गत उपलब्ध बैंक के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह-रहित जारी की जा रही है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण
(1) आर्टिफाइस प्रॉपर्टीज प्रा. लि. के नाम में प्लॉट नं. ए-11, मोहाली इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-III, एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब में औद्योगिक भूमि, माप 24916.67 वर्ग यार्ड्स चौहद्दीः उत्तरः प्लॉट नं. 9, दक्षिणः सड़क, पूर्वः ग्रीन बेल्ट, पश्चिमः सड़क
(2) सौभाग्या बिल्डकॉन प्रा. लि. के नाम में प्लॉट नं. ए-9 एवं ए-10, मोहाली इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-III, एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब में औद्योगिक भूमि, माप 49,833.34 वर्ग यार्ड्स चौहद्दीः उत्तरः प्लॉट नं. बी-8, दक्षिणः प्लॉट नं. 11, पूर्वः ग्रीन बेल्ट, पश्चिमः सड़क

तिथिः 14.08.2019 — मुख्य प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः नई दिल्ली — आन्ध्रा बैंक, एसएआरएम शाखा, नई दिल्ली

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI RELATIONSHIP BEYOND BANKING
(भारत सरकार का उपक्रम)
गाजियाबाद जोन
बी-32, सैक्टर-62, नोएडा-201307

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना। (बाद में सुरक्षा हित के नियम 9 (प्रावधान) नियम, 2002 के प्रावधान के अनुसार बिक्री।)
परिशिष्ट-4-ए, नियम 8 के तहत अनंतिम (6)

यह ई-नीलामी ब्रिक्री सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों की प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित परिवर्तन (सरफेसी) अधिनियम 2002 नियम 8(6) के अधीन बैंक के पास बंधक अचल सम्पत्ति है। यह नोटिस सार्वजनिक रूप से जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता (कर्ताओं) और गारंटर (गारंटरो) को सूचित किया जाता है कि कि बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी ने हमारी शाखा के साथ निम्नलिखित ऋण खातों में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुर्ननिर्माण तथा प्रतिभूति हित हेतू निम्नलिखित सम्पत्ति/सम्पत्तियों का कब्जा इस बैंक देयों के वसूली हेतू "जैसे हैं जहां है आधार पर तथा जैसे हैं जो है आधार पर" 20.09.2019 (समय दोपहर 2 बसे से शाम 4 बजे) तक विक्रय की जायेगी। संपत्ति का उल्लेख सीरियल नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मैर्सस गोविन्ददेवजी राईस मिल्स की सम्पत्ति को रूपये 602.87 लाख + ब्याज की वसूली के लिए बेचा जाएगा। संपत्ति का उल्लेख सीरियल नंबर 2 को बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से श्री अरूण कुमार गोयल और चारू गोयल और अरूण जनरल स्टोर की सम्पत्ति को रूपये 31.34 लाख + ब्याज की वसूली के लिए बेचा जाएगा। संपत्ति का उल्लेख सीरियल नंबर 3 को बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से श्री तरूण कुमार गोयल और मैर्सस अरूण जनरल स्टोर की सम्पत्ति को रूपये 31.099 लाख + ब्याज की वसूली के लिए बेचा जाएगा। संपत्ति का उल्लेख सीरियल नंबर 4 को बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से श्री हरीश बंसल और प्रीति कसंल की सम्पत्ति को रूपये 15.71 लाख + ब्याज की वसूली के लिए बेचा जाएगा। संपत्ति का उल्लेख सीरियल नंबर 5 को बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से श्री विक्रांत प्रधान की सम्पत्ति को रूपये 41.51 लाख + ब्याज की वसूली के लिए बेचा जाएगा। संपत्ति का उल्लेख सीरियल नंबर 6 को बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मैर्सस भोले बाबा ट्रेडर्स की सम्पत्ति को रूपये 39.63 लाख + ब्याज की वसूली के लिए बेचा जाएगा। संपत्ति का उल्लेख सीरियल नंबर 7 को बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से श्री मानव अग्रवाल और श्रीमति अनन्या अग्रवाल की सम्पत्ति को रूपये 68.13 लाख + ब्याज की वसूली के लिए बेचा जाएगा।

ईएमडी/दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 19.09.19 है
बेचे जाने वाले सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

शाखा का नाम तथा खाता का नाम/उधारकर्ता	सम्पत्ति का विवरण तथा स्वामी	बकाया देय राशि (प्रतिभूति ऋण राशि) कब्जे की दिनांक और प्रकार	धरोहर राशि जमा करने के खाते का विवरण	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि (ईएमडी) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलमी की तिथि एवं समय	प्राधिकृत अधिकारी का नाम तथा मो. नजिससे बोली दाता सम्पर्क कर सकते हैं
1. बैक ऑफ इंडिया-गाजियाबाद शाखा खाताः मैर्सस श्री गोविंददेवजी राईस मिल्स	सम्पत्ति का वह भाग जो कि गाटा नम्बर-85, सिकन्दरा, इटावा-कानपुर, राष्ट्रीय राजमार्ग, कानपुर देहात, यूपी-209125 में स्थित मैर्सस श्री गोविन्ददेवजी राईस मिल्स के नाम है जिसका क्षेत्रफल 12800 वर्ग मीटर है।	रूपये 602.87 लाख+ ब्याज (w.e.f. 09.09.2018 से) प्रतीकात्मक कब्जा दिनांक 24.11.2010	खाता संख्याः 71000SUNCR020 खाता नामः कलैक्शन खाता लाभार्थी का नामः बैक आर्फ इंडिया, गाजियाबाद शाखा आईएफएससी कोड : BKID0007100	रूपये 128.03 लाख रूपये 12.80 लाख रूपये 1 लाख	20.09.19 2 बजे से 4 बजे तक	श्री ए.के. त्रिपाठी मो0. 9511505278
2. बैक ऑफ इंडिया-सैक्टर-22, नोएडा शाखा खाताः श्री अरूण कुमार गोयल और श्रीमति चारू गोयल, मैर्सस अरूण जनरल स्टोर्स	आवासीय फ्लैट नम्बर-जी-2, बावा अपार्टमेंट, जमीनी तल, प्लाट नम्बर-सी-1/17, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन-2, गांव ब्रहमपुर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित श्रीमति चारू गोयल के नाम है जिसका क्षेत्रफल 41.805 वर्ग मीटर है।	रूपये 31.34 लाख+ ब्याज वास्तविक कब्जा दिनांक 21.05.2019	खाता संख्याः 71240SUNCR020 खाता नामः कलैक्शन खाता लाभार्थी का नामः बैक आर्फ इंडिया, नोएडा सैक.-22 शाखा आईएफएससी कोड : BKID0007124	रूपये 13.90 लाख रूपये 1.4 लाख रूपये 0.14 लाख	20.09.19 2 बजे से 4 बजे तक	श्री एस.एस. रावत मो.-7506604847
3. बैक ऑफ इंडिया-सैक्टर-22, नोएडा शाखा खाताः श्री तरूण कुमार गोयल, मैर्सस अरूण जनरल स्टोर्स	आवासीय फ्लैट नम्बर-जी-3, बावा अपार्टमेंट, जमीनी तल, प्लाट नम्बर-सी-1/17, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन-2, गांव ब्रहमपुर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित श्रीमति अंजली गोयल के नाम है जिसका क्षेत्रफल 41.805 वर्ग मीटर है।	रूपये 31.099 लाख+ ब्याज वास्तविक कब्जा दिनांक 21.05.2019	खाता संख्याः 71240SUNCR020 खाता नामः कलैक्शन खाता लाभार्थी का नामः बैक आर्फ इंडिया, नोएडा सैक.-22 शाखा आईएफएससी कोड : BKID0007124	रूपये 13.90 लाख रूपये 1.4 लाख रूपये 0.14 लाख	20.09.19 2 बजे से 4 बजे तक	श्री एस.एस. रावत मो.-7506604847
4. बैक ऑफ इंडिया-गाजियाबाद शाखा खाताः श्री हरीश कसंल और प्रीति कंसल	फ्लैट नम्बर-एम-87, जमीनी तल, सैक्टर-23, संजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित श्री हरीश कंसल और प्रीति कंसल के नाम है जिसका क्षेत्रफल 33.07 वर्ग मीटर है।	रूपये 15.71 लाख+ ब्याज (w.e.f. 29.03.2016 से) प्रतिकात्मक कब्जा दिनांक 23.12.2016	खाता संख्याः 71240SUNCR020 खाता नामः कलैक्शन खाता लाभार्थी का नामः बैक आर्फ इंडिया, गाजियाबाद शाखा आईएफएससी कोड : BKID0007100	रूपये 10.71 लाख रूपये 1.71 लाख रूपये 0.17 लाख	20.09.19 2 बजे से 4 बजे तक	श्री ए.के. त्रिपाटी मो0. 9511505278
5. बैक ऑफ इंडिया-गाजियाबाद शाखा, 50,60 जीटी रोड़ गाजियाबाद (यूपी) खाताः विक्रांत प्रधान और श्री लोकेश	वह सम्पत्ति जो कि फ्लैट नम्बर एस-2, एसएफ बैक साईड, प्लॉट नमब-बी-361, स्वर्णजयंतीपुरम, गाजियाबाद में स्थित श्री विक्रांत पुत्र श्री लोकेश के नाम है जिसका क्षेत्रफल 92.90 वर्ग मीटर है।	रूपये 41.51 लाख+ ब्याज (18.07.2018 से) वास्तविक कब्जा दिनांक 17.03.2018	खाता संख्याः 71240SUNCR020 खाता नामः कलैक्शन खाता लाभार्थी का नामः बैक आर्फ इंडिया, गाजियाबाद शाखा आईएफएससी कोड : BKID0007100	रूपये 22.37 लाख रूपये 2.4 लाख रूपये 0.24 लाख	20.09.19 2 बजे से 4 बजे तक	श्री ए.के. त्रिपाटी मो0. 9511505278
6. बैक ऑफ इंडिया-गाजियाबाद शाखा, 50,60 जीटी रोड़ गाजियाबाद (यूपी) खाताः मैर्सस भोले बाबा ट्रेडर्स	मकान नम्बर-344, बौंजा निकट शिब्बनपुरा गाजियाबाद यूपी में श्री मुकुल कुमार गुप्ता के नाम है जिसका क्षेत्रफल 95.94 वर्ग मीटर है।	रूपये 39.63 लाख+ ब्याज (w.e.f.08.02.2018 से) वास्तविक कब्जा दिनांक 17.06.2019	खाता संख्याः 71240SUNCR020 खाता नामः कलैक्शन खाता लाभार्थी का नामः बैक आर्फ इंडिया, गाजियाबाद शाखा आईएफएससी कोड : BKID0007100	रूपये 35.40 लाख रूपये 3.54 लाख रूपये 0.35 लाख	20.09.19 2 बजे से 4 बजे तक	श्री ए.के. त्रिपाटी मो0. 9511505278
7. बैक ऑफ इंडिया-गाजियाबाद शाखा खाताः श्री मानव अग्रवाल और श्रीमति अनन्या अग्रवाल	वह सम्पूर्ण सम्पत्ति जिसमें मकान नम्बर-केएच-164/ए ब्लॉक एच, कविनगर यूपी में स्थित है, श्री मानव अग्रवाल और श्रीमति अनन्या अग्रवाल के नाम है जिसका क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मीटर है।	रूपये 68.13 लाख+ ब्याज (w.e.f.18.07.2018 से) वास्तविक कब्जा दिनांक 16.03.2018	खाता संख्याः 71000SUNCR020 खाता नामः कलैक्शन खाता लाभार्थी का नामः बैक आर्फ इंडिया, गाजियाबाद शाखा आईएफएससी कोड : BKID0007100	रूपये 74.55 लाख रूपये 7.5 लाख रूपये 1 लाख	20.09.19 2 बजे से 4 बजे तक	श्री ए.के. त्रिपाटी मो0. 9511505278

नियम एवं शर्तेः (1) प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान तथा जानकारी के अनुसार प्लांट और मशीनरी पर कोई ऋणभार नहीं है। हालांकि इच्छुक बोलीदाता को सम्पत्ति/सम्पत्तियों के ऋण भार, स्वामित्व से सम्बंधित अपनी स्वतंत्र पूछताछ कर लेना चाहिए तथा निरीक्षण करके स्वंय को सन्तुष्ट कर लेना चाहिए। प्लांट और मशीनरी का निरीक्षण 18.09.2019 को कार्य समय के दौरान किया जा सकता है।
(2) इच्छुक बोलीदाता जिन्होने धरोहर राशी जमा किया है तथा लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड सृजित करने, डेटा अपलोड करने, निविदा जमा करने, ई-बिडिंग प्रक्रिया आदि में सहयोग चाहिए तो मैर्सस ई-प्रोक्यूरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्सन टाइगर) सम्पर्क नम्बर 079-41072409, 410, 411 सम्पर्क व्यक्ति श्री राम शर्मा तथा विशाल तिवारी मोबाइल नम्बर 8000023297, 09879996111 ई-मेल UP@auctiontiger.net, ramprasad@auctiontiger.net, vishal@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net से सम्पर्क कर सकते हैं तथा किसी सम्पत्ति सम्बंधि पूछताछ के लिए प्राधिकृत अधिकारियों या श्री संजीव माहेश्वरी से 9839782042 या 0120-2404135 Email ID: Ghaziabad.ard@bankofindia.co.in पर सम्पर्क करें। बिक्री वेबसाइट https://boi.auctiontiger.net पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी मंच के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी द्वारा की जाएगी। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया वेबसाईड http://www.bankofindia.co.in में दिए गए लिंक को देखें।
दिनांकः 30.08.2019 स्थानः गाजियाबाद — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

कोयला क्षेत्र में सौ फीसद एफडीआइ की इजाजत देने की निंदा

नई दिल्ली, 29 अगस्त (भाषा)।

आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) ने कोयला क्षेत्र में 100 फीसद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) की अनुमति के फैसले को प्रतिगामी कदम बताते हुए कहा कि यह देश हित में नहीं है। सरकार ने एफडीआइ सुधारों के एक और दौर शुरू करते हुए बुधवार को कोयला खनन और अनुबंध विनिर्माण क्षेत्र में शतफीसद एफडीआई की अनुमति दी है। साथ ही एकल ब्रांड खुदरा कंपनियों के लिए स्थानीय स्तर पर खरीद के नियमों में भी ढील दी है।

एटक ने बयान में कहा कि केंद्र सरकार ने कोयला क्षेत्र में सौ फीसद एफडीआइ की अनुमति देने का फैसला किया है। हमारा मानना है कि यह प्रतिगामी कदम और देशहित में नहीं है। एटक ने कहा कि इस कदम से देश 1971 से पहले की स्थिति में पहुंच जाएगा। कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण 1971 में हुआ था। उस समय कोयला खनन का काम बेहद अवैज्ञानिक तरीके से किया जाता था जो मानव जीवन के साथ पारिस्थितिकी को भी नुकसान पहुंचता रहा था।

झारखण्ड सरकार
उद्योग निदेशालय
नेपाल हाउस, तृतीय तल, डोरण्डा, राँची-834002 (झारखण्ड)

सूचना

Advertisement PR No: 215461 Dated 27/08/2019

एतद् द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि निदेशक, उद्योग निदेशालय, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष, नेपाल हाउस, तृतीय तल, डोरन्डा, राँची में दिनांक 03.09.2019 को पू0 11.00 बजे MSMED ACT 2006 के अन्तर्गत लघु उद्योगों के विलम्बित भुगतान की समस्या के निदान हेतु गठित "सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुगमीकरण परिषद" की आहूत बैठक अपरिहार्य कारण से स्थगित करते हुए सूचित करना है कि उक्त बैठक अब दिनांक 11.09.2019 को अप0 3.00 बजे होगी।

अवर सचिव
उद्योग निदेशालय
झारखण्ड, राँची

PR215598 (Industries)19-20*D

बूंद - बूंद नहीं बरतेंगे तो बूंद को तरसेंगे

अर्थव्यवस्था में सुस्ती 'चक्रीय गिरावट': रिजर्व बैंक

मुंबई, 29 अगस्त (भाषा)।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था में सुस्ती के मौजूदा दौर को 'नरमी का ऐसा दौर बताया जो चक्रीय गिरावट में बदल' गया। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने कहा है कि नीति निर्माताओं और सरकार की शीर्ष प्राथमिकता उपभोग और निजी निवेश बढ़ाने की होनी चाहिए।

वित्त वर्ष 2018-19 की गुरुवार को जारी वार्षिक रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने इस बात को स्वीकार किया है कि सही समस्या की पहचान करना मुश्किल है। लेकिन इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने कहा कि जमीन, श्रम और कृषि उपज विपणन क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों को छोड़कर अन्य मुद्दों की प्रकृति संरचनात्मक नहीं है। रिजर्व बैंक ने इसी महीने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर के अपने अनुमान को घटाकर 6.9 फीसद किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि अर्थव्यवस्था के समक्ष इस समय जो बड़ा सवाल है: वह यह कि क्या हम अस्थायी नरमी में है या यह चक्रीय गिरावट है अथवा इस सुस्ती के पीछे संरचनात्मक मुद्दे बड़ी वजह हैं? केंद्रीय बैंक ने कहा कि नरमी का यह दौर एक गहरी संरचनात्मक सुस्ती के बजाय चक्रीय गिरावट का हो सकता है।

रिजर्व बैंक ने वर्ष 2019 में महत्त्वपूर्ण नीतिगत दर रेपो में 1.10 फीसद की कटौती की है। लगातार चार बार की गई कटौती के बाद रेपो दर 5.4 फीसद पर नौ साल के निचले स्तर पर आ गई है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि अब सभी के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता उपभोग में सुधार और निजी निवेश में बढ़ोतरी की है। रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंकिंग और गैर-बैंकिंग क्षेत्रों को मजबूत कर, बुनियादी ढांचा खर्च में बड़ी वृद्धि और श्रम कानून, कराधान और अन्य कानूनी सुधारों के क्रियान्वयन के जरिए इसे हासिल किया जा सकता है।

रिजर्व बैंक ने कहा कि कुल मांग उम्मीद से अधिक कमजोर पड़ी है। घरेलू मांग में सुस्ती से अर्थव्यवस्था में 'जोश' का अभाव है। वित्तीय प्रोत्साहन की मांग के बीच रिजर्व बैंक ने कई ऐसे कारक बताए हैं जिससे राज्यों की प्रोत्साहन देने की क्षमता प्रभावित हो रही है। इसमें कृषि ऋण माफी, सातवें वेतन आयोग का क्रियान्वयन और आमदनी समर्थन की विभिन्न योजनाएं शामिल हैं।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि वृहद आर्थिक स्थिरता के चमकदार पहलुओं में बेहतर मानसून की वजह से मुद्रास्फीति अनुकूल रहने, राजकोषीय घाटे पर काबू और चालू खाते का घाटा निचले स्तर पर रहना शामिल है।

बिकवाली से सूचकांक 383 अंक टूटा

मुंबई, 29 अगस्त (भाषा)।

कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच अगस्त शृंखला के वायदा व विकल्प कारोबार के समापन से बैंकिंग और वित्तीय कंपनियों के शेयरों में बिकवाली से गुरुवार को बीएसई सूचकांक 383 अंक टूट गया। दिनभर के कारोबार में काफी अधिक उतार-चढ़ाव के बाद 30 शेयरों पर आधारित सूचकांक 382.91 अंक यानी 1.02 फीसद की गिरावट के साथ 37,068.93 अंक पर बंद हुआ। सूचकांक एक समय 36,987.35 अंक तक नीचे लुढ़क गया था।

इसी तरह एनएसई निफ्टी 97.80 अंक 0.89 फीसदी की गिरावट के साथ 11,000 अंक से नीचे रहकर 10,948.30 अंक पर बंद हुआ। अमेरिका और चीन के सितंबर में व्यापार वार्ता के अगले दौर की तैयारी करने से जुड़ी खबरों के बीच अधिकतर एशियाई बाजार लाल अंकों में बंद हुए।

एसबीआइ, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, येस बैंक, आइटीसी, आरआइएल, एमएंडएम, टाटा मोटर्स और आइसीआइसीआइ बैंक के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। दूसरी ओर सन फार्मा, वेदांता, एनटीपीसी, ओएनजीसी, एशियन पेंट्स, इंफोसिस और एचयूएल के शेयरों में 5.31 फीसदी तक की बढ़त देखने को मिली। विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक स्तर पर मंदी की चिंताओं के बीच वायदा व विकल्प खंड के साप्ताहिक व मासिक अनुबंधों के समापन के कारण घरेलू बाजार में उथल-पुथल देखने को मिली।

सरकार ने सीबीडीटी चेयरमैन पीसी मोदी का कार्यकाल बढ़ाया

नई दिल्ली, 29 अगस्त (भाषा)।

सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन पीसी मोदी का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है। एक सरकारी आदेश में गुरुवार को यह जानकारी दी गई। आदेश के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने एक साल के लिए पीसी मोदी की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी। मोदी 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे थे।

भारतीय राजस्व सेवा (आयकर कैडर) के 1982 बैच के अधिकारी पीसी मोदी को फरवरी में सीबीडीटी का प्रमुख नियुक्त किया गया था। समिति ने एक अन्य आदेश में 1983 बैच के आईआरएस अधिकारी प्रभाष शंकर को सीबीडीटी का नया सदस्य नियुक्त किया है।

आंध्रा बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)

आंचलिक कार्यालय: मेरठ, उत्तर प्रदेश

धारा 13 (2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत डिमांड नोटिस

निम्न उधारकर्ताओं ने बैंक द्वारा प्रदत्त ऋण की किश्त, ब्याज आदि के सामयिक भुगतान में चूक हुई है तथा यह ऋण अनर्जक आस्ति (एनपीए) में तब्दील हो चुका है जिसके संदर्भ में आपको डिमांड नोटिस दिया जा रहा है। उधारकर्ताओं/गारंटरों के द्वारा नियम एवं शर्तों के अनुसार ऋण की अदायगी करने में असफल रहने के फलस्वरूप ऋण खाता एनपीए (गैर निष्पादित सम्पत्तियों) की श्रेणी में वर्गीकृत हो गया। **वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अनुच्छेद 13 (2)** के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/ऋणियों/गारन्टर्स को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए माग नोटिस उनके पते पर जारी किया था, जो कि कुछ मामलों में नोटिस वापस आ गये हैं और अन्य मामलों में पावती प्राप्त नहीं हुई है। सभी संबंधित ऋणी/ऋणियों/गारन्टर्स को सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है।

फाइनेंसिंग ब्रांच का नाम ऋणी/गारन्टर/बंधककर्ता के नाम	बकाया राशि (रु0) एवं ब्याज लागत एनपीए की तिथि तक	बंधक आस्तियां/सम्पत्ति का विवरण
रुद्रपुर शाखा– ऋणकर्ता: श्री अशोक तिवारी पुत्र श्री राम दास तिवारी, म. नं 41 ए 42 ग्राम– जयनगर, एच पी पेट्रोल पंप के पास, तहसील- रुद्रपुर, जिला– यू एस नगर, यूके –263153 **सह– ऋणकर्ता: श्रीमती शांति देवी** पत्नी अशोक तिवारी, म. नं 41 ए 42 गांव जयनगर, एच पी पेट्रोल पंप के पास, तहसील– रुद्रपुर, जिला यू एस नगर, यूके –263153 **गारंटर: ए) श्रीमती विजय लक्ष्मी** पत्नी श्रीराम तिवारी, मॉडर्न मोंटेसरी स्कूल के पास, नैनीताल रोड, लगता पंतनगर, पो. लगता डेयरी फार्म –263149 **बी) श्री राम तिवारी** पुत्र स्वर्गीय कृपा शंकर तिवारी, मॉडर्न मोंटेसरी स्कूल के पास, नैनीताल रोड, लगता पंतनगर, पो. लगता डेयरी फार्म –263149 **सुविधा की प्रकृति– HLGEN स्वीकृति की सीमा रु. 2800000 और HLPGN स्वीकृति की सीमा रु. 1000000**	बकाया दिनांक 02.08.2019 रु0 39,52,883.10/– (रुपये उनतालीस लाख बावन हजार आठ सौ तिरासी एवं दस पैसा मात्र) एनपीए दिनांक 11.07.2019	ए) भूमि और भवन–आवासीय स्वामित्व अशोक तिवारी पुत्र श्री राम दास तिवारी (संपत्ति के मालिक), स्थित खसरा नंबर 65 का मिन, मकान नंबर 45–ए और मकान नंबर 46 का आधा हिस्सा, क्षेत्रफल 111.52 वर्गमी. गांव जयनगर, तहसील रुद्रपुर, जिला यू एस नगर और सीमायें–पूर्व: राज गौड़ अनिल मौली, पश्चिम: पैडर का मकान, उत्तर: प्लॉट नंबर 52 और 63, दक्षिण: 9.09 मीटर चौड़ा रास्ता
रुद्रपुर शाखा– ऋणकर्ता: श्री प्रकाश चंद्र गुप्ता, निवासी विला नंबर 53, प्लेटिनम टॉवर जेस्टा डेवलपर्स, खाता नं 694, खसरा नं 225, गांव – कुलसुगी, तहसील– किच्छा, रुद्रपुर, जिला– यू एस नगर उत्तराखंड –263153 **सह– ऋणकर्ता: श्रीमती गीता गुप्ता** पत्नी श्री प्रकाश चंद्र गुप्ता निवासी विला नं 53, प्लेटिनम टॉवर, जेस्टा डेवलपर्स, खाता नं 694, खसरा नं 225, गांव – कुलसुगी, तहसील– किच्छा, रुद्रपुर जिला–यू.एस. नगर, उत्तराखंड –263153 **सह– ऑब्लिगेंट: श्री योगेश गुप्ता** निवासी म. नं. 777, वार्ड नंबर 19, आवास विकास कॉलोनी, रुद्रपुर, जिला यू एस नगर, यूके 263153 **सुविधा की प्रकृति– HLPGN स्वीकृति की सीमा रु. 1200000**	बकाया दिनांक 01.08.2019 रु0 8,84,515.80/– (रुपये आठ लाख चौरासी हजार पांच सौ पंद्रह रुपये एवं अस्सी पैसा मात्र) एनपीए दिनांक 12.07.2019	ए) भूमि और भवन – आवासीय मकान स्वामित्व श्री प्रकाश चंद गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री राम चरण गुप्ता और श्रीमती गीता गुप्ता पत्नी श्री प्रकाश चंद गुप्ता (संपत्ति का मालिक), स्थित खेत नंबर 225 मिन, विला नंबर 53, प्लेटिनम टॉवर जेस्टा डेवलपर्स, खाता नंबर 694, खसरा नंबर 225 गांव–कुलसुगी, तहसील– किच्छा, रुद्रपुर, जिला– यूएस नगर, उत्तराखंड– 263153 क्षेत्रफल 104.416 वर्ग मी0, और सीमायें – पूर्व: कॉलोनी रोड, पश्चिम: प्लॉट नंबर 14, उत्तर: प्लॉट नंबर 51, दक्षिण: प्लॉट नंबर 52
रुड़की शाखा–ऋणकर्ता: श्री मदन गोपाल पुत्र स्वर्गीय श्री जानकी निवासी म. नं.–837/2 खसरा नं–240/1 एम न्यू आदर्श नगर मलकपुर लतीफपुर, अतुल टीवीएस शोरूम के पास रुड़की **बी) श्रीमती कौशल्या देवी** पत्नी श्री मदन गोपाल निवासी म.नं.– 837/2 खसरा नंबर–240/1 एम न्यू आदर्श नगर मलकपुर लतीफपुर अतुल टीवीएस शोरूम के पास रुड़की **सह– ऑब्लिगेंट: ए) श्री रजनीश धीमान** पुत्र ओम प्रकाश धीमान निवासी मंगल विहार 4, सुनहेरिया गंग नहर का भाग, रुड़की यूके–247667 **बी) श्री अमरिक सिंह पुत्र अमर सिंह (प्रो. मैसर्स भारत फर्नीचर्स)**, निवासी 30, नेहरू नगर, रुड़की यूके–247667 **सुविधा की प्रकृति– HLPGN स्वीकृति की सीमा रु. 2000000**	बकाया दिनांक 02.08.2019 रु0 7,94,849.47/– (रुपये सात लाख चौरानवे हजार आठ सौ उनचास रुपये एवं सैन्तालीस पैसा मात्र) एनपीए दिनांक 07.07.2019	ए) भूमि और भवन – आवासीय मकान स्वामिनी श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी मदन गोपाल (संपत्ति का मालिक), म. नं.– 837/2 पर सर्वेक्षण न. खसरा नंबर –240/1–एम, न्यू आदर्श नगर, मलकपुर लतीफपुर नागर, अतुल टीवीएस शोरूम के पास, रुड़की। क्षेत्रफल 1430.27 वर्गफीट। सीमायें:– पूर्व: ठाकुर देवेंद्र सिंह का मकान, पश्चिम: सीसी लेन 12 फीट चौड़ी, उत्तर: सुंदर लाल का मकान, दक्षिण: श्री प्रदीप का प्लॉट
रुड़की शाखा– ऋणकर्ता: ए) श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री मदन गोपाल, निवासी 837/2 न्यू आदर्श नगर अतुल टीवीएस के पास रुड़की, मलकपुर, लतीफपुर हरिद्वार **बी) मदन गोपाल** पुत्र स्वर्गीय श्री जानकी, निवासी 837/2 न्यू आदर्श नगर अतुल टीवीएस के पास रुड़की, मलकपुर, लतीफपुर हरिद्वार **सह– ऋणकर्ता: श्री सचिन पुत्र** श्री मदन गोपाल, निवासी 837/2 न्यू आदर्श नगर अतुल टीवीएस के पास रुड़की, मलकपुर, लतीफपुर हरिद्वार **सह– ऑब्लिगेंट: श्री नितिन कुमार** पुत्र श्री मदन गोपाल, निवासी 837/2 न्यू आदर्श नगर अतुल टीवीएस के पास रुड़की, मलकपुर, लतीफपुर हरिद्वार **सुविधा की प्रकृति –ABPTL और स्वीकृति सीमाएं– 1300000**	बकाया दिनांक 02.08.2019 रु0 11,79,299.62/– (रुपये ग्यारह लाख सत्तर हजार दो सौ निनयानवें रुपये एवं बासठ पैसा मात्र) एनपीए दिनांक 23.07.2019	ए) भूमि और भवन – आवासीय स्वामिनी श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी मदन गोपाल (संपत्ति का मालिक), स्थित आवासीय भवन – मकान नं0 837/02, खसरा नंबर–240/01–एम, न्यू आदर्श नगर अतुल टीवीएस के पास रुड़की, मलकपुर, लतीफपुर हरिद्वार, क्षेत्रफल 1430.27 वर्गफीट। सीमायें:– पूर्व: देवेंद्र सिंह की सम्पत्ति, पश्चिम: सीसी लेन 12 फीट रोड, उत्तर: सुंदर लाल की संपत्ति, दक्षिण: प्रदीप की संपत्ति बी) फैक्टरी भूमि और भवन स्वामिनी श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री मदन गोपाल (संपत्ति का मालिक) स्थित खसरा नंबर 58–एम, ग्राम मलकपुर मुस्तहकम, एकेडमी स्कूल के सामने, रुड़की–247667 हरिद्वार क्षेत्रफल 1555.83 वर्ग फीट। सीमायें:– पूर्व: पुरुषोत्तम की भूमि, पश्चिम: 20 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर: मो. अनवार के प्लॉट शेष भाग दक्षिण: संदीप कुमार अग्रवाल का प्लॉट।
रुड़की शाखा–ऋणकर्ता: मैसर्स भगवती डायनामिक्स (प्रोप श्रीमती कौशल्या देवी) पता 5, ग्राम पोस्ट–माजरा, न्यू हरिद्वार रोड, रुड़की, उत्तराखंड 247667 **गारंटर: श्री मदन गोपाल** पुत्र स्वर्गीय श्री जानकी प्रसाद निवासी म. न –837/2, खसरा नं. 240/1, न्यू आदर्श नगर, मलकपुर, लतीफपुर, रुड़की, यूके – 247667 **सुविधा की प्रकृति – OCCGN और स्वीकृति सीमाएँ– 1700000**	बकाया दिनांक 02.08.2019 रु0 15,04,153.00/– (रुपये पंद्रह लाख चार हजार एक सौ तिरेपन रुपये मात्र) एनपीए दिनांक 14.07.2019	ए) भूमि और भवन – आवासीय स्वामिनी श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी मदन गोपाल (संपत्ति का मालिक), स्थित ईम आवासीय मकान नंबर –837/2, खसरा नंबर–240/1, न्यू आदर्श नगर मलकपुर लतीफपुर, रुड़की। क्षेत्रफल 1430.27 वर्गफीट श्रीमती कौशल्या देवी के नाम पर। सीमायें:–पूर्व: देवेंद्र सिंह की संपत्ति, पश्चिम: सीसी लेन 12 फीट रास्ता, उत्तर: सुंदर लाल की संपत्ति, दक्षिण: प्रदीप की संपत्ति
बाल्लूपुर चौक देहरादून शाखा– ऋणकर्ता: श्री पंकज कुमार पुत्र श्री राज कुमार निवासी म. नं. 309, 61/3, सेक्टर–9, इंदर विहार, शिव मंदिर के पास, देहरादून उत्तराखंड 248001 **सह– ऑब्लिगेंट: श्री शेर सिंह** पुत्र श्री किशन सिंह, क्वार्टर नंबर 12/4, ओएनजीसी, कॉलोनी, कौलागढ़ रोड, देहरादून, उत्तराखंड 248001 **सुविधा की प्रकृति– HLPGN और स्वीकृति सीमाएँ– 2000000**	बकाया दिनांक 01.08.2019 रु0 19,53,075.00/– (रुपये उन्नीस लाख तिरेपन हजार पचहत्तर रुपये मात्र) एनपीए दिनांक 05.07.2019	ए) आवासीय फ्लैट स्वामित्व श्री पंकज कुमार पुत्र श्री राज कुमार (संपत्ति का मालिक), स्थित प्रथम तल पर, (छत के अधिकार के साथ) संपत्ति नंबर 435/329/309, गली नंबर 09, इंदर विहार, राजेंद्र नगर, कौलागढ़ रोड, देहरादून। सीमायें:–पूर्व: सुमेर चंद की संपत्ति, पश्चिम: किशन की संपत्ति, उत्तर: शाही जी की संपत्ति, दक्षिण: रोड 3.04 मी. चौड़ी
प्रेम नगर – बरेली– ऋणकर्ता: ए) श्री नासिर अली पुत्र श्री अनवर अली, निवासी म. नं. जी –5 चौधरी मोहल्ला बेगम साहब का फाटक बरेली, यूपी –243001 **सह– ऋणकर्ता: बी) श्रीमती फहीम जहान** पत्नी नासिर अली, निवासी म. नं. जी –5 चौधरी मोहल्ला, बेगम साहब का फाटक, बरेली, यूपी –243001 यूपी **सह– ऑब्लिगेंट: श्री कामरान तारिक** पुत्र इरशाद उल्लाह अंसारी, निवासी म. नं 77 बान खाना, बरेली, यूपी 243001 **सुविधा की प्रकृति– ABPTL और स्वीकृति सीमाएँ – 525000.00**	बकाया दिनांक 01.08.2019 रु0 4,50,260.00/– (रुपये चार लाख पचास हजार दो सौ साठ रुपये मात्र) एनपीए दिनांक 09.07.2019	ए) भूमि और भवन – स्वामित्व श्री नासिर अली पुत्र श्री अनवार अली (संपत्ति का मालिक) स्थित गाटा संख्या –547 और 548 का भाग, क्षेत्रफल 111.48 वर्ग मीटर। बाके, जनकपुरी, नेकपुर, जिला बरेली, यूपी सीमायें –पूर्व: सह शेयरधारकों की भूमि, पश्चिम: रास्ता 11 फीट चौड़ा इसके बाद सह शेयरधारकों की भूमि, उत्तर: सह शेयरधारकों की भूमि, दक्षिण: खरीददार नासिर अली का प्लॉट बी) भूमि और भवन – स्वामित्व श्री नासिर अली पुत्र अनवार अली (संपत्ति का मालिक) स्थित गाटा संख्या 547 और 548 का भाग, क्षेत्रफल 96.33 वर्ग मीटर। बाके जनकपुरी, नेकपुर बरेली, यूपी सीमायें:–पूर्व: आराजी श्री खान और जमील खान और शकील आदि, पश्चिम: रास्ता 11 फीट चौड़ा, उत्तर: क्रेता नासिर अली का प्लॉट, दक्षिण: क्रेता नासिर अली का मुख्य प्लॉट
मेरठ शाखा–ऋणकर्ता: श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री लाल चंद शर्मा निवासी 179/2, सरस्वती विहार, पेट्रोल पंप रोहटा रोड के सामने, मेरठ, उत्तर प्रदेश **गारंटर: श्री हिम्मत कुमार शर्मा** पुत्र श्री लाल चंद शर्मा, निवासी 25/441, कासमपुर, मेरठ, मेरठ कैंट, उत्तर प्रदेश –250001 **सह– ऑब्लिगेंट: (वाहन ऋण) श्री बलदेव राज** पुत्र श्री स्वर्गीय मुन्नीलाल शर्मा, निवासी म. न. टी –13/2, होमगार्ड कॉलोनी, कंटोनमेंट बोर्ड, मेरठ। **बंधककर्ता: श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** पुत्र श्री लाल चंद शर्मा निवासी 179/2, सरस्वती विहार, पेट्रोल पंप रोहटा रोड के सामने, मेरठ, उत्तर प्रदेश **सुविधा की प्रकृति– CONVL और स्वीकृति सीमाएँ – 600000 और HLPGN और स्वीकृति सीमाएँ –675000**	बकाया दिनांक 01.08.2019 रु0 8,14,435.80/– (रुपये आठ लाख चौदह हजार चार सौ पैंतीस रुपये एवं अस्सी पैसा मात्र) एनपीए दिनांक 09.07.2019	दृष्टि बंधक एलएमवी (कार) बोलेरो–मॉडल ZLXIV और/या के तहत विस्तृत बंधक संपत्ति का विवरण भूमि और भवन – आवासीय मकान स्वामित्व श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (संपत्ति का मालिक), स्थित मकान के दक्षिणी भाग का खसरा नंबर –135/2, गली नंबर–29, गांव–कासमपुर (सूरजपुर), जिला मेरठ यूपी। क्षेत्रफल 64.80 वर्ग मीटर। सीमायें:–पूर्व: 17 फीट और 12 फीट रोड, पश्चिम: 17 फीट श्री जयपाल का मकान, उत्तर: 45 फीट श्री दीप चंद का मकान, दक्षिण: 40 फीट श्री राजेंद्र शर्मा के मकान का शेष भाग

उपरोक्त सूची के अनुसार दी गई सम्पत्ति उपर्युक्त क्रेडिट सुविधाएं के लिए बैंक द्वारा प्रतिभूति के रूप में लिया गया है:– सभी संबन्धित ऋणी/ऋणियों/गारन्टर्स को यह सूचित किया जाता है कि वे अपनी समस्त देयताओं का निस्तारण इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के अन्दर करा दें अन्यथा बैंक वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 अन्तर्गत प्रदत्त सभी शक्तियों अथवा किसी एक शक्ति का प्रयोग करने का अधिकारी होगा। उधारकर्ता/गारन्टर/बंधककर्ता को सलाह दी जाती है कि संबंधित बैंक से नोटिस की प्रति एकत्र कर लें

दिनांक–28.08.2019 प्राधिकृत अधिकारी

ICAT इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टैक्नोलॉजी

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नेट्रिप इंप्लीमेंटेशन सोसाइटी ने निम्नलिखित मशीनरी/उपकरण तथा अन्य सामग्री को कैम्पस- II, (Plot No.01, Sector M-11, HSIIDC, IMT-Manesar, Gurugram-122050), मानेसर, हरियाणा में बेकार पड़े हैं उनको "जैसा है जहां है" के आधार पर बेचने का निर्णय लिया है।

उपकरणों/मशीनरी और अन्य सामग्री का विवरण इस प्रकार है: 1. मिट्टी कम्पेक्टर 1No. 2. PTR रोलर 1No. 3. ट्रैण्डम रोलर 1No. 4. छोटा डीजल जेनरेटर 1No. 5. कंप्रेसर के साथ ट्रैक्टर 1No. 6. पानी का टैंकर 1No. 7. लैब आइटम, 8. सेंसर पेवर 1No. 9. वाइनिंग सामग्री, 10. रेफोर्समेंट स्टील, 11. GSB, 12. एमुलिशन, 13. चूना आदि।

उपरोक्त मशीनरी/उपकरण तथा अन्य सामग्री का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी से अनुमति प्राप्त करने के बाद **दूसरे दिन**, उपरोक्त पते पर सुबह **10 बजे से शाम 4 बजे** के बीच किया जा सकता है।

उपरोक्त उपकरणों/मशीनरी और अन्य सामग्री की बिक्री पर आपत्ति करने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के साथ लिखित में अपनी आपत्तियां भेजनी होंगी। आपत्तिया इस नोटिस के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी तक पहुंच जानी चाहिए। इसके विफल होने पर यह माना जाएगा कि उपरोक्त सामग्रियों को बेचने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों की समाप्ति के बाद कोई आपत्ति/दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

श्री यू. डी. भंगाले
मोबाइल - 9810271130
कैम्पस- II, ICAT, Plot No.01, Sec-M-11, IMT-मानेसर, हरियाणा

VIKALP SECURITIES LIMITED

Regd. Office: 25/38, KARACHI KHANA, KANPUR, UTTAR PRADESH -208001
CIN-L65993UP1986PLC007727 , Contact No: 0512-2372665
Email id : vikalpsecuritieslimited@gmail.com
Website : www.vikalpsecurities.com

NOTICE OF 33RD ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE AND REMOTE E-VOTING

NOTICE is hereby given that 33rd Annual General Meeting ("AGM") of the members of VIKALP SECURITIES LIMITED (the "Company") is scheduled to be held on Monday, 23rd of September, 2019 at 09:00 A.M. at the registered office of the Company at 25/38, Karachi Khana, Kanpur-208001, Uttar Pradesh to transact the business as stated in the Notice sent to members individually. The Annual Report including the Notice of the Annual General Meeting, Directors" Report, Management Discussion and Analysis Report, Annual Audited Accounts of the Company for the financial year ended on 30th of March, 2019 has been sent in electronic mode at the email addresses of the members whose email addresses are registered with the Company and is also available on the website of the Company **www.vikalpsecurities.com.** Hard copies have been sent in the permitted mode to the registered addresses of members whose email addresses are not registered and shall also be sent to those members who will request for the same.

As per Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Company is pleased to provide to its members the facility to cast their vote by electronic means (Remote E-voting) on all resolutions set forth in the Notice. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited for providing Remote E-voting facility. As per Section 91 of the Companies Act, 2013 read with rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and in accordance with the Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company shall be closed from 16th of September, 2019 to 22nd of September, 2019 (Both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company for the financial year ended on 31th of March, 2019.

Notes :

1. The business may be transacted through voting by electronic means or through attending the AGM
2. The date and time of commencement of remote e-voting: 20th of September, 2019, 09:00 A.M..
3. The date and time of end of remote e-voting: 22nd of September, 2018, 05:00 P.M..
4. Cut-off date as on which the right of voting of the members shall be reckoned is 16th of September, 2019.
5. Process for voting through remote e-voting facility is provided in the Notice of the AGM.
6. Any person who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as of the cut-off date i.e. 16th of September, 2019, may obtain their user ID and password for Remote E-voting from the Company"s Registrar and Share Transfer Agent (RTA), the contact details of which is available on the website of the Company or from National Securities Depository Limited.
7. If a member is already registered with National Securities Depository Limited, existing User Id and Password can be used by him for casting vote.
8. **The members may note :**
   a) Remote e-voting shall not be allowed beyond 22nd of September, 2019, 05:00 P.M..
   b) At the venue of AGM, voting shall be done through poll papers ("Poll Paper") and the Members attending AGM who have not casted their vote by Remote E-voting shall be entitled to cast their vote through Poll Paper.
   c) Members may participate in the AGM even after exercising their right to vote through Remote E-voting but shall not be allowed to vote again at the venue of the AGM. If a Member casts votes through Remote E-voting and also at the AGM, then voting done through Remote E-voting shall prevail and voting done at the AGM shall be treated as invalid.
   d) A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on Monday, September 16, 2019 (the "Cut Off Date") only shall be entitled to vote through Remote E-voting and at the AGM. The voting rights of Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut Off date.
9. In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of **https://www.evoting.nsdl.com** or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990.
10. Documents referred to in the accompanying Notice and the Statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013, will be available for inspection at the Registered Office of the Company during business hours on all working days up to the date of declaration of the result of 33rd Annual General Meeting of the Company.
11. The website addresses of the Company and of the agency where Notice of AGM of the Company is available are **www.vikalpsecurities.com** and www.nsdl.co.in, respectively.
12. Name, designation, email address, contact number and address of the person responsible to address the queries and grievances related with the facility for voting by electronic means :

   Ms. SHUBHANI GUPTA, COMPANY SECRETARY, email id: vikalpsecuritieslimited@gmail.com, Contact No. 0512-2372665, Address : 25/38, Karachi Khana, Kanpur - 208001, Uttar Pradesh.

For **Vikalp Securities Limited**
Sd/-
Arun Kejriwal
Managing Director
DIN : 00687890

Date : 29th August, 2019
Place : Kanpur

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
भूखण्ड संख्या–1, नॉलेज पार्क –04, ग्रेटर नोएडा सिटी, गौतम बुद्ध नगर.

सार्वजनिक सूचना

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत M/s Ocean Infraheight Pvt. Ltd. के भूखण्ड संख्या–11, सेक्टर–टैकजोन–04, ग्रेटर नोएडा पर दिनांक 28.06.2018 को मानचित्र स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तदोपरान्त बिल्डर द्वारा पुनरीक्षित मानचित्र स्वीकृति (Revised Sanction) हेतु दिनांक 01.08.2019 को आवेदन किया गया है, जिसमें पूर्व स्वीकृत भवन मानचित्र के डिजाइन व अन्य कतिपय संशोधन किया जा रहा है। अतः प्रत्येक आवंटियों द्वारा अपनी consent दी गई है या नहीं, के सम्बन्ध में अपार्टमेन्ट ओनर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इस सम्बन्ध में बिल्डर द्वारा प्रस्तुत संशोधित declarations एवं मानचित्र का परीक्षण किसी भी कार्यदिवस में सुबह 9.30 से सांय 6.00 बजे के मध्य नियोजन विभाग के displayed में नक्शों में किया जा सकता है। मानचित्रों में उ0प्र0 अपार्टमेन्ट एक्ट – 2010 के प्राविधानों के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित संशोधन की घोषणा के सम्बन्ध में अपार्टमेन्ट स्वामियों/संघ को नोटिस जारी करने के साथ 30 दिन के अन्दर आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती हैं।

अतः उपरोक्त के निहतार्थ अपनी आपत्तियाँ लिखित रूप से अपने आवंटन पत्र, नाम, पता एवं दूरभाष नंबर के साथ कार्यालय समय व कार्यदिवस में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, भूखण्ड संख्या–1, नॉलेज पार्क–04, ग्रेटर नोएडा में स्थित वरिष्ठ प्रबंधक, (वास्तु) विभाग में निर्धारित अवधि अर्थात सूचना प्रकाशित होने के 30 दिवसों में प्राप्त करायी जा सकती हैं।

वरिष्ठ प्रबंधक, (वास्तु)
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण

TIGER LOGISTICS (INDIA) LIMITED
CIN-L74899DL2000PLC105817
Regd. & Corporate Office: D-174, Ground Floor, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi- 110020.
Tel.: 011-47351111 **Fax.:** 011-2622 9671
Website: www.tigerlogistics.in, **Email.:** tlogs@tigerlogistics.in

NOTICE

Notice is hereby given that 19th Annual General Meeting of the company is scheduled to be held on F**RIDAY, 27TH SEPTEMBER, 2019 AT 1:00 P.M. AT MODI HALL, PHD CHAMBER OF COMMERCE, NO. 4/2, SIRI INSTITUTIONAL AREA, AUGUST KRANTI MARG, NEW DELHI- 110016.** The Notice convening the AGM in annual report will be send to all the members at their respective registered address/ Email address. The copy of aforesaid documents will be available on the company's website- www.tigerlogistics.in.

Pursuant to Section 91 of the companies Act, 2013 read with rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 the register of the members and share transfer books of the company will remain closed from 20th September to 27th September, 2019 (both days inclusive) to determine shareholding.

In terms of Listing Regulations, the Company is providing e-voting facility to the members through NSDL. E-voting will be available from 24th September, 2019 (10:00 AM) till 26th September, 2019 at (5:00 PM) and shall not be available thereafter. Pursuant to the listing Regulations the company is providing remote e-voting facilities to the shareholders whose name appear in the register of member as on 21st September, 2019 (cut-off date) may cast their vote electronically.

Mr. Manoj Kumar Jain, AMJ & Associates, Practicing company secretary has been appointed as scrutinizer for the e-voting or ballot/poll form counting.

In case of any queries/ clarifications related to e-voting/Ballot form, members can contact Big share Services Pvt.. Ltd, RTA of the company at www.bigshareonline.com.

For Tiger Logistics (India) Limited
Sd/-
Vishal Saurav Gupta
Company Secretary & Compliance Officer

Date: 28/08/2019
Place: New Delhi

गर्व इंडस्ट्रीज लिमिटेड

के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ सार्वजनिक उद्घोषणा का शुद्धिपत्र
पंजीकृत कार्यालय: एच. नं. 8885, जी. नं.-2, मुल्तानी ढांडा, पहाड़गंज, दिल्ली-110055
CIN: L74990DL2017PLC324826, टेली: +91 **टेली:** +91-23629277,
ई-मेल आईडी: info@garvindustries.com
वेबसाईट: www.garvindustries.com

सेबी (सब्स्टांशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टैक ओवर्स) विनियमन, 2011 के विनियमन 26(7) तथा उसके संबंधित परवर्ती संशोधन (सेबी (एसएएसटी) विनियमन, 2011''/विनियमनों''] के अंतर्गत गर्व इंडस्ट्रीज लिमिटेड (''गर्व''/ ''टार्गेट कम्पनी'') के सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए खुले प्रस्ताव पर स्वतंत्र निदेशकों की समिति (''आईडीसी'') की सिफारिशें

1.	तिथि	30 अगस्त, 2019
2.	टार्गेट कम्पनी 'टीसी' का नाम	गर्व इंडस्ट्रीज लिमिटेड
3.	टीसी से संबंधित प्रस्ताव का विवरण	यह प्रस्ताव सेबी (एसएएसटी) विनियमन 2011 के विनियम 8 के अनुसार निर्धारित रु. 10.65 (रुपए दस एवं पैसे पैंसठ मात्र) प्रति इक्विटी शेयर के मूल्य पर टार्गेट कम्पनी के 26% आउटस्टैंडिंग, निर्गत तथा पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी/वोटिंग कैपिटल का प्रतिनिधित्व करने वाले रु. 10/- प्रति के 2652000 इक्विटी शेयर तक के अधिग्रहण के लिए सेबी (सब्स्टांशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टैक ओवर्स) विनियमन, 2011 के विनियमन 3(1) एवं 4 तथा लागू होने वाले प्रावधानों के अनुसार अधिग्रहणकर्ता द्वारा की गई है।
4.	अधिग्रहण कर्ता का नाम	श्री स्वर्णजीत सिंह सयाल (''अधिग्रहणकर्ता 1'') श्री रूबलजीत सिंह सयाल (''अधिग्रहणकर्ता 2'')
5.	प्रस्ताव के प्रबंधक का नाम	फास्ट ट्रैक फिनसेक प्राईवेट लिमिटेड
6.	स्वतंत्र निदेशकों की समिति के सदस्य	श्री विशाल अगरवाल-अध्यक्ष श्री अमित अगरवाल-सदस्य
7.	टीसी के साथ आईडीसी के सदस्यों का संबंध (निदेशक, अर्जित इक्विटी शेयरों तथा अन्य सम्पर्क/ संबंध) यदि कोई हो	आईडीसी टार्गेट कम्पनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक हैं। श्री विशाल अगरवाल को छोड़कर कोई भी स्वतंत्र निदेशक टार्गेट कम्पनी का इक्विटी शेयर धारित नहीं करते हैं। उनमें से किसी ने भी टार्गेट कम्पनी के साथ कोई अनुबंध अथवा अन्य संबंध स्थापित नहीं किया है।
8.	आईडीसी सदस्यों द्वारा टीसी की इक्विटी शेयरों/ अन्य प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग	आईडीसी के किसी भी सदस्यों ने टार्गेट कम्पनी की इक्विटी शेयरों में कोई ट्रेडिंग नहीं किया है।
9.	अधिग्रहणकर्ता के साथ आईडीसी के सदस्यों का संबंध (निदेशक, अर्जित इक्विटी शेयरों तथा अन्य सम्पर्क/ संबंध) यदि कोई हो	आईडीसी के कोई भी सदस्य उन कम्पनियों के निदेशक नहीं हैं जहां अधिग्रहणकर्ता के नॉमिनीज निदेशक के रूप में कार्यरत हैं अथवा न ही उनकी व्यक्तिगत हैसियत में अधिग्रहणकर्ता के साथ उनका संबंध है।
10.	आईडीसी के सदस्यों द्वारा अधिग्रहणकर्ता की इक्विटी शेयरों/अन्य प्रतिभूतियों में ट्रेडिंग	निल
11.	ऑपन ऑफर पर सिफारिश इस संदर्भ में कि ऑफर उचित तथा औचित्यपूर्ण है	आईडीसी का मानना है कि ऑफर उचित तथा औचित्यपूर्ण है।
12.	सिफारिश के कारणों का सारांश	सिफारिश करने के लिए आईडीसी ने निम्न पर विचार किया हैः आईडीसी ने प्राप्त किया है क) अधिग्रहणकर्ता की ओर से जारी ऑफर के सिलसिले में सार्वजनिक उद्घोषणा (''पीए'') तिथि 9 जुलाई, 2019, ख) विस्तृत सार्वजनिक उद्घोषणा (''डीपीएस'') जो 16 जुलाई, 2019 को प्रकाशित की गई तथा ग) आशय पत्र (''एलओएफ'') तिथि 27 अगस्त, 2019 पीए, डीपीएस तथा एलओएफ की समीक्षा के आधार पर आईडीसी का मानना है कि सेबी (एसएएसटी) विनियमन, 2011 के प्रावधानों के अनुरूप अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित रु. 10.65 (रुपए दस तथा पैसे पैंसठ मात्र) प्रति इक्विटी शेयर का प्रस्ताव मूल्य प्रथम दृष्टि में औचित्यपूर्ण है।
13.	स्वतंत्र सलाहकार का विवरण	कोई नहीं
14.	अन्य कोई विषय जो प्रस्तुत की जाये	कोई नहीं

सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं विश्वास में उपयुक्त जाँच-पड़ताल के बाद संलग्न विवरण में शामिल जानकारी सभी दृष्टियों से सत्य एवं सही है तथा भ्रामक नहीं है जिसमें किसी भी रूप में किसी भी तथ्यों को छिपाया नहीं गया है तथा उसमें ऐसी सभी जानकारी शामिल की गई हैं जो सेबी (एसएएसटी) विनियमन, 2011 के अंतर्गत टार्गेट कम्पनी द्वारा उद्घाटित किया जाना वांछित है।

गर्व इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए
हस्ता
विशाल अग्रवाल
अध्यक्ष-आईडीसी

तिथि: 30 अगस्त, 2019
स्थान: नई दिल्ली

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra

शाखा : दयाल बाग, फरीदाबाद (1274)
टेलीफोन :0129-2510374 : 2510377
ई-मेल : brmgr1274@mahabank.co.in
प्रधान कार्यालय : लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे-5

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री अजय कुमार पुत्र श्री यशवन्त कुमार निवासी मकान नंबर 12 ए, राम बाग, श्याम कालोनी, तिगांव रोड, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा – 121004, पैन नंबर **AINPK7980N** तथा श्री यशवन्त कुमार पुत्र श्री अनंत राम निवासी मकान नंबर 12 ए, राम बाग, श्याम कालोनी, तिगांव रोड, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा – 121004 पैन नं. **AMTPK1075A** ने मकान नंबर 2239, सेक्टर-9, फरीदाबाद (हरियाणा) स्थित सम्पत्ति आवास ऋण के संबंध में प्रतिभूति के रूप में बंधक रखी थी। श्री अजय कुमार पुत्र श्री यशवन्त कुमार 05/02/2016 से लापता है और इस संबंध में एफआईआर नंबर 70 दर्ज करवाई जा चुकी है। ऋण खाता एनपीए हो गया था तथा उपरोक्त सम्पत्ति रू. 154,10,000.00 सरफासी ऐक्ट के तहत दिनांक 14–12–2018 को ई–नीलामी में बेच दी गई थी। उपरोक्त ऋण खाता बंद होने के बाद रू. 57,06,135.00 की शेष राशि (श्री अजय कुमार का हिस्सा) बैंक ऑफ महाराष्ट्र, दयालबाग शाखा में रखी हुई है।

Bank of India Relationship beyond banking

बैंक ऑफ इंडिया, अंसारी रोड शाखा, 5, दरियागंज, नई दिल्ली-110002
फोन: 011-23250193, फैक्स: 011-23280192
ईमेल: ansariroad.newdelhi@bankofindia.co.in

[देखें नियम 8(1)] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत बैंक ऑफ इंडिया के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 14.06.2019 जारी कर ऋणधारक श्रीमती योगिता गोयल, मैं. ए आर एन्टर प्राईजेज के प्रोप्राइटर तथा श्रीमती प्रेम लता गोयल, प्रायोरिटर श्रीमती योगिता गोयल के सम्पत्ति के संयुक्त स्वामी को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 7645642.41 (रुपये छिहत्तर लाख पैंतालिस हजार छः सौ बयालिस मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि 27 अगस्त, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 7645642.41 तथा उस पर ब्याज के लिये बैंक ऑफ इंडिया के चार्ज के अधीन होगा।

गिरवी अचल सम्पत्ति का विवरण

श्रीमती योगिता गोयल तथा श्रीमती प्रेम लता गोयल के नाम में खसरा नं. 805, गली नं. 6, 3रा पुश्ता, विजय कॉलोनी, जगजीज नगर, ग्राम-घोण्डा, गुजरन खादर, शाहदरा, दिल्ली-110053 में स्थित आवासीय सम्पत्ति।

सुरेश चन्द्र गौतम
तिथि: 30.8.2019 स्थान: नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

ASIA CAPITAL LIMITED
CIN: L65993DL1983PLC016453
Registered Office: 2nd Floor, Jeevan Deep, Building, Parliament Street, New Delhi- 110 001
Tel: +91-11-2334 6954, Email: asiacapitallimited@gmail.com, Website: www.asiacapital.in

Notice of Book Closure and Cut-off Date

Notice is hereby given that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed on the following dates for the following purpose:

Type of Security	Book Closure	Book Closure	Purpose
Equity share of face value and paid up value of Rs. 10/- each	Sunday, 15th September 2019 to Saturday, 21st September 2019 (both days inclusive)	Saturday, 14th September 2019	35th Annual General Meeting to be held on **Saturday, 21st September 2019 at 4:00 p.m.** at the Registered Office of the Company at 2nd Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi- 110 001

For Asia Capital Limited
Sd/-
Kaveri Ghosh
Company Secretary & Compliance Officer
Meb. No. A37894
Date: 13-08-2019
Place: Delhi
2nd Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi- 110 001

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 27 बीकेसी, सी 27, जी–ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलैक्स, बान्द्रा (ई), मुम्बई, महाराष्ट्र, पिन कोड–400051 **शाखा कार्यालयः** 7 वां तल, प्लॉट नं. 7, सेक्टर–125, नोएडा उत्तर प्रदेश–201313

सार्वजनिक सूचना

जन–साधारण को सूचित किया जाता है कि स्व. श्रीमती सुमित्रा देवी ने ऋण अनुबंध सं. 12519460 के माध्यम से अपनी अचल सम्पत्ति अर्थात् मकान नं. ए–80, गली नं. 1, ब्रहमपुरी, इलाका शाहदरा दिल्ली–110053 का मार्टगैज किया था। उक्त ऋण खाता के बंद होने पर बैंक को सूचित किया कि उक्त सुमित्रा देवी का 25.12.2006 को निधन हो गया। राम किशोर अग्रवाल, पुत्र घनश्याम दास, निवासी मकान सं. ए–80, गली नं. 1, ब्रहमपुरी, घोण्डा, दिल्ली उत्तर पूर्व, दिल्ली–110053 ने यह दावा किया है कि उन्हें स्व. श्रीमती सुमित्रा देवी के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों ने कोटक महिन्द्रा बैंक, प्लॉट नं. 7, 7वां तल, सेक्टर–125, नोएडा से गिरवी सम्पत्ति का मूल टाइटल दस्तावेज प्राप्त करने के लिये अधिकृत किया है। यदि किसी व्यक्ति को उक्त राम किशोर अग्रवाल को उक्त गिरवी सम्पत्ति का मूल टाइटल दस्तावेज जारी किये जाने के संदर्भ में कोई आपत्ति हो तो कृपया इस प्रकाशन से 15 दिनों के भीतर श्री विवेक कनौजिया, एम. नं. 9205177091 को लिखें अथवा सम्पर्क करें। यदि किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो उक्त दस्तावेज उक्त व्यक्ति को जारी किया जायेगा। बाद में निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के बाद किसी भी दावेदार के दावे पर विचार नहीं किया जायेगा, कृपया इसका ध्यान रखें।

प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः दिल्ली तिथिः 30.08.2019 कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

कृष्णा वीवर्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः ई–42/2, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–II, नई दिल्ली–110020
सम्पर्क नं.:+91–7093383001, ईमेलः krishnaweavers@gmail.com
कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74999DL2008PLC319330

सूचना
(कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ)

विषयः निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में कम्पनी की इक्विटी शेयरों का अंतरण

यह सूचना 7 सितम्बर, 2016 से प्रभावी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016 ("नियमावली") (इस समय लागू उसके किसी संशोधन अथवा पुनरीक्षण सहित) के अनुपालन में प्रकाशित की जा रही है।

नियमावली में अन्य बातों के अलावे ऐसे सभी शेयरों का केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरण का प्रावधान है जिसके लिये लगातार सात वर्षों से शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान अथवा उनके द्वारा उसका दावा नहीं किया गया है। तदनुसार, कम्पनी ने ऐसे शेयरधारकों को उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर व्यक्तिगत सूचना भेज दी है जिनके शेयरों को उक्त नियमावली के अंतर्गत आईईपीएफ में अंतरित किया जाना है।

ऐसे सभी शेयरधारकों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वर्ष 2011–12 से अप्रदत्त लाभांश का दावा करने के अनुरोध के साथ 1.11.2019 तक कम्पनी/अधोहस्ताक्षरी के पास आवेदन करें ताकि उनकी शेयरों को आईईपीएफ में अंतरित न की जाये। कृपया यह ध्यान रहे कि यदि 1.11.2019 तक कम्पनी को कोई जवाब प्राप्त नहीं होता है तो कम्पनी नियमावली के अनुसार आईईपीएफ में शेयरों के अंतरण के उद्देश्य से उनके द्वारा धारित मूल की जगह डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी तथा उसे जारी करने के बाद डीमैट पद्धत्ति में डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्रों को रुपांतरित करने तथा आईईपीएफ के पक्ष में उसे अंतरित करने के लिये कॉर्पोरेट कार्रवाई द्वारा डिपॉजिटरी को सूचित करेगी।

यह ध्यान रहे कि नियमावली के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण कर यदि कोई हो, ऐसे शेयरों पर उपचयित होने वाले सभी लाभों सहित आईईपीएफ में अंतरित शेयरों को आईईपीएफ प्राधिकरण से वापस प्राप्त करने का दावा किया जा सकता है।

इस विषय पर किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिये कृपया अधोहस्ताक्षरी से सम्पर्क करें।

विवेक रिशी
कृष्णा वीवर्स लि.
ई–42/2, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–II, नई दिल्ली–110020
सम्पर्क नं.: +91–9310679043
हस्ता./–
स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 27 अगस्त, 2019
राजेन्द्रण कविल पोडुवट्टिल अच्युतन
निदेशक
DIN:01882807
कृष्णा वीवर्स लिमिटेड
पंजी. कार्या.: ई–42/4, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–II, नई दिल्ली–110020

KHANDELWAL EXTRACTIONS LIMITED
CIN: L24241UP1981PLC005282
Regd. Office: 51/47, Nayaganj, Kanpur-208001
Email: kelkrp@yahoo.com; Website: www.khandelwalextractions.com

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting of the Company will be held on Saturday, 28th September, 2019 at 4:00 P.M. at 50 MIG, W Block, Keshav Nagar, Kanpur-208014 to transact the business set out in the Notice being sent individually to the members as on cut-off date 17th August, 2019.

Further, business may be transacted through voting by electronic means. The cut-off date for the purpose of remote e-voting is 21st September, 2019. The remote e-voting shall commence on 25th September, 2019 (10:00 am) and shall remain open till 27th September, 2019 (05:00 pm). The remote e-voting shall not be allowed beyond 05:00 pm on 27th September, 2019. The Company shall provide Ballot to the members who wish to cast their vote at the meeting. A member may participate in the meeting even after exercising their vote through remote e-voting but cannot vote again in the meeting. Any person who becomes member of the Company after dispatch of notice and holds shares as on the cut-off date may obtain login id and password by sending request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. Only those persons whose name is recorded in the register of members or register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. 21st September, 2019 shall be entitled to vote through remote e-voting as well as voting in general meeting.

Copy of notice is also available on Company's website given above and on CDSL's website www.cdslindia.com.

Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from 21st September, 2019 to 28th September, 2019 (both days inclusive).

For any grievance, the members may contact Mr. Dinesh Khandelwal, Director (Finance) & CFO on the address or email given above or on his mobile no. 08081252221

For Khandelwal Extractions Limited
Surabhi Pasari
(Company Secretary)
Place: Kanpur
Date: 29.08.2019

CAPITAL TRADE LINKS LIMITED
CIN NO.: L51909DL1984PLC019622
Regd. Office: B-4, LGF, Ashoka Niketan, New Delhi-110092, IN
Contact No.: 0120-4882133
E-mail: info@capitaltrade.in; Website: www.capitaltrade.in

CORRIGENDUM TO THE NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

With reference the corrigendum issued dated 20.08.2019 and to the notice of 34th Annual General Meeting of the company which had been issued on 07th August, 2019, we hereby bring to your attention regarding the changes that has been inserted in the Explanatory Statement in relation to the Preferential issue of 1,00,00,000 Equity warrants as per Regulation 163(1) of SEBI (ICDR) Regulation, 2018 as mentioned below.

A. **As per reg.163(1)(c)- Intent of the directors, promoters or key managerial personnel in proposed issue**

Expl:

Directors: None of the Director have intended to subscribed to the proposed Equity Warrants.

Key Managerial Person: No Key Managerial Person have intended to subscribed to the proposed Equity Warrants.

Promoters: No promoter has subscribed to the Equity Warrants except the two i.e. M/s Krishan Kumar & Sons HUF and M/s Masatya Technologies Private Limited and their subscription in proposed issue is 1,00,000 and 7,80,000.

B. **Revised Share details of M/s P-Net Solutions Limited**

In ref. to the Corrigendum issued dated 20.08.2019, Pre Holding of M/s P-net Solutions Limited should be read as (0.83%) instead of (0.66%) and Post Holding should be read as (3.98%) instead of (3.83%).

By Order of the Board of Directors
Sd/-
Vanshita Sharma
Company Secretary
Place: Delhi
Date: 29.08.2019

लखनऊ अर्बन को–ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड

190, तुलसीदास मार्ग, लखनऊ-226004 फोन : 0522-2252398

बैंक की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक की सूचना

लखनऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि0 190, तुलसीदास मार्ग, लखनऊ की 30वीं वार्षिक सामान्य निकाय वर्ष 2017–2018 की बैठक दिनांक 22.09.2019 को प्रातः 11:00 बजे दि इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्जीनियर्स (इण्डिया) [illegible] लखनऊ [illegible] होना निश्चित हुई है। जिसमें निम्नलिखित एजेण्डा विषयों पर विचार किया जायेगा। बैंक के सभी सदस्यों से [illegible] निवेदन है कि उपरोक्त सभा स्थल पर प्रातः 10:30 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक अपना पंजीकरण अवश्य करा लें तथा [illegible] कार्यवाही को सफल बनाने की कृपा करें।

एजेंडा विषय विचारणीय निम्नवत् है

1. वार्षिक सामान्य निकाय वर्ष 2016–2017 की बैठक दिनांक 17.09.2017 की कार्यवाही की पुष्टि पर विचार
2. वित्तीय वर्ष 2017–2018 की वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन।
3. वित्तीय वर्ष 2017–2018 दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का आडिटेड सन्तुलन पत्र एवं लाभ हानि विवरणी तथा आडिट प्रमाण–पत्र का अवलोकन।
4. वित्तीय वर्ष 2017–2018 दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के आडिट नोट (LFAR) एवं उसकी अनुपालन आख्या का अनुमोदन।
5. वित्तीय वर्ष 2017–2018 में हुए शुद्ध लाभ/हानि का आवंटन।
6. आगामी वित्तीय वर्ष 2019–2020 के बजट की स्वीकृति पर विचार।
7. आगामी वित्तीय वर्ष 2019–2020 हेतु अधिकतम दायित्व के निर्धारण पर विचार।
8. आगामी वित्तीय वर्ष 2019–2020 हेतु कार्यक्रम के अनुमोदन पर विचार।
9. वित्तीय वर्ष 2017–2018 हेतु स्वीकृत बजट प्राविधानों के विरुद्ध हुये वास्तविक व्ययों की स्वीकृति पर विचार।
10. अन्य विषय सभापति की अनुमति से।

सचिव

नोटः– बैंक के समस्त अंशधारकों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त बैठक सम्बन्धी सूचनाएं लखनऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लि0 की किसी भी शाखा में प्राप्त कर सकते हैं।

ASIA CAPITAL LIMITED
CIN: L65993DL1983PLC016453
Registered Office: 2nd Floor, Jeevan Deep, Building, Parliament Street, New Delhi- 110 001
Tel: +91-11-2334 6954, Email: asiacapitallimited@gmail.com, Website: www.asiacapital.in

Notice of 35th Annual General Meeting, Book Closure and Remote E-voting Information

NOTICE is hereby given that the **35th ANNUAL GENERAL MEETING** ("AGM") of the Members of **ASIA CAPITAL LIMITED** will be held on **Saturday, 21st September 2019 at 4:00 p.m.** at the Registered Office of the Company at 2nd Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110 001 to transact the Business, as set out in the Notice of AGM.

Notice is also hereby given that pursuant to the provisions of the Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 read with Regulation 42 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Register of Members and Share Transfer Books will remain closed from **Sunday, 15th September 2019 to Saturday, 21st September 2019** (both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company.

The physical copies of the Notice of the Meeting, Annual Report for the financial year ended **31st March 2019** and remote e-voting details have been sent to all members individually at their email ids/registered addresses in prescribed mode. The date of completion of dispatch of the notices to the shareholders is **Wednesday, 28th August 2019**. These documents are also available on Company's website **www.asiacapital.in** for download by the members and kept at the Registered Office of the Company for inspection by Members. Members, who do not receive the Annual Report, may download it from the Company's website or may request for a copy of the same at the Registered Office of the Company.

The Company is pleased to provide its Members with the facility to exercise their right to vote by electronic means and the business may be transacted through e-Voting Services provided by National Securities Depositories Ltd (NSDL). All the businesses as set out in the notice of AGM may be transacted by electronic mode. In order to enable its Members, who do not have the access to e-voting facility to send their assent or dissent in writing in respect of the resolutions as set out in the AGM Notice, the Company has enclosed a Ballot Form with the Notice.

The e-voting period commences on **Wednesday, 18th September 2019 (9:00 a.m. IST) and ends on Friday, 20th September 2019 (5:00 p.m. IST).** Voting shall not be allowed beyond the said date and time. Shareholders of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. **Saturday, 14th September 2019** may cast their vote electronically through remote e-voting. Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut-off date i.e. **Saturday, 14th September 2019,** will be provided the notice through mail or by post after the cut-off date and such members may also obtain the login ID and password by sending a request at **evoting@nsdl.co.in** or RTA, **Indus Portfolio Private Limited.**

However, if the members are already registered with NSDL for remote e-voting then they can use their existing user ID and password for casting their vote. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The facility for voting through ballot paper shall be made available at the AGM and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

M/s Shilpi S. Jain & Co., Company Secretaries, TA/30 Friday Market, Uttam Nagar, New Delhi-110 059 (email id: **shilpijain8190@gmail.com**) has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process.

The detailed procedure for remote e-voting is contained in the Notice of the AGM. Any query/grievance relating to e-voting can be addressed to the Company to **Ms. Kaveri Ghosh, Company Secretary, Asia Capital Limited,** 2nd Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi- 110 001, Tel: +91-11-2334 6954, Email:asiacapitallimited@gmail.com **or the Registrar and Share Transfer Agent of the Company or evoting@nsdl.co.in.**

Members may also write to **NSDL, Trade World, "A" Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013.**

By the order of the Board
For Asia Capital Limited
Sd/-
Kaveri Ghosh
Company Secretary & Compliance Officer
Meb. No. A37894
Date: 13-08-2019
Place: Delhi
2nd Floor, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi- 110 001

एसकेएन इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN:L74999DL1992PLC050472
पंजीकृत कार्यालयः 12, फॉरेस्ट लेन, घिटोरनी गाँव, नई दिल्ली–110030
ईमेल आईडीः info@sknindustries.in

सदस्यों के लिये सूचना (पोस्टल बैलॅट)

कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 22 तथा उसके अंतर्गत निर्मित अन्य लागू होने वाले प्रावधानों, यदि कोई हो, (वर्तमान में लागू उसके किसी सांविधिक सुधार अथवा पुनरीक्षण सहित) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यह कम्पनी पोस्टल बैलॅट/ई–वोटिंग की सूचना (सूचना) तिथि 24.08.2019 में पारित की जाने वाली प्रस्ताव के लिये विशेष प्रस्ताव पारित कर (इलेक्ट्रानिक माध्यमों से मतदान सहित) सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त कर रही है। यह सूचना कम्पनी की वेबसाईट sknindustries.in पर उपलब्ध है।

कम्पनी ने क) ऐसे सदस्यों जिनके ई–मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्टस के पास दर्ज हैं, को इलेक्ट्रानिक ई–मेल तथा ख) अन्य सभी सदस्यों जिनके ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं है, को पूर्व–प्रदत्त डाक–शुल्कयुक्त स्व–पता लिखित व्यावसायिक जवाबी लिफाफे के साथ भौतिक पद्धति में पोस्टल बैलॅट के साथ सूचना का प्रेषण 29.08.2019 को पूरा कर लिया है।

यह सूचना ऐसे सभी सदस्यों को भेजी गई है जिनके नाम डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स से प्राप्त रूप में 23.08.2019 (कट–ऑफ तिथि) को सदस्यों के रजिस्टर/लाभभोगी स्वामियों की सूची में शामिल हैं। सदस्यों के मताधिकार की गणना कट–ऑफ तिथि को की जायेगी। ऐसे व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं, वे इस सूचना को केवल जानकारी के लिये देखें।

सभी सदस्यों को ई–वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये कम्पनी ने सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की सेवा प्राप्त की है। ई–वोटिंग पर विस्तृत निर्देश के लिये सदस्यों से आग्रह है कि वे यह ध्यान रखें कि पोस्टल बैलॅट प्रपत्र तथा इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही पद्धतियों से मतदान रविवार, 01 सितम्बर, 2019 (9.00 बजे पूर्वा. में) शुरू होगी तथा सोमवार, 30 सितम्बर, 2019 को बंद होगी। सोमवार, 30 सितम्बर, 2019 को कार्यावधि की समाप्ति के बाद सदस्यों से प्राप्त किसी भी पोस्टल बैलॅट को अवैध माना जायेगा।

सोमवार, 30 सितम्बर, 2019 को 5.00 बजे अप. के बाद सीडीएसएल द्वारा ई–वोटिंग निष्क्रिय कर दी जायेगी।

यदि किसी सदस्य को पोस्टल बैलॅट प्रपत्र प्राप्त नहीं हुआ हो, वे info@sknindustries.in पर अनुरोध भेजकर अथवा कम्पनी के पास आवेदन कर उसका डुप्लिकेट प्राप्त कर सकते हैं।

सूचना तथा पोस्टल बैलॅट प्रपत्र कम्पनी की वेबसाईट अर्थात sknindustries.in से भी डाउनलोड की जा सकती है। स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में पोस्टल बैलॅट/ई–वोटिंग प्रक्रिया का संचालन करने के लिये निदेशक मंडल ने श्री आशुतोष कुमार, कार्यरत कम्पनी सचिव को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।

ई–वोटिंग सहित मतदान से संबंधित किसी प्रश्न/समस्याओं के लिये सदस्यगण सहायता खंड देखें अथवा आगे किसी भी स्पष्टीकरण के लिये फोन नम्बर 0124–4272107 पर श्री आकाश फल्सवाल, कम्पनी सचिव से सम्पर्क करें।

पोस्टल बैलॅट परिणाम की घोषणा 1.10.2019 को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में की जायेगी। पर्यवेक्षक के रिपोर्ट के साथ उक्त परिणाम को कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय तथा कॉर्पोरेट कार्यालय एवं साथ हीं कम्पनी की वेबसाईट sknindustries.in पर प्रदर्शित किया जायेगा।

एसकेएन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिये
हस्ता./–
सतीश चोपड़ा
प्रबंध निदेशक
DIN :01171175
स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 30.08.2019

फॉर्म संख्या एन सी एल टी 3ए
विज्ञापन विवरण याचिका
राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण
प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के समक्ष
कंपनी याचिका (सीएए) संख्या 104/पीबी/2019
कंपनी आवेदन (सीएए) संख्या 66/पीबी/2019
के साथ

कंपनी अधिनियम, 2013
के मामले में
कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में और धारा 230–232 और कम्पनी अधिनियम की धारा 61, 66 के अन्तर्गत दायर मामले में।
कंपनी अधिनियम के मामले में:
प्रबंधन योजना के मामले में।
प्रबंधन योजना के मामले में:
लिवगार्ड मोबाइल एक्सेसरीज प्राइवेट लिमिटेड, (सीआईएन U74900DL2011PTC219688) जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय डब्ल्यू जैड–106/101, राजौरी गार्डन एक्सटेंशन, नई दिल्ली, पश्चिम दिल्ली–10027, भारत में उपरोक्त न्याय क्षेत्र में है।
......**आवेदक जिसके नाम हस्तांतरण किया गया/अलग हुई कम्पनी–1**
प्रबंधन योजना के मामले में:
एक्यूवेट लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउसिंग प्राइवेट लि0, (सीआईएन U74900DL2009PTC196480), जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय डब्ल्यू जैड–106/101, राजौरी गार्डन एक्सटेंशन, नई दिल्ली, पश्चिम दिल्ली–10027, भारत में उपरोक्त न्याय क्षेत्र में है।
......**आवेदक जिसके नाम हस्तांतरण किया गया/अलग हुई कम्पनी–2**
प्रबंधन योजना के मामले में:
लिवगार्ड बैट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन: U31909DL2012PTC230308) जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित कंपनी है और जिसका पंजीकृत कार्यालय डब्ल्यू जैड–106/101, राजौरी गार्डन एक्सटेंशन, नई दिल्ली, पश्चिम दिल्ली–10027ए भारत में उपरोक्त न्याय क्षेत्र में है।
......**आवेदक जिसके नाम हस्तांतरण हुआ/नई कम्पनी**
याचिका का नोटिस

(i) लिवगार्ड मोबाइल एक्सेसरीज प्राइवेट लिमिटेड (**आवेदक हस्तांतरणकर्ता/अलग हुई कम्पनी–1"**) (ii) एक्यूवेट लॉजिस्टिक एंड वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड (**आवेदक हस्तांतरणकर्ता अलग हुई कम्पनी–2"**) और (iii) लिवगार्ड बैटरीज प्राइवेट लिमिटेड (**आवेदक जिसको नाम हस्तांतरण हुआ/नई कंपनी**) की ओर से संयुक्त रूप में 12 जुलाई, 2019 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 और धारा 61, 66 के अन्तर्गत दायर याचिका जिसमें प्रस्तावित प्रबंधन योजना को संशोधनों के बिना या संशोधनों के साथ स्वीकार करने का अनुरोध किया गया था और उक्त याचिका पर सुनवाई राष्ट्रीय कम्पनी लॉ ट्राइब्यूनल की नई दिल्ली स्थित प्रधान शाखा में **11 सितम्बर, 2019** को रखी गई है।

उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने वाला कोई भी व्यक्ति इन आवेदक कम्पनी के वकील को अपने इरादे की सूचना अपने अथवा अपने वकील के हस्ताक्षर तथा अपना नाम, पता लिखकर सुनवाई की तारीख से कम से कम दो दिन पहले पहुंचा दें। याचिका का विरोध करने की स्थिति में विरोध का आधार और अपना शपथ पत्र भी भेजें।

इस याचिका की प्रति चाहने वाले व्यक्ति को निर्धारित शुल्क भरने पर उपलब्ध करा दी जाएगी।

(हस्ताक्षर) संजीव जैन
डी–1862–2005 (पी आर ए ली ऑफिसेज)
आवेदक कंपनियों के वकील
डब्ल्यू 125 भूतल, ग्रेटर कैलाश–II,
नई दिल्ली–110048, फोन: 011–4067 6767
नई दिल्ली
दिनांक: 30.08.2019

TECHNOFAB ENGINEERING LIMITED
CIN NO. L74210DL1971PLC006712
पंजीकृत कार्यालय: 303, [illegible] नई दिल्ली–110019
ई–मेल: info@technofabengineering.com वेबसाइट: www.technofabengineering.com
फोन: +91-11-2641-1931 / 2641-5961; फैक्स: +91-11-2622-1521

48वीं वार्षिक आम बैठक रिमोट ई–मतदान जानकारी की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि:

i. कंपनी की 48वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 20 सितंबर, 2019, को सुबह 11.00 बजे, [illegible] नई दिल्ली–110016 में एजीएम सूचना में निर्धारित कार्यवाही निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।
ii. [illegible] www.technofabengineering.com [illegible] 28 अगस्त, 2019 [illegible]
iii. [illegible]
iv. [illegible]
v. रिमोट ई–मतदान 17 सितंबर 2019 को प्रातः 9.00 बजे प्रारंभ होगी।
vi. रिमोट ई–मतदान 19 सितंबर 2019 को सायं 5.00 बजे समाप्त हो जाएगी।
vii. [illegible] helpdesk.evoting@cdslindia.com [illegible]
viii. [illegible]
ix. एजीएम सूचना कंपनी की वेबसाइट www.technofabengineering.com और सीडीएसएल की वेबसाइट https://www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।
x. [illegible] www.evotingindia.com [illegible] helpdesk.evoting@cdslindia.com [illegible]

बुक क्लोजर

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तिका 14 सितंबर, 2019 से 20 सितंबर, 2019 (दोनों दिन सहित) तक बंद रहेगी।

कृते टेक्नोफैब इंजीनियरिंग लिमिटेड
स्थान: फरीदाबाद
दिनांक: 28 अगस्त, 2019
सुमन कुमार वर्मा
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

Standard Chartered

STANDARD CHARTERED PLC

(Standard Chartered PLC (the "**Company**") was incorporated in England and Wales on November 18, 1969 and registered as a public limited company under company number 00966425.)

Registered Office and Principal Place of Business in the UK: 1 Basinghall Avenue, London EC2V 5DD
Tel: +44 (0)20 7885 8888; **Fax:** +44 (0)20 7885 7337 **Website:** www.sc.com; **Email:** group-corporate.secretariat@sc.com
Compliance Officer for IDRs: Ekta Lalwani; **Tel:** +91 22 6115 7853; **Fax:** +91 22 2675 7733; **Email:** ekta.lalwani@sc.com

SURRENDER AND SALE PROGRAM FOR THE INDIAN DEPOSITORY RECEIPTS ("IDRs")

The Company issued 240,000,000 IDRs with every 10 IDRs representing one ordinary share of US$ 0.50 nominal value ("**Shares**") of the Company, in June 2010.

In terms of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (the "**Listing Regulations**") and the Deposit Agreement dated May 8, 2010 entered into between the Company and Standard Chartered Bank, Mumbai (the "**Domestic Depository**") (as amended), the Company had extended to the holders of IDRs (the "**IDR Holders**"), an option to surrender IDRs held by them (between June 17, 2019 to August 2, 2019, which was further extended until August 30, 2019 (the "**Surrender Period**")) and request the sale of the Shares underlying such IDRs on the London Stock Exchange ("**LSE**") (the "**Surrender & Sale Process**").

For the benefit of the IDR Holders, the Company has now decided to further extend the Surrender Period for the Surrender & Sale Process, up to September 30, 2019. Accordingly, the last date for the IDR Holders to submit instructions for surrender of the IDR held by them under the Surrender & Sale Process and request the sale of the Shares underlying such IDRs on the LSE is **September 30, 2019**, instead of August 30, 2019.

In this regard, the amended and restated Surrender & Sale Operating Guidelines, which set out the details of the Surrender & Sale Process and the mechanisms for participation by the IDR Holders in the Surrender & Sale Process, submitted by the Company to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited (the "**Indian Stock Exchanges**") on August 01, 2019, have been suitably amended to reflect the extension of the Surrender Period up to September 30, 2019. The amended and restated Surrender & Sale Operating Guidelines have been submitted to the Indian Stock Exchanges on August 29, 2019. A copy of the amended and restated Surrender & Sale Operating Guidelines is also available at the locations detailed at the end of this announcement.

The Company shall send another letter (along with the Instruction Letter) in relation to the extension of the Surrender Period up to September 30, 2019, to each of the IDR Holders, appearing in the register of 'IDR Holders' as on August 23, 2019 by speed post at their Indian address only, and as an email to those IDR Holders who had registered their email address with the Registrar for receiving Company related communication via email.

The IDR Holders may also obtain or download the Instruction Letter from the locations specified below and submit their surrender request in accordance with the amended and restated Surrender & Sale Operating Guidelines, during the Surrender Period.

Do note that participation in this Surrender & Sale Process is voluntary and the IDR Holders are not obliged to provide instructions for surrender of their IDRs and request the sale of the Shares underlying such IDRs (as part of the Buy-back or otherwise). As an IDR Holder, if you wish to continue to hold and trade in IDRs, no further action is required.

The IDR Holders are free to redeem their IDRs for Shares and conversion of Shares into IDRs, under the two-way fungibility program as per the separate operating guidelines issued to facilitate such redemption and conversion process.

The table below provides a brief summary of the key information about the proposed extension of the Surrender Period, for participation by IDR Holders in the Surrender & Sale Process:

Particulars	Information
Surrender Period	From June 17, 2019 until September 30, 2019 All Instruction Letters must be submitted so as to be received by no later than 5.00 p.m. (Mumbai time) on September 30, 2019. Any letter received after that point will not be processed.
Availability of Instruction Letter	A copy of the Instruction Letter can be obtained in the following manner and from the following locations: *Physical copy (on request) between 10:00 a.m. and 5:00 p.m. on a Business Day:* Company – 1 Basinghall Avenue, London, EC2V 5DD, UK Domestic Depository – Standard Chartered Bank, Securities Services, Crescenzo, Floor 3, C-38/39, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051 Overseas Custodian – The Bank of New York Mellon, One Piccadilly Gardens, Manchester, M1 1RN, UK Registrar – Karvy Fintech Private Limited (formerly known as KCPL Advisory Services Private Limited), Karvy Selenium Tower B, Plot Nos. 31 & 32, Financial District Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032, India *Electronic copy:* An electronic copy of the Instruction Letter may also be downloaded from https://www.sc.com/en/investors/
Submission of Instruction Letter	IDR Holders may submit duly filled, signed and stamped Instruction Letters along with the relevant enclosures in the following manner and at the following locations: *By hand delivery between 10:00 a.m. to 5:00 p.m. on a Business Day (Monday to Friday):* • At the centres designated by the Registrar as specified in **Annexure A** of the amended and restated Surrender & Sale Operating Guidelines; or • At the office of the Registrar at Karvy Fintech Private Limited (*formerly known as* KCPL Advisory Services Private Limited), Karvy Selenium Tower B, Plot Nos. 31 & 32, Financial District Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032 *By registered post or courier:* • At the office of the Registrar **only** at Karvy Fintech Private Limited (*formerly known as* KCPL Advisory Services Private Limited), Karvy Selenium Tower B, Plot Nos. 31 & 32, Financial District Nanakramguda, Serilingampally Mandal, Hyderabad – 500 032 **Instruction Letters submitted at times or locations or by modes other than those specified herein above shall be liable to be rejected.**

An IDR Holder may submit multiple Instruction Letters at different times during the Surrender Period, for surrender of the IDRs and sale of Shares underlying such IDRs held by such IDR Holder in separate tranches. It is not mandatory for an IDR Holder to submit one Instruction Letter for all the IDRs held by such IDR Holder.

IDR Holders shall not be permitted to amend, revise, cancel or withdraw their surrender request after submission of the Instruction Letter.

IDR HOLDERS MAY ONLY SUBMIT INSTRUCTION LETTERS IN CIRCUMSTANCES WHERE THE SUBMISSION OF SUCH INSTRUCTION LETTER AND THE SURRENDER OF IDRS AND THE SALE OF THE SHARES UNDERLYING SUCH IDRS DOES NOT GIVE RISE TO ANY REQUIREMENT ON THE PART OF THE COMPANY, THE DOMESTIC DEPOSITORY, THE OVERSEAS CUSTODIAN OR THE REGISTRAR IN ANY JURISDICTION TO COMPLY WITH ANY FILING OR OTHER REQUIREMENT OR TO PAY ANY FEES OR EXPENSES. ANY INSTRUCTION LETTER IN RESPECT OF WHICH THE FOREGOING APPLIES IS LIABLE TO BE REJECTED. BY SUBMITTING AN INSTRUCTION LETTER, THE RELEVANT IDR HOLDER IS DEEMED TO HAVE REPRESENTED AND WARRANTED THAT THERE IS NO SUCH REQUIREMENT IN RELATION TO THE IDRS REPRESENTING THE SHARES THAT HE IS SEEKING TO SURRENDER FOR SALE AS PART OF THE SURRENDER & SALE PROCESS. US PERSONS (WITHIN THE MEANING OF REGULATION S UNDER THE US SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED) ARE NOT ELIGIBLE TO SUBMIT INSTRUCTION LETTERS AND ANY PERSON SUBMITTING AN INSTRUCTION LETTER IS DEEMED TO HAVE REPRESENTED AND WARRANTED THAT HE IS NOT A US PERSON.

FOR FURTHER DETAILS IN RELATION TO THE SURRENDER & SALE PROCESS AND THE MECHANISM TO PARTICIPATE IN THE SAME, PLEASE READ THE AMENDED AND RESTATED SURRENDER & SALE OPERATING GUIDELINES, AVAILABLE, ON REQUEST, AT THE OFFICE OF THE COMPANY AT 1 BASINGHALL AVENUE, LONDON, EC2V 5DD, UK, THE DOMESTIC DEPOSITORY AT STANDARD CHARTERED BANK, SECURITIES SERVICES, CRESCENZO, FLOOR 3, C-38/39, G-BLOCK, BANDRA KURLA COMPLEX, BANDRA (EAST), MUMBAI – 400 051, THE OVERSEAS CUSTODIAN AT THE BANK OF NEW YORK MELLON, ONE PICCADILLY GARDENS, MANCHESTER, M1 1RN, UK AND THE REGISTRAR AT KARVY FINTECH PRIVATE LIMITED (*FORMERLY KNOWN AS* KCPL ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED), KARVY SELENIUM TOWER B, PLOT NOS. 31 & 32, FINANCIAL DISTRICT NANAKRAMGUDA, SERILINGAMPALLY MANDAL, HYDERABAD – 500 032, AS WELL AS ON THE COMPANY'S WEBSITE AT HTTPS://WWW.SC.COM/EN/INVESTORS/. TO ASSIST THE IDR HOLDERS, THE COMPANY HAS UPLOADED SOME LIKELY QUESTIONS CONCERNING THE SURRENDER & SALE PROCESS AND THE MECHANISM FOR PARTICIPATING IN THE SURRENDER & SALE PROCESS ON ITS WEBSITE AT HTTPS://WWW.SC.COM/EN/INVESTORS/ AND THESE SHOULD BE READ IN CONJUNCTION WITH THE AMENDED AND RESTATED SURRENDER & SALE OPERATING GUIDELINES AND OTHER APPLICABLE LAWS.

IDR Holders should also consult their own counsel and advisors as to business, legal, tax, accounting and related matters under Indian and other applicable laws before applying in the Surrender & Sale Process.

An Instruction Letter which is not in compliance with the amended and restated Surrender & Sale Operating Guidelines or applicable law or regulation is liable to be rejected.

For **Standard Chartered PLC**
on behalf of Board of Directors
Sd/-
Andy Halford
Group Chief Financial Officer
Date : August 30, 2019

Adfactors 228

अदन के पास हवाई हमले में 30 सैनिकों की मौत

काहिरा, 29 अगस्त (एपी)।

यमन के एक कमांडर ने दावा किया है कि बंदरगाह शहर अदन की ओर बढ़ रहे सरकारी बलों को निशाना बना कर किए गए हवाई हमलों में कम से कम 30 सैनिकों की मौत हो गई।

विशेष बलों के कमांडर कर्नल मोहम्मद अल-ओबन ने कहा कि सेना गुरुवार को अदन की ओर बढ़ रही थी, उसी दौरान हवाई हमले हुए। उन्होंने यह नहीं बताया कि इन हवाई हमलों के पीछे कौन था। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि विमान सऊदी नीत गठबंधन की ओर से थे।

पाकिस्तान ने किया गजनवी मिसाइल का परीक्षण

इस्लामाबाद, 29 अगस्त (भाषा)।

पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल 'गजनवी' का सफल परीक्षण किया है जो 290 किलोमीटर की दूरी तक अनेक आयुध ले जाने में सक्षम है। यह परीक्षण ऐसे समय किया गया है जब जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को भारत सरकार द्वारा खत्म किए जाने बाद नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच तनाव है। पाकिस्तान ने बुधवार को कराची हवाई क्षेत्र के तीन उड़ान मार्गों को 31 अगस्त तक के लिए बंद कर दिया जिससे जिससे ये खबरें आने लगी थीं कि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान स्थित परीक्षण केंद्र से मिसाइल का परीक्षण कर सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार 'गजनवी' मिसाइल उन्नत 'स्कड' प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है। मिसाइल के आयुध पारंपरिक, उच्च विस्फोटक और परमाणु हो सकते हैं।

पाकिस्तानी सेना के मीडिया प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के 'रात्रि प्रशिक्षण' परीक्षण का गुरुवार को वीडियो ट्विटर पर साझा किया और कहा कि 'गजनवी' 290 किलोमीटर तक अनेक तरह के आयुध ले जाने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के प्रमुख और सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों ने मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए विशेषज्ञों की टीम को बधाई दी। गफूर ने कहा कि पाकिस्तानी राष्ट्रपति आरिफ अल्वी और प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी टीम की सराहना की और देश को बधाई दी।

इमरान के कार्यकाल में विदेश, सुरक्षा नीतियों पर हावी है सेना

वाशिंगटन, 29 अगस्त (भाषा)।

अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर इमरान खान के कार्यकाल में पाकिस्तानी सेना देश की विदेश और सुरक्षा नीतियों पर हावी रही है।

द्विदलीय कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस (सीआरएस) द्वारा अमेरिकी सांसदों के लिए तैयार रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीतने से पहले खान को शासन का कोई अनुभव नहीं था और विश्लेषकों का कहना है कि पाकिस्तान की सुरक्षा सेवाओं ने नवाज शरीफ को हटाने के लिए चुनाव के दौरान घरेलू राजनीति से छेड़छाड़ की।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 'नया पाकिस्तान' संबंधी खान की सोच कई युवाओं, शहरी लोगों और मध्यम वर्ग के मतदाताओं को लुभाती है। उनकी यह सोच भ्रष्टाचार विरोधी, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने वाले एक 'कल्याणकारी देश' के निर्माण पर जोर देती है, लेकिन देश में गंभीर वित्तीय संकट और विदेश से और उधार लेने की आवश्यकता के कारण उनके प्रयास रंग नहीं ला रहे हैं।

उसने कहा, 'अधिकतर विश्लेषकों को लगता है कि पाकिस्तान का सैन्य प्रतिष्ठान विदेश और सुरक्षा नीतियों पर लगातार हावी रहा है।' सीआरएस अमेरिकी कांग्रेस की एक स्वतंत्र अनुसंधान शाखा है जो सांसदों के लिए रिपोर्ट तैयार करती है।

अमेरिकी रिपोर्ट

सीआरएस के अनुसार कई विश्लेषकों का दावा है कि इससे पहले पाकिस्तान की सुरक्षा सेवाओं ने नवाज शरीफ को सत्ता से हटाने और उनकी पार्टी को कमजोर करने के मकसद से चुनाव के दौरान और उससे पहले देश की घरेलू राजनीति से छेड़छाड़ की।

जाधव को राजनयिक पहुंच पर भारत के संपर्क में : पाक

इस्लामाबाद, 29 अगस्त (भाषा)।

कुलभूषण जाधव को राजनयिक पहुंच मुहैया कराने की इजाजत देने के पाकिस्तान के वादे के करीब छह हफ्ते बाद इस्लामाबाद ने गुरुवार को कहा कि इस मुद्दे पर वह भारत से संपर्क में है। बताते चलें कि एक अगस्त को पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने कहा था कि फांसी की सजा का सामना कर रहे भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को अगले दिन दूतावास मदद मुहैया कराई जाएगी। हालांकि, जाधव को दूतावास मदद की शर्तों पर दोनों देशों के बीच मतभेदों की वजह से दो अगस्त को दोपहर तीन बजे निर्धारित बैठक नहीं हो पाई।

पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने यहां साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान और भारत जाधव को दूतावास मदद के मुद्दे पर संपर्क में हैं।

बताते चलें कि जाधव (49) को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में अप्रैल, 2017 में मौत की सजा सुनाई थी।

अफगानिस्तान में तालिबान से समझौते के बाद 8,600 सैनिक रखेगा अमेरिका : ट्रंप

वाशिंगटन, 29 अगस्त (एएफपी)।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि अगर तालिबान के साथ शांति समझौता हो जाता है तो अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की संख्या घटकर 8,600 हो जाएगी और उनकी स्थायी मौजूदगी बनी रहेगी।

ट्रंप ने फॉक्स न्यूज रेडियो को दिए साक्षात्कार में कहा, 'हम सैनिकों की संख्या 8,600 तक घटाने जा रहे हैं और फिर हम वहां स्थायी निर्धारण करेंगे। हम हमेशा वहां मौजूद रहेंगे।'

उन्होंने यह भी कहा कि अगर अफगानिस्तान से अमेरिका पर कोई हमला होता है तो हम इतनी बड़ी सेना के साथ लौटेंगे जो पहले कभी नहीं देखी गई होगी। अलकायदा द्वारा अमेरिकी सरजमीं पर 11 सितंबर, 2001 को किए गए आतंकवादी हमले के बाद पहली बार अमेरिका ने अफगानिस्तान में सेना भेजी थी।

अमेरिका अब अपनी सैन्य संलिप्तता को खत्म करना चाहता है और वह 2018 से तालिबान से बातचीत कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जब तालिबान गारंटी देगा कि अलकायदा या अन्य कोई भी अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी समूह उसके क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करेगा तभी सैनिकों की संख्या कम होगी। ट्रंप ने कहा कि पूरी तरह से सेना नहीं हटाई जाएगी और वहां सेना को मौजूद रहना होगा।

U.P. RAJKIYA NIRMAN NIGAM LTD.
Etawah Zone

Notice No. 1440/GM/EZ/E-Tender/ RNN/2019 Dated: 28.08.2019

Short Term E-Tender Press Notice

General Manager (Etawah Zone) invites e-Tender for Construction of Balance Civil work DIOS office Kannauj for More Details visit website www.etender.up.nic.in & www.uprnn.co.in.

Project Manager

दिल्ली जल बोर्डः रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (एनई) II
आर-पॉकेट, दिलशाद गार्डन, दिल्ली- 95
प्रैस एनआईटी सं. 27 (2019-29)

क्रम सं.	कार्य का विवरण	निविदा राशि	धरोहर राशि	निविदा शुल्क	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि/समय
1	मुस्तफाबाद एसी-69 में शिव विहार में जानकी (पंचार) विहार से प्रेम विहार तक पुराने/ गहरे/ क्षतिग्रस्त 350 एमएम डाया वाटर मैन का विस्थापन। निविदा आईडी नं. 2019_DJB_179035_1	3791200/-	76000/-	500/-	28.8.2019	13.9.2019 के 2.30 बजे अप. तक।

इस संदर्भ में तकनीकी विनिर्देशन तथा विशेष शर्तों सहित नियमों एवं शर्तों के अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.com पर देखें।
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी — हस्ता./-
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/ 303 — कार्यपालक अभियंता (एनई)- II

दिल्ली जल बोर्डः रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार
कार्यालयः कार्यपालक अभियंता (सी) एस एंड पी
जल सदनः लाजपत नगरः नई दिल्ली-110024
एन.आई.टी. सं. 13/ एस एंड पी/(2019-20)
प्रैस निविदा

क्रम सं.	कार्य का विवरण	आरक्षित मूल्य	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से निविदा जारी की तिथि	ई-प्रापण सॉल्यूशन के माध्यम से डाउनलोड एवं आरटीजीएस की अंतिम तिथि/समय
1	दिल्ली के विभिन्न भागों में स्थित 63 नग जलाशयों के भू-सौन्दर्यीकरण के लिए परामर्श सेवाओं के प्रावधान के लिए सलाहकार की भर्ती।	वस्तु दर	2019_DJB_179136 _29.8.2019	24.9.2019 के 3.00 बजे अप. तक

इस संदर्भ में अधिक विवरण वेबसाईट https://govtprocurement.delhi.gov.in पर देखें।
पी.आर.ओ. (जल) द्वारा जारी — हस्ता./-
विज्ञा. सं. जे.एस.वी. 2019-20/306 — कार्यपालक अभियंता (सी) एस एंड पी

SBI
कोर बैंकिंग तकनीकी प्रचालन विभाग,
ग्लोबल आयटी केंद्र, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400 614.
प्रस्ताव हेतु अनुरोध
भारतीय स्टेट बैंक ने ऑफ-साइट स्टोरेज स्थान पर बैकअप टेप्स को पहुंचाने के लिए 3 वर्षों हेतु सेवाओं की प्राप्ति के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) जारी किया है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट https://bank.sbi पर 'प्रोक्योरमेन्ट न्यूज' देखें.
स्थान: नवी मुंबई — हस्ताक्षर/- उप महाप्रबंधक (सीबी तकनीकी प्रचालन)
दिनांक: 30.08.2019

राइट्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
राइट्स लि. की ओर से जीजीएम/ टी एंड जीटी राइट्स लि. द्वारा निम्न कार्य के लिए एकल पैकेट प्रणाली में ऑन लाइन प्रतिशत दर बोली आमंत्रित है।
एनआईटी सं. राइट्स/ टी एंड जीटी/ एनसीआरटीसी-धारूहेरा- एसएनबी/ जीटी अनुसंधान/ 2019, **कार्य का नाम:** आरआरटीएस कॉरीडोर के धारूहेरा-एसएनबी के लिए विस्तृत जीटी अनुसंधान (तीन पैकेजेज), **अनुमानित लागत (पैकेज के अनुसार)**- रु. 5234000/-, रु. 4244000, रु. 5630000, **धरोहर राशि (पैकेज के अनुसार)**- रु. 52340/-, रु. 42440, रु. 56300, **पूर्णता अवधि:** 120 दिन, **बोली जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय:** 9.9.2019 के 15.00 बजे।
बोली प्रपत्र तथा अन्य विवरण वेबसाईट https://etenders.gov.in/ eprocure/app से प्राप्त की जा सकती है।
संवर्धन/ शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल ऑन लाइन सूचित की जाएगी।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम
शिक्षा विभाग (मुख्यालय)
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेन्टर
ई-ब्लॉक, 23वां तल, जेएलएन मार्ग, नई दिल्ली-110002
निविदा सूचना हेतु निमंत्रण
दक्षिणी दि.न.नि. के स्कूलों में वाटर कूलर सह आरओ प्यूरीफायर की आपूर्ति एवं संस्थापन के लिए योग्य निविदादाताओं से निविदा आमंत्रित की जाती है।
विवरण हमारी वेबसाइट www.mcdonline.gov.in & www.tenderwizard.com/SOUTHDMCETENDER पर उपलब्ध है। बोलियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23.09.2019 (प्रातः 11:00 बजे) है। इच्छुक निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त वेबसाइट के संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है क्योंकि कोई भी संबंधित जानकारी इसी वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।
आरओ सं.: 48/डीपीआईवी/विज्ञा/19-20 — एडीई (क्रय) (शिक्षा विभाग)

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल
(संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी संस्था)
पहला सत्याग्रही
लेखक : रविन्द्र त्रिपाठी
निर्देशन : प्रो. सुरेश शर्मा
31 अगस्त से 2 सितम्बर, 2019 सायं 6.30 बजे
अतिरिक्त प्रदर्शन
31 अगस्त एवं 1 सितम्बर, 2019 सायं 3.30 बजे
सम्मुख सभागार
बहावलपुर हाउस, भगवानदास रोड, नई दिल्ली-110001
टिकट (रु. 50/-) राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, रंगमंडल, बहावलपुर हाउस, भगवानदास रोड, नई दिल्ली, दिनांक 29 अगस्त 2019 से सभी कार्य दिवसों में प्रातः 11 से 1 बजे तथा दोपहर 2 से 4 बजे तक तथा उपलब्ध होने पर एक घंटा पूर्व प्रेक्षागृह से प्राप्त किए जा सकते हैं। 8 वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्रवेश निषेध है व मोबाईल, कैमरा, हैंडबैग्स एवं खाद्य पदार्थ इत्यादि वर्जित है।
पूछताछ: 011-23031105, 23031106

UTTARAKHAND SUGARS
Near Railway Crossing, Badripur Road, Jogiwala (Dehradun)
Phone: 0135-2669987, 2669988 Email: [illegible]
Ref. No. 526 /CPC/ Dated 29.08.2019
DATE EXTENSION NOTICE FOR SUPPLY OF E.N.A. AT BAJPUR DISTILLERY
In the Notice No. 501 C.P.C dated 24.08.2019 vide which Tender Notice for Supply of **E.N.A. at Bajpur Distillery** were invited on 04.09.2019, due to some unavoidable reasons the date for receipt of Tenders for this is hereby extended to 09.09.2019. Rest of the terms of Tender Notice shall remain the same.
GENERAL MANAGER

शुभम हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनांस क.लि.
कॉर्पोरेट कार्यालयः 425, उद्योग विहार फेज-IV, गुड़गाँव-122015 (हरियाणा)
फोनः 0124-4212530/ 31/ 32, ई-मेलः customercare@shubham.co, वेबसाइटः www.shubham.co
वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 (यहाँ के बाद ''अधिनियम'' विदित) की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना
एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर शुभम हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनांस कम्पनी लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय डी-305, भू तल, सर्वोदय एन्क्लेव, नई दिल्ली-110017 में है (यहां के बाद 'एसएसडीएफसी' वर्णित) के द्वारा आपकी ऋण खाता को एनपीए घोषित कर दिया गया है तथा आप एसएचडीएफसी को आपकी खाता में बकाया सम्पूर्ण राशि का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी हैं। साथ ही आप अनुषांगिक खर्चे, चार्जेज आदि के साथ उपरोक्त राशि पर अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी हैं। अतः हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर एसएचडीएफसी को देय अपनी सम्पूर्ण देयताओं को निष्पादित करें अन्यथा एचएचडीएफसी अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत होगा। ऋणधारकों तथा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण इस प्रकार हैः

क्रम सं.	ऋणधारक का नाम	पता	सूचना राशि	प्रतिभूत परिसम्पत्ति
1.	जावेद खान रेशमा खान	दूसरा तल, बी-88, आनंद विहार उत्तम नगर पश्चिम दिल्ली-110059	रु. 1028021/-	सम्पत्ति सं. डी-17, खसरा नं. 68/9/1, दूसरा तल, बिना छत के अधिकार के आबादी कॉलोनी, हस्तसाल विहार, उत्तम नगर, पश्चिम दिल्ली-110059
2.	हेतराम यादव अजीत सिंह	मकान सं. 150, ग्राम सिलोखरा गुड़गाँव, हरियाणा-122001	रु. 1595898/-	खेवत नं. 129/120, खाता नं. 147, किल्ला/खसरा नं. 76, ग्राम सिलोखरा, तहसील जिला गुड़गाँव, हरियाणा-122001

स्थानः गुड़गाँव — प्राधिकृत अधिकारी
तिथिः 29.8.2019 — शुभम हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनांस कम्पनी लि.

नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
ए-11, सेक्टर-24, नोएडा- 201301, जिला-गौतम बुद्ध नगर (उ.प्र.)
फोन: 0120-2412294, एक्स: 2220 (CIN-L74899DL1974GOI007417)
Ref. No. 12-1920-APS/04E — दिनांक: 30.08.2019
वैश्विक ई-निविदा आमंत्रण सूचना
भारत के पूर्वी तट पर 30,000 मी.टन फर्टिलाइजर ग्रेड बल्क अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट (एपीएस 20:20:0:13) की आपूर्ति के लिए निविदा आमंत्रित की जाती है। विवरण के लिए, वेबसाइटों पर देखें www.nationalfertilizers.com, www.eprocure.gov.in और tenderwizard.com/NFL (ई-निविदा क्र. एनएफएल-1248)। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 09 सितंबर, 2019 (1400 बजे भा.मा.स.) है। शुद्धि-पत्र/परिशिष्ट, यदि कोई हुआ, तो उसे केवल उपरोक्त वेबसाइटों पर ही प्रकाशित किया जाएगा।
कार्यकारी निदेशक (सामग्री)

साका लिमिटेड
पंजी. कार्यालयः 21 आशियाना रेजीडेन्सी, चौधरी धरमवीर मार्केट
सेबेल सिनेमा के निकट, बदरपुर, नई दिल्ली-110044
CIN NO: L32101DL1981PLC012700
30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही (क्यू-1) के अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार
(रु. हजारों में)

विवरण	स्टैंडएलॉन तथा समेकित				
	समाप्त तिमाही 30 जून, 2019	समाप्त तिमाही 31 मार्च, 2019	समाप्त तिमाही 30 जून, 2018	समाप्त वर्ष 30 जून, 2019	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2019
		(अनंकेक्षित)		(अंकेक्षित)	
परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	0	0	1349	0	1435
कर से बाद सामान्य क्रियाकलापों से शुद्ध लाभ/(हानि)	(34)	(203)	(7)	(34)	(462)
कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	(34)	(203)	(7)	(34)	(462)
इक्विटी शेयर पूंजी	96767.67	96767.67	96767.67	96767.67	96767.67
आरक्षित (पूर्व वर्ष के तुलन पत्र में दर्शायी गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त)	0	0	0	0	0
आय प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व) (रु. 10/- प्रति का) मूल	0	0	0	0	0
तरल	0	0	0	0	0
आय प्रति शेयर (असाधारण मदों के बाद) (रु. 10/- प्रति का) मूल	0	0	0	0	0
तरल	0	0	0	0	0

टिप्पणीः
1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही (क्यू 1) वित्तीय परिणामों के सम्पूर्ण विवरण प्रारूप का सार है। वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप बीएसई की वेबसाईटः bseindia.com पर उपलब्ध है।
2. उपरोक्त परिणामों की 28.08.2019 को आयोजित उनकी बैठक में ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा उसी दिन कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए।

स्थानः नई दिल्ली — साका लिमिटेड के लिए, राजीव सक्सेना, निदेशक
तिथिः 28.08.2019

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण नई दिल्ली पीठ-III, नई दिल्ली के समक्ष
सी.पी.(सीएए) 114/एनडी/2019
सम्बद्ध
सीए(सीएए)-97 (एनडी)/2019
कम्पनी अधिनियम, 2013 के खण्ड 230 से 232 के मामले में
समामेलन की योजना के मामले में
के
स्टैलियन एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड ....अन्तरक कम्पनी सं. 1/याचिकाकर्ता कम्पनी सं. 1
तथा
अवनी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड ....अन्तरक कम्पनी सं. 2/याचिकाकर्ता कम्पनी सं. 2
तथा
अलकनन्दा ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड ....अन्तरक कम्पनी सं. 3/याचिकाकर्ता कम्पनी सं. 3
तथा
रागिनी एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड ....अन्तरक कम्पनी सं. 4 /याचिकाकर्ता कम्पनी सं. 4
के साथ
चन्दा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ....अन्तरिती कम्पनी/याचिकाकर्ता कम्पनी सं. 5
एवं
उनके सम्बद्ध साखकर्ता और शेयरधारक
याचिका की सूचना
ध्यान दें कि स्टैलियन एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड ('अन्तरक कम्पनी सं. 1/याचिकाकर्ता कम्पनी सं. 1'), अवनी सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड ('अन्तरक कम्पनी सं. 2/याचिकाकर्ता कम्पनी सं. 2'), अलकनन्दा ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड ('अन्तरक कम्पनी सं. 3/याचिकाकर्ता कम्पनी सं. 3'), रागिनी एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड ('अन्तरक कम्पनी सं. 4/याचिकाकर्ता कम्पनी सं. 4) के साथ चन्दा एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ('अन्तरिती कम्पनी/याचिकाकर्ता कम्पनी सं. 5') और उनके सम्बद्ध शेयरधारक तथा साखकर्ता के समामेलन की योजना की संस्तुति/अनुमोदन हेतु धारा 230 एवं 232 एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रयोज्य प्रावधानों के तहत उपर्युक्त नामित "याचिकाकर्ता कम्पनियों" द्वारा 29 जुलाई, 2019 को माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली के सम्मुख प्रस्तुत किये गये थे और कथित याचिका में आदेश की घोषणा 2 अगस्त, 2019 को माननीय कम्पनी विधि अधिकरण द्वारा की गयी थी। कथित याचिका अब 16 सितम्बर, 2019 को 10:30 बजे प्रात: अथवा ठीक इसके बाद माननीय राष्ट्रीय विधि अधिकरण, नई दिल्ली-III के सम्मुख सुनवाई के लिए निर्धारित की गयी है। याचिकाकर्ता कम्पनियों 1, 2, 4 तथा 5 का पंजीकृत कार्यालय एफ-7, भूतल, हौज खास एन्क्लेव, नई दिल्ली-110016 पर तथा याची कम्पनी सं. 3 का पंजीकृत कार्यालय सी-E-II/3048, वसन्त कुंज, नई दिल्ली-110070 पर है।
कथित याचिका के समर्थन या विरोध करने का इच्छुक कोई व्यक्ति अपने पूर्ण नाम तथा पते सहित अपने या अपने अधिवक्ता के हस्ताक्षर करके याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं के पास याचिका की सुनवाई की तिथि से न्यूनतम 2 (दो) दिन पूर्व निवेदन भेज दें। यदि उसे याचिका का विरोध करना है तो विरोध की पृष्ठभूमि अथवा याचिका के विरोध में प्रयोग किये जाने के इरादे वाले शपथपत्र की एक प्रति इस सूचना के साथ संलिप्तिका करनी होगी। याचिका की एक प्रति निर्धारित शुल्क अदा करके याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा इसकी आवश्यकता वाले किसी भी को प्रदान कर दी जायेगी।
ह./-
सीमा कालिदा/पलाश अग्रवाल
याचिकाकर्ता कम्पनियों के अधिवक्ता
[illegible]
एडवोकेट एवं सॉलिसिटर
[illegible] जंगपुरा बी, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110014
टेलीफोन: 011-41039797-98
स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 29 अगस्त, 2019

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
प्र. का. आई टी विभाग, प्लॉट नं. 151, सैक्टर-44, गुरुग्राम
ईमेल: ho.it@psb.co.in
निविदा सूचना
रेट कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत "मल्टी-फंक्शन प्रिंटर्स व डॉक्यूमेंट स्कैनर की आपूर्ति, संस्थापन, प्रचालन व रखरखाव हेतु वेंडर के चयन के लिए प्रस्ताव निवेदन" हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। विस्तृत विवरण तथा संबंधित जानकारी के लिए, RFP बैंक की वेबसाइट www.psbindia.com से डाउनलोड किया जा सकता है। उक्त निविदा से संबंधित कोई भी बदलाव केवल बैंक की वेबसाइट पर ही पोस्ट किया जाएगा। — डीजीएम-सीटीओ

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
खुर्शीद लाल भवन, जनपथ, नई दिल्ली-110050
निविदा आमंत्रण सूचना
एमटीएनएल, नई दिल्ली की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं:
1. सं. जीएम (सीसीपी)/बिल्डिंग/हाउस कीपिंग/टेंडर/2019-20/4 : विभिन्न कार्यालय परिसरों और जीएम (सीसीपी) क्षेत्र के एक्सचेंजों के रखरखाव और सपोर्ट सेवाओं के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं (अनुमानित लागत रु. 22 लाख प्रति वर्ष)।
2. सं. ईई (ई) केबीएन/एमटीएनएल/19-20/11 : टी. ई. भवन, तीस हजारी उप केंद्र, एमटीएनएल, नई दिल्ली में स्थापित एचटी/एलटी स्विचगियर और पैनलों के एसआईटीसी के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं (अनुमानित लागत रु. 41,81,600/-)।
3. सं. जीएम (एनपी)/एमएम/मैन्टेनेन्स एवं सपोर्ट सर्विसेज/2019-20/06 : विभिन्न कार्यालय परिसरों और आरएसयू के रखरखाव और सपोर्ट सेवाओं के लिए नेहरू प्लेस क्षेत्र के अंतर्गत नेहरू प्लेस एक्सचेंज, ओखला एक्सचेंज एवं सरिता विहार एक्सचेंज के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं (अनुमानित लागत रु. 20 लाख)।
4. सं. ईई (ई)पी/सीईई (ई)/2019-20/8 : एई (ई) रखरखाव, लोधी रोड, नई दिल्ली के तहत विभिन्न स्थानों पर स्थापित एईआर के संपूर्ण रखरखाव के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं (अनुमानित लागत रु. 22,71,360/-)।
5. सं. ईई (ई)पी/सीईई(ई)/2019-20/9 : टी. ई. भवन एमटीएनएल, दिल्ली में डाटा सेंटर में एसी यूनिटों के समग्र प्रचालन के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं (अनुमानित लागत रु. 12,01,600/-)।
6. सं. ईई (ई) पी/सीईई(ई)/2019-20/10 : एई (ई) सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली के तहत विभिन्न स्थानों पर स्थापित डीईए के संपूर्ण रखरखाव के लिए ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं (अनुमानित लागत रु. 22,32,900/-)।
अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट http://eprocure.gov.in पर लॉग करें।
पारदर्शिता ही हमारी पहचान है

फिनिक्स एआरसी प्राईवेट लिमिटेड
[illegible]
CIN: U67190MH2007PTC168303
शुद्धिपत्र
यह शुद्धिपत्र समाचार पत्र "जनसत्ता" दिनांक 29.08.2019 में ई-नीलामी सूचना SARFAESI अधिनियम-2002 के तहत जारी अचल सम्पत्ति की बिक्री की सूचना के प्रकाशन के संदर्भ में है। जिसमें विज्ञापन के तल में स्थान : नई दिल्ली के पास वर्णित तिथि 27.09.2019 को 27.08.2019 पढ़ा जाए। अन्य सभी विवरण पूर्ववत रहेंगे।
दिनांक : 29.08.2019
स्थान : दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, फिनिक्स एआरसी प्राईवेट लिमिटेड के लिए (फिनिक्स ट्रस्ट एफ वाई 18 - 5 स्कीम । के ट्रस्टी)

छत्तीसगढ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमि.
(छत्तीसगढ शासन का एक उपक्रम)
(ISO 9001:2015 Certified)
प्रथम तल, उद्योग भवन, रिंग रोड नं.-1, तेलीबांधा, रायपुर 492006 (छ.ग.)
दूरभाष : कार्यालय- 0771-6621000, फैक्सः 0771-2583794
Website:www.csidc.in., Email address: csidc_raipur@yahoo.com, csidc.cg@nic
// ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना //
निविदा क्रमांक 16 एवं17/का.अ. सं.-2/सीएसआईडीसी/2019-20, रायपुर दिनांक 27/08/2019
ऑनलाईन निविदा फार्म "बी" (प्रतिशत दर) पर उचित श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य में एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत लोक निर्माण विभाग में द वर्ग तथा उपर श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु ऑन-लाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है -

निविदा क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य
16 द्वितीय कॉल ऑनलाईन सिस्टम क्र. 55337	Supply Installation, Testing & Commissioning of 2 Nos 8 PassengerLift at Commercial Complex, Purena Ring Road No.-01, Raipur (C.G.)	39.75 लाख	50000/-	1770/-
17 द्वितीय कॉल ऑन लाईन सिस्टम क्र. 55344	Sweeping with brooms and clearing of roads at I/A Urla, Bhanpuri & Rawabhata Metal park Distt- Raipur including Cleaning of grass bushes	27.97 लाख	21000/-	1770/-

अन्य विवरण एवं विस्तृत निविदा छत्तीसगढ़ शासन की Mjunction Service Limited वेबसाईट http://eproc.cgstate.gov.in की पर दिनांक 27/08/2019 समय 17:15 बजे से देखे तथा डाउनलोड किये जा सकते है।
नोट - निविदा में भाग लेने हेतु ठेकेदारों को Mjunction Service Limited वेबसाईट http://eproc.cgstate.gov.in पर पंजीयन तथा वेबसाईट http://eproc.cgstate.gov.in उपयुक्त श्रेणी में सम्मिलित करवाना अनिवार्य है।
स्वा/-
G-22457 — कार्यपालन अभियंता, संभाग-०२

मोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
पंजी. कार्यालयः 21, आशियाना रेजीडेन्सी, चौधरी धरमवीर मार्केट,
सेबेल सिनेमा के निकट, बदरपुर, नई दिल्ली- 110044
CIN No. L51395DL1975PLC008005
30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही (क्यू-1) के लिए अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सार
(रु. हजारों में)

विवरण	स्टैण्डएलॉन तथा समेकित				
	समाप्त तिमाही 30 जून, 2019	समाप्त तिमाही 31 मार्च, 2019	समाप्त तिमाही 30 जून, 2018	समाप्त वर्ष 30 जून, 2019	समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2019
		अनंकेक्षित		अंकेक्षित	
परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	0	0	1247	0	1349
कर से बाद सामान्य क्रियाकलापों से शुद्ध लाभ/ (हानि)	(31)	(197)	(56)	(31)	(535)
कर के बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (असाधारण मदों के बाद)	(31)	(197)	(56)	(31)	(535)
इक्विटी शेयर पूंजी	42966.69	42966.69	42966.69	42966.69	42966.69
आरक्षित (पूर्व वर्ष के तुलन पत्र में दर्शाई गई पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त)	0	0	0	0	
आय प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व) (रु. 10/- प्रति का) मूल :	0	0	0	0	
तरल :	0	0	0	0	
आय प्रति शेयर (असाधारण मदों के बाद) (रु. 10/- प्रति का) मूल :	0	0	0	0	
तरल :	0	0	0	0	

टिप्पणीः
1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही (क्यू 1) वित्तीय परिणामों के सम्पूर्ण विवरण प्रारूप का सार है। वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप वेबसाईट की वेबसाईटः www.bseindia.com पर उपलब्ध है।
2. उपरोक्त परिणामों की 28.8.2019 को आयोजित उनकी बैठक में ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा उसी दिन कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए।

स्थानः नई दिल्ली — मोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए, राजीव सक्सेना, निदेशक
तिथिः 28.8.2019

झारखंड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा०का०मा०)
मुख्य अभियंता का कार्यालय, 102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, रांची
ई- अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना
ई-निविदा संख्या:- 17/RI/2019-20/RDD(RWA)/HAZARIBAGH दिनांक : 29.08.2019
मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा०का०मा०), झारखंड, रांची द्वारा निम्न विवरण के अनुसार e-procurement पद्धति से निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र० सं०	आईडेन्टी फिकेशन संख्या/पैकेज संख्या	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (रुपये में) अंक में	अनुमानित राशि (रुपये में) अक्षर में	कार्य समाप्ति की तिथि	टेण्डर सं०
1.	RDD(RWA)/ HAZARIBAGH/02/ 2019-20	[illegible]	1,42,22,713.00	[illegible]	[illegible] माह	द्वितीय

2. वेबसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथि — 05.09.2019
3. ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय — 16.09.2019 अपराह्न 5.00 बजे।
4. जिला नियंत्रण कक्ष, रांची में निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि, शपथ पत्र के मूल प्रति एवं अपलोड किये गये तकनीकी योग्यता दस्तावेज की एक प्रति जमा करने की तिथि — 18.09.2019 पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय — 19.09.2019 पूर्वाह्न 11.30 बजे।
6. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता- मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा०का०मामले), झारखंड, रांची, 102 द्वितीय तल्ला अभियंत्रण भवन, रांची।
7. ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं० — 0651-2207818
8. निविदा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा०का०मामले), कार्य प्रमंडल, हजारीबाग के पक्ष में भुगतेय होगा जो लौटाया नहीं जायेगा।
विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है।
नोडल पदाधिकारी, ई-प्रोक्युरमेन्ट सेल
P.R.215643 Rural Work Department(19-20):D

सोनिया से मिले आजाद व हुड्डा, हरियाणा पर मशक्कत जारी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 29 अगस्त।

हरियाणा कांग्रेस की उलझी हुई गुत्थी अब जल्दी सुलझ जाने के आसार हैं। कांग्रेस हाइकमान सूबे में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी की नई टीम बनाने की मशक्कत में जुटा है। इसी सिलसिले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके निवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक चली मुलाकात के दौरान हरियाणा के प्रभारी महासचिव गुलाम नबी आजाद भी मौजूद थे।

रोहतक के सियासी गढ़ में कुछ दिनों पहले रैली कर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कांग्रेस पर बदल जाने और राह भटकने का आरोप लगाकर अपने बागी तेवर दिखा दिए थे। इस रैली से पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि हुड्डा नई पार्टी के गठन का एलान कर देंगे। रैली में उन्होंने ऐसा कुछ तो नहीं किया, लेकिन भावी रणनीति तय करने के लिए एक समिति के गठन की घोषणा कर यह जरूर जता दिया कि अब वे हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन की मांग को लेकर पार्टी हाइकमान के फैसले का और इंतजार नहीं करेंगे। इस रैली के बाद ऐसे कयास भी लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस हाइकमान उनके खिलाफ कोई कठोर निर्णय ले सकता है। लेकिन पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से हुई मुलाकात से साफ है कि हुड्डा न केवल कांग्रेस में बने रहेंगे, बल्कि पार्टी उनके व उनके समर्थकों को अहम भूमिका भी दे सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से हुड्डा की मुलाकात को लेकर सूत्रों ने बताया कि हुड्डा चाहते हैं कि पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करे या फिर उन्हें या उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष बनाए। उन्हें कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति का फार्मूला भी मंजूर नहीं है। उनके बेटे को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव है, जो हुड्डा परिवार को स्वीकार नहीं है। यह भी कहा जा रहा है कि भावी प्रदेश अध्यक्ष बताई गई सूबे की वरिष्ठ नेता व सांसद कुमारी सैलजा भी नहीं चाहतीं कि उनके अध्यक्ष बनने की सूरत में कार्यकारी अध्यक्षों की एक टीम भी उनके साथ लगा दी जाए।

एनआइए जल्द पूरी करे मालेगांव मामले की सुनवाई : हाई कोर्ट

मुंबई, 29 अगस्त (भाषा)।

बंबई हाई कोर्ट ने विशेष एनआइए अदालत से गुरुवार को कहा कि वह सितंबर, 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में मुकदमे की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करे। इस मामले में भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर मुख्य आरोपी हैं। न्यायाधीशों ने कहा कि न तो अभियोजन पक्ष और न ही आरोपी को मुकदमे की सुनवाई में विलंब करना चाहिए। न्यायमूर्ति रणजीत मोरे की अध्यक्षता में पीठ आरोपी समीर कुलकर्णी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

कुलकर्णी ने दावा किया कि सुनवाई काफी धीरे चल रही है क्योंकि अभियोजन हर दिन केवल एक गवाह को समन करता है। राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) के वकील संदेश पाटील ने अदालत को सूचित किया कि अभी तक अभियोजन पक्ष के 128 गवाहों की गवाही पूरी हुई है जबकि 369 और गवाहों की गवाही होनी है। अदालत ने संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद विशेष अदालत को निर्देश दिया कि वह जल्द से जल्द सुनवाई पूरी करे। अदालत ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि हम नहीं चाहते कि अभियोजन और आरोपी सहित कोई भी मुकदमे की सुनवाई की प्रक्रिया में विलंब करने का प्रयास करे।

राष्ट्रीय जांच एजंसी ने कोयंबटूर के पांच स्थानों पर छापे मारे

कोयंबटूर, 29 अगस्त (भाषा)।

राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) ने इस्लामिक स्टेट के केरल-तमिलनाडु मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में गुरुवार को कई स्थानों पर छापे मारे।

एजंसी की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि एर्नाकुलम की एनआइए अदालत की ओर से जारी वारंट के आधार पर पांच स्थानों पर छापेमारी की गई। एनआइए ने बताया, 'गुरुवार को आरोपियों से संबंधित पांच लोगों के घरों की तलाशी ली गई। इस दौरान एक लैपटॉप, पांच मोबाइल फोन, चार सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड और आठ सीडी/ डीवीडी सहित डिजिटल उपकरण और बड़ी संख्या में आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जब्त डिजिटल उपकरणों को फॉरेंसिक परीक्षण के लिए भेजा जाएगा।' एजंसी के मुताबिक संदिग्धों से गिरफ्तार लोगों के संबंध और इस्लामिक स्टेट के मकसद को पूरा करने की साजिश में उनकी भूमिका के बारे में पूछताछ की जा रही है। एनआइए ने मई महीने में मुकदमा दर्ज किया था। उसे सूचना मिली थी कुछ लोग सोशल मीडिया पर आइएस की विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं ताकि युवकों को आतंकवादी संगठन में भर्ती कर दक्षिण भारत, खासतौर पर तमिलनाडु और केरल, में हमलों को अंजाम दिया जा सके। राष्ट्रीय जांच एजंसी के मुताबिक कुछ आरोपी और उनके सहयोगी सोशल मीडिया के जरिए श्रीलंका ईस्टर धमाकों के संदिग्ध मास्टरमाइंड जहरान हाशिम और उसके साथियों के संपर्क में थे। कोयंबटूर में पहले की गई छापेमारी में एनआइए ने मोहम्मद अजरुद्दीन और शेख हिदायतुल्ला नामक दो लोगों को गिरफ्तार किया था।

इससे पहले पुलिस ने बताया कि गुरुवार को संदिग्धों के घरों पर छापेमारी, हाल में तमिलनाडु में आतंकवादी हमले को लेकर जारी चेतावनी और पिछले हफ्ते राज्य में घुसपैठ करने वाले लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों से किसी संपर्क का पता लगाने के लिए की गई है।

ऐसी रिपोर्ट थी कि श्रीलंका से समुद्र के रास्ते छह लश्कर आतंकवादियों ने घुसपैठ की है और कोयंबटूर सहित राज्य के विभिन्न शहरों में गए हैं। इसके बाद पूरे राज्य की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी।

आइएस मॉड्यूल मामला

● राष्ट्रीय जांच एजंसी के मुताबिक कुछ आरोपी व उनके सहयोगी सोशल मीडिया के जरिए श्रीलंका ईस्टर धमाकों के संदिग्ध मास्टरमाइंड जहरान हाशिम और उसके साथियों के संपर्क में थे। कोयंबटूर में पहले की गई छापेमारी में एनआइए ने मोहम्मद अजरुद्दीन और शेख हिदायतुल्ला नामक दो लोगों को गिरफ्तार किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने चिन्मयानंद के खिलाफ शिकायत का संज्ञान लिया

नई दिल्ली, 29 अगस्त (भाषा)।

पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ प्रताड़ना के आरोप लगाए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक छात्रा के लापता होने की खबरों पर गुरुवार को स्वतः संज्ञान लिया। शीर्ष न्यायालय के समक्ष वकीलों के एक समूह ने बुधवार को यह मुद्दा उठाते हुए न्यायालय से इस विषय में संज्ञान लेने को कहा था। यह मुद्दा न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए शुक्रवार को आएगा।

लापता हुई छात्रा ने एक वीडियो क्लिप में आरोप लगाया था कि चिन्मयानंद उसे प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके बाद शाहजहांपुर पुलिस ने मंगलवार को चिन्मयानंद के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी। छात्रा के पिता ने पुलिस के पास एक शिकायत दर्ज करा कर आरोप लगाया था कि चिन्मयानंद ने उसका (छात्रा का) यौन उत्पीड़न किया है। हालांकि, भाजपा नेता के वकील ने इस आरोप का खंडन करते हुए दावा किया कि यह उन्हें ब्लैकमेल करने की एक साजिश है।

महिला के पिता ने आरोप लगाया कि वह (छात्रा) मुमुक्षु आश्रम के प्रमुख एवं 72 वर्षीय भाजपा नेता के इशारे पर लापता की गई।

वह आश्रम द्वारा संचालित एक कॉलेज में स्नातकोत्तर (पीजी) की छात्रा है। वकीलों के समूह ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को संबोधित एक पत्र में उनसे मीडिया में आई उन खबरों के आधार पर स्वतः संज्ञान लेने का अनुरोध किया था,जिनमें दावा किया गया था कि छात्रा पिछले तीन दिनों से लापता है।

पत्र में लिखा गया है, 'इस न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले वकील संबद्ध लड़की की कुशलता को लेकर अत्यधिक परेशान और चिंतित हैं।

हम बतौर समाज एक और 'उन्नाव मामला' नहीं होने दे सकते।' साथ ही, न्यायालय से इस विषय में संज्ञान लेने और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक तथा कॉलेज के प्राचार्य को नोटिस जारी करने का अनुरोध किया गया ताकि छात्रा का पता लगाने के लिए फौरन कार्रवाई की जा सके और उसे और उसके परिवार को सुरक्षा दी जा सके। पत्र में वीडियो क्लिप के बारे में खबरों का भी जिक्र किया गया है, जिसमें महिला खुद को और अपने परिवार को खतरे के बारे में बोल रही है।

सरदार सरोवर बांध के पास भूकम्प के झटके : मंत्री

बड़वानी (मध्य प्रदेश), 29 अगस्त (भाषा)।

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन ने गुरुवार को दावा किया कि सरदार सरोवर बांध के पास बसे मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के कई गांवों में पिछले 20 दिनों से भूगर्भीय हलचल हो रही है, जिससे धमाके के साथ बार-बार भूकम्प के हलके झटके आ रहे हैं। सरदार सरोवर बांध के आसपास के विभिन्न गांवों का दौरा कर रहे बच्चन ने बताया कि बांध में लगभग 134 मीटर पानी भरने से इसके बैक वाटर से मध्य प्रदेश के बडवानी, झाबुआ, धार, अलीराजपर और खरगोन जिलों तक के गांवों में दिक्कत पैदा हो रही है और इसलिए इस बांध के गेट जल्द से जल्द खोल देने चाहिए।

उन्होंने कहा कि अभी मैं बडवानी जिले के भमोरी गांव से बोल रहा हूं। कई गांव जाकर ग्रामीणों की बात सुनी। बात करते-करते जोर से धमाका आया। पूरा सरकारी तंत्र हमारे पास है। सबने उसको रेकार्ड किया है। नौ अगस्त से बड़वानी जिले के एक दर्जन से अधिक गांवों में भूकम्प के झटके आ रहे हैं। दीवारों में दरारें आ रही है, दीवारों के प्लास्टर गिर रहे हैं। कहीं-कहीं पर तो दीवारें धंस गई हैं और एक मंदिर भी धंस गया है।

उन्होंने कहा कि इस बांध में 134 मीटर पानी भरने से काफी हलचल मच गई है और जिले में भूकम्प के हलके झटके आ रहे हैं। वे मुख्यमंत्री कमलनाथ को इन समस्याओं की जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि सरदार सरोबर बांध का गेट खोलकर पानी छोड़ा जाना चाहिए और इसे अधिकतम 138 मीटर तक भरने से बडवानी, झाबुआ, धार, अलीराजपर और खरगोन जिलों में बहुत ज्यादा समस्याएं आ जाएंगी।

धोखाधड़ी मामले में मुकुल राय को गिरफ्तारी से राहत

नई दिल्ली, 29 अगस्त (भाषा)।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकुल राय को धोखाधड़ी से संबंधित एक मामले में पांच सितंबर तक गिरफ्तारी से राहत प्रदान कर दी। यह मामला रेलवे के एक पैनल की सदस्यता के लिए पैसे दिए जाने से संबंधित है।

धोखाधड़ी का यह मामला संतू गांगुली नामक एक व्यक्ति ने बबन घोष के खिलाफ दायर की है। घोष का दावा था कि वह भाजपा की स्थानीय श्रम इकाई का नेता है। राय ने इस मामले में हाई कोर्ट का रुख किया और अग्रिम जमानत का अनुरोध किया।

कोलकाता पुलिस ने पिछले हफ्ते इस मामले में घोष को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद राय ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट का रुख किया।

न्यायमूर्ति एस मुंशी और न्यायमूर्ति एस दासगुप्ता के खंडपीठ ने गुरुवार को महाधिवक्ता किशोर दत्ता के अनुरोध पर मामले में सुनवाई स्थगित कर दी। पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई दो सितंबर को होगी और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि राय को पांच सितंबर तक गिरफ्तार नहीं किया जाए।

एडीबी ने 12 अरब डॉलर का ऋण देने की प्रतिबद्धता जताई

नई दिल्ली, 29 अगस्त (भाषा)।

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के अध्यक्ष ताकेहिको नकाओ ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान नकाओ ने सरकार की नई प्रमुख योजनाओं मसलन सभी के लिए पाइप के जरिए पेयजल और सड़क सुरक्षा के लिए अगले तीन साल के दौरान 12 अरब डॉलर का ऋण देने की प्रतिबद्धता जताई।

एडीबी ने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री और नकाओ ने नई प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष को प्रोत्साहन, अक्षय ऊर्जा, सौर पंप सिंचाई, इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी, फिनटेक, सतत पर्यटन और प्लास्टिक के पुनर्चक्रण जैसे क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाने पर विचार किया। नकाओ ने कहा कि एडीबी अगले तीन साल 2020-2022 के दौरान भारत को 12 अरब डॉलर का ऋण उपलब्ध कराने को प्रतिबद्ध है। इस तरह वह हर साल औसतन तीन अरब डॉलर का सरकारी कर्ज देगा वहीं एक अरब डालर निजी क्षेत्र के निवेश के लिए उपलब्ध कराएगा।

सामूहिक बलात्कार पीड़िता की अस्पताल में मौत

मुंबई, 29 अगस्त (भाषा)।

जुलाई के पहले हफ्ते में मुंबई में जिस युवती के साथ उसके चार दोस्तों ने कथित तौर पर बलात्कार किया था, उसकी मध्य महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के एक सरकारी अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि किशोरी को 25 जुलाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसकी बुधवार रात को मौत हो गई।

कथित बलात्कार का मामला तब सामने आया जब लड़की ने 24 जुलाई को गुप्तांग में दर्द की शिकायत की और उसे औरंगाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों को संदेह हुआ कि उसके साथ बलात्कार किया गया है और पुलिस को इसके बारे में सूचना दी और उसे सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम जांच कर रहे हैं लेकिन अभी तक हमें आरोपी की पहचान के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है।

केपीएल इन्टरनेशनल लिमिटेड
CIN: U23209DL1974PLC029068
पंजीकृत कार्यालयः 212 ए, 216 एवं 222, 2रा तल, 'इन्द्रप्रकाश', 21, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली- 110001
फोनः +91-1143579200, फैक्सः + 91-1123717203
ई-मेलः info@kplintl.com, वेबसाइटः www.kplintl.com

वार्षिक साधारण सभा की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 45वीं वार्षिक साधारण सभा सोमवार, 23 सितम्बर, 2019 को 03.00 बजे अप. में उसके पंजीकृत कार्यालयः 212 ए, 216 एवं 222, 2रा तल, 'इन्द्रप्रकाश', 21, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001 में आयोजित की जायेगी जिसमें कम्पनी के सभी सदस्यों को भेजी जा रही सूचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

एतद्द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण पुस्तकें 23 सितम्बर, 2019 को इस सभा में सदस्यों द्वारा स्वीकृत की जाने वाली 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लाभांश के भुगतान के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

ऐसे लाभांश का भुगतान उन सदस्यों को किया जायेगा जिनके नाम 22 सितम्बर, 2019 को या उससे पूर्व कम्पनी में दाखिल भौतिक पद्धति में सभी वैध तथा पूर्ण शेयर अंतरणों को प्रभावी करने के बाद कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर में शामिल होंगे, तथा इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में धारित शेयरों के मामले में 22 सितम्बर, 2019 को व्यावसायिक अवधि की समाप्ति पर डिपॉजिटरीज द्वारा प्रस्तुत विवरणों के अनुसार लाभभोगी स्वामित्व के आधार पर लाभांश का भुगतान किया जायेगा।

बोर्ड के आदेश से
हस्ता./-
सुरिन्दर कुमार काक
प्रबंधक निदेशक
स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 30.8.2019

"Form No. INC-26
[Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]
Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another Before the Regional Director Northern Region, Delhi Region

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
AND
In the matter of Ankur Fab-tech Private Limited having its registered office at Flat No FF-3, Essel Apartments, 13/41 Punjabi Bagh (West), Delhi-110026, Petitioner

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Annual General Meeting/ Extra ordinary general meeting held on 04th July, 2019 to enable the company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to "State of Assam". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director at the address B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi - 110003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company with a copy of the applicant company at its registered office at the address mentioned below:
Flat No FF-3, Essel Apartments, 13/41 Punjabi Bagh (West), Delhi-110026
For and on behalf of the Applicant
Sd/-
(Amit Modi)
(DIN - 01729808)
Director
Date 07th July, 2019
Place Delhi

NOVA IRON & STEEL LTD
Registered Office : Village Dagori, Tehsil Beltha, Distt. Bilaspur (CG)
Email: rai_nisl2007@yahoo.com, website: www.novaironsteel.com
(CIN: L02710CT1989PLC010052) Phone: 07752-2852206 Fax: 07752-285213

Notice of 27th Annual General Meeting, E-voting Information and Book Closure

Notice is hereby given that 27th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Saturday, 28/09/2019 at 11.00 a.m. at Registered Office of the Company to transact the Business(es) set out in the Notice of AGM. Annual Report for 2018-19 and Notice of AGM has been sent to the members by email, whose e-mail addresses are registered with the Company/Depositories/RTA and by permitted mode to others by 29/08/2019 and is available on Company's website i.e. www.novaironsteel.com.

The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from 21/09/2019 to 28/09/2019 (both days inclusive) for the purpose of AGM.

Members holding shares on 20/09/2019 (cut-off date) are eligible to cast their vote electronically on the resolutions as set out in the Notice of AGM through remote e-voting provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and business may be transacted through such voting. The remote e-voting shall commence at 10.00 a.m. on 25/09/2019 and end at 5.00 p.m. on 27/09/2019 and thereafter will be disabled by CDSL. A person who acquires shares and becomes a member of the Company after the dispatch of the Notice of AGM but on or before cut-off date, can download Notice from Company's website i.e. www.novaironsteel.com or from CDSL's website i.e. www.cdslindia.com and can E-vote after following the process provided in the Notice of AGM or by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com. The facility for voting through polling paper shall be made available at the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM venue. In case members cast their votes through both the modes, voting done by remote e-voting shall prevail.

For details relating to remote e-voting, refer to Notice of AGM. In case of query relating to E-voting refer to Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting user manual available at www.evotingindia.com or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or can also be contacted at toll free no 1800225533. In case of any grievances connected with facility for voting by electronic means, please contact Mr. Rakesh Dalvi, Manager, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (E), Mumbai - 400013.

For and on behalf of Board of Directors
For Nova Iron & Steel Ltd.
Sd/- Dheeraj Kumar
Company Secretary
Place: New Delhi
Date: 29.8.2019

सार्वजनिक सूचना
सीमित दायित्व पार्टनरशिप के रजिस्ट्रार, कम्पनी रजिस्ट्रार, रा.रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा के समक्ष
सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008, धारा 13 (3) के मामले में
तथा
कोरम क्लब एलएलपी, जिसका पंजीकृत कार्यालय सी-357, तीसरा तल, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली- 110024 में है, के मामले में
- आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "हरियाणा राज्य" में कोरम क्लब एलएलपी ("एलएलपी") के पंजीकृत कार्यालय को स्थानांतरित करने के लिए 28 अगस्त, 2019 को आयोजित बैठक में एलएलपी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप धारा (3) के अंतर्गत एक प्रस्ताव पारित किया गया है।

एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे नीचे वर्णित पते पर उसके पंजीकृत कार्यालय में आवेदक एलएलपी को आवेदन की प्रति आपत्ति तथा अपने हितों की प्रकृति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए शपथ-पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति कम्पनी रजिस्ट्रार, 4था तल, आईएफसीआई टावर, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 के पास जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

पंजीकृत कार्यालयः
सी-357, तीसरा तल, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली- 110024

कृत्ते एवं के लिए
कोरम क्लब एलएलपी
हस्ता./-
विवेक नारायण
(पदनामित पार्टनर)
DIPN: 00066011
स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 30.8.2019

दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
[illegible]
ई-मेल: co@stclimited.co.in, cs@stclimited.co.in, वेबसाइट: www.stclimited.co.in

वार्षिक आम बैठक, ई-वोटिंग और बुक क्लोजर तिथि की सूचना

[illegible] (http://www.stclimited.co.in) और एनएसडीएल (http:// www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध है।

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible] evoting@nsdl.co.in [illegible]
5. [illegible]
6. [illegible]
7. [illegible]
8. [illegible] http:// www.evoting.nsdl.com [illegible]
9. [illegible] www.evoting.nsdl.com [illegible] evoting@nsdl.co.in [illegible] ajay@mcsregistrars.com [illegible]
10. [illegible]
11. [illegible] www.stclimited.co.in [illegible] www.nsdl.co.in [illegible]

दि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से और उसके लिए
हस्ताक्षर/-
(दीपक सी.एस.)
कंपनी सचिव
स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 29.08.2019

PUBLIC NOTICE
MY CLIENT Smt. Joginder Sharma W/o Sh. Vijay Sharma R/o A-13, Panchsheel Vihar, Khirki, Malviya Nagar, New Delhi-110017, have severed all relations and disowned her son Ramneek Sharma, his wife Smt. Rohini and their Son Ryan from her all moveable-immoveable properties due to their disobedience and disrespectful behaviour towards my client. My client and her other family members shall not be responsible for their acts.
Sd/-
ROHIT KUMAR
(ADVOCATE)
Ch. No. 768 Saket Courts
New Delhi

PUBLIC NOTICE
It is to inform the general public that Sunandan Kumar Minocha has expired on 17.10.2018 leaving behind the following surviving members of his family:- 1. Sushma Minocha 2.Mukul Minocha 3. Mridu Minocha If anybody has any objection to this,he/she may contact at CGA 166 DLF Capital Greens Moti Nagar, Delhi-15 or Mob 9810083515 within 21days of this notice.

PUBLIC NOTICE
Be it known to all that my client Sh. Karam Br. S/o Duniya & his wife Smt. Rani both R/o H.No. A-297, Metro Vihar, Phase-2, Holambi Kalan, Delhi-110082, has severed all relations with their son namely Sh. Suresh & his wife Smt. Sonia & has disowned them from all their movable & immovable properties, owing to their rude, indifferent & unruly behavior. Whosoever deals with them in any matter whatsoever shall do so at his / her own risk & consequences.
Parvinder Sehrawat (Advocate)
Ch. No. 1022, Rohini Court, Delhi-85

PUBLIC NOTICE
Be IT Known to all that my client M/S BCN WEARS PRIVATE LIMITED having its registered office at IX/6131, Guru Harkishan Gali, Opp MTNL Office, Near Police Station, Gandhi Nagar, Delhi-110031, has no relationship with **Mr. Bappa Ghosh S/o Sh. Niranjan Ghosh Add: 54/1/4, South Baksara 1st Bye Lane, Haora Corporation, Danesh SK Lane, Haora, West Bengal-711109.** My client is not directly or indirectly responsible or any act/ liabilities of him.
Any association of the name of BCN Wears Pvt. Ltd. with **Mr. Bappa Ghosh** is liable to be prosecuted under the Indian Penal Code and Civil Laws.
Sd/-
NEERAJ KUMAR
(Advocate)
Enrl: D/4815/2018

We RELIABLE SOLUTIONS authorized agency of HDFC Bank Credit Card Division hereby notify that we have lost one receipt C46062208 in book no-C460622
Customers are hereby intimated not to make any payments againts the said receipt since they have been declared invalid for further use. Any claims basis payments made against the above receipt shall not be entertained. Contact No. 9810293545

केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड
पंजी. कार्यालयः डी-90, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-I, नई दिल्ली-110020
CIN: L74899DL1992PLC051527
टेली: +91-11-26818840, 26818642, फैक्सः +91-11-26811959, 26817225
Email: cs@kei-ind.com, Website: www.kei-ind.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी द्वारा जारी की गई निम्न शेयर प्रमाणपत्र के गुम हो जाने/ स्थानच्युत हो जाने की सूचना प्राप्त हुई है तथा उसके पंजीकृत शेयरधारक ने कम्पनी/ आरटीए के पास डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिये आवेदन किया है।

क्रम सं.	फोलियो नं.	प्रमाण पत्र सं.	विशिष्ट सं.	शेयरधारकों का नाम	शेयरों की सं.
1	4296	631	566501-567000	एमडीएस सिक्युरिटीज लिमिटेड	500

एतद्द्वारा आम जनता को सतर्क किया जाता है कि उपरोक्त शेयर प्रमाणपत्र किसी भी रूप में क्रय तथा कारोबार न करें। यदि किसी व्यक्ति का उपरोक्त शेयर प्रमाणपत्र के संदर्भ कंपनी में कोई दावा(वें) हो, वे इस सूचना के प्रकाशन के पन्द्रह दिनों के भीतर दिये गये पते पर उसके पंजीकृत कार्यालय ऐसे दावा (वे) दाखिल करें जिसके बाद किसी प्रकार के दावे पर विचार नहीं की जायेगी तथा कंपनी डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी।

मै. केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
श्री किशोर कुनाल
जीएम (कॉर्पोरेट) तथा कंपनी सचिव
स्थानः नई दिल्ली
तिथिः 29.08.2019

कॉंटिनेंटल पेट्रोलियम्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालयः ए-2, उद्योग भवन के सामने, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005 (राजस्थान)
फोन : 0141-2222232, फैक्स नं. 0141-2221961, CIN: L23201RJ1986PLC003704
ई-मेल: conpetco@gmail.com, वेबसाइट : www.contol.in

33वीं वार्षिक साधारण, ई-वोटिंग संबंधी सूचना एवं लेखा बही बंदीकरण के संबंध में सूचना

[illegible]

स्थानः जयपुर
दिनांकः 29.08.2019
(अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक) DIN: 00414717

खबर कोना

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 में धोनी को जगह नहीं, हार्दिक की वापसी

नई दिल्ली, 29 अगस्त (भाषा)।

महेंद्र सिंह धोनी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन टी20 मैचों की शृंखला के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं दी गई है जबकि फिट हो चुके हार्दिक पंड्या की वापसी गुरुवार को घोषित 15 सदस्यीय टीम में एकमात्र बदलाव है। तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच धर्मशाला (15 सितंबर), मोहाली (18 सितंबर) और बंगलुरु (22 सितंबर) में खेले जाएंगे। खेल से दो महीने का ब्रेक लेने वाले धोनी प्रादेशिक सेना के साथ 15 दिन बिताने के बाद अभी अमेरिका में छुट्टियां मना रहे हैं। यह पता नहीं चल पाया है कि चयनकर्ताओं ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू शृंखला में उपलब्धता को लेकर धोनी से बात की या नहीं। वेस्टइंडीज दौरे की टीम के चयन (21 जुलाई) को मापदंड माने तो धोनी का आधिकारिक ब्रेक 21 सितंबर को खत्म होगा जबकि इसके अगले दिन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच होगा। एमएसके प्रसाद की अगुआई वाली मौजूदा चयन समिति भविष्य की ओर देख रही है। सूत्रों के अनुसार 38 साल के विश्व कप विजेता पूर्व कप्तान धोनी उनकी योजनाओं में शामिल नहीं हैं। बीसीसीआइ के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'चयन समिति मुद्दे पर स्पष्ट है। वे संन्यास को लेकर धोनी से कभी कोई सवाल नहीं पूछेंगे क्योंकि यह उनके दायरे में नहीं है। लेकिन जब तक वे प्रभारी हैं तो उनके पास टीम चुनने का अधिकार है और जहां तक उनका सवाल है तो ऋषभ पंत सभी प्रारूपों में उनके पहली पसंद के विकेटकीपर हैं।'

केपी भास्कर की दिल्ली के रणजी कोच के रूप में वापसी, गेंदबाजी कोच होंगे राजकुमार

नई दिल्ली, 29 अगस्त (भाषा)।

केपी भास्कर को गुरुवार का एक साल बाद फिर दिल्ली की सीनियर रणजी टीम का कोच नियुक्त किया गया है जबकि विराट कोहली के बचपन के कोच राजकुमार शर्मा को 2019-20 घरेलू सत्र के लिए गेंदबाजी कोच बनाया गया है। भास्कर 2017-18 सत्र में दिल्ली के कोच थे और तब टीम को इंदौर में हुए रणजी ट्राफी फाइनल में विदर्भ के खिलाफ शिकस्त का सामना करना पड़ा था। ओड़ीशा में घरेलू टूर्नामेंट के दौरान गौतम गंभीर के साथ सार्वजनिक बहस के बाद उन्हें कोच पद से हाथ धोना पड़ा था। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज ने भास्कर पर ड्रेसिंग रूम में गुटबाजी को बढ़ावा देने और कुछ युवा खिलाड़ियों का करियर खत्म करने का प्रयास करने का आरोप लगाया था। मिथुन मन्हास ने 2018-19 सत्र में भास्कर की जगह ली थी लेकिन इस दौरान टीम काफी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। भास्कर दिल्ली के पूर्व रणजी खिलाड़ी भी रहे हैं और उन्होंने 95 प्रथम श्रेणी मैचों में 18 शतक की मदद से 5443 रन बनाए।

दीपा मलिक 'खेल रत्न' बनीं, समारोह में भाग नहीं ले सके बजरंग

नई दिल्ली, 29 अगस्त (भाषा)।

पैरालंपिक रजत पदक विजेता दीपा मलिक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हासिल करने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गईं लेकिन इसी पुरस्कार को हासिल करने वाले पहलवान बजरंग पूनिया ट्रेनिंग प्रतिबद्धताओं के कारण यहां राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में शिरकत नहीं कर पाए।

दीपा ने 2016 रियो पैरालंपिक में गोला फेंक एफ53 में रजत पदक जीता था। उन्हें एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन पूनिया के साथ संयुक्त विजेता घोषित किया गया था जो कजाखस्तान में होने वाली आगामी चैंपियनशिप की तैयारियों में जुटे हैं। इस तरह दीपा इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को हासिल करने वाली दूसरी पैरा एथलीट बन गई क्योंकि पैरालंपिक का दोहरा स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक एथलीट देवेंद्र झझारिया को 2017 में इससे सम्मानित किया गया था। वह 49 साल की उम्र में इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली सबसे उम्रदराज एथलीट भी बन गईं।

दीपा चौथी बार भाग्यशाली रही क्योंकि पिछले तीन साल उनके नाम की अनदेखी की गई जिस पर उन्होंने सवाल उठाए और फैसले की आलोचना की। पूनिया के अलावा क्रिकेटर रविंद्र जडेजा, एशियाई खेलों के स्वर्ण पदकधारी गोला फेंक एथलीट तेजिंदर पाल सिंह तूर और 400 मीटर स्पर्धा के रजत पदक मोहम्मद अनस समारोह में अर्जुन पुरस्कार लेने नहीं आ सके। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर साल 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर दिए जाते हैं।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ग्रहण करती हुई दीपा मलिक

दीपा ने कहा, 'मैं बहुत खुश हूं। यह पूरी यात्रा लोगों के दिव्यांगों और दिव्यांग लोगों की छुपी काबिलियत के प्रति लोगों के रवैये को बदलने के बारे में रही है।' उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि यह पुरस्कार महिला दिव्यांग खिलाड़ियों को काफी प्रेरित करेगा। स्वंतत्र भारत को पैरालंपिक में पदक जीतने में 70 साल लगे।'

राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार : दीपा मलिक (पैरा-एथलेटिक्स), बजरंग पूनिया (कुश्ती)। **अर्जुन पुरस्कार** : रविंद्र जडेजा (क्रिकेट), मोहम्मद अनस याहिया (एथलेटिक्स), गुरप्रीत सिंह संधू (फुटबाल), सोनिया लाठेर (मुक्केबाजी), चिंगलेनसना सिंह कंगुजम (हॉकी), एस भास्करन (बाडीबिल्डिंग), अजय ठाकुर (कबड्डी), अंजुम मौदगिल (निशानेबाजी), बीसाई प्रणीत (बैडमिंटन), तेजिंदर पाल सिंह तूर (एथलेटिक्स), प्रमोद भगत (पैरा स्पोर्ट्स - बैडमिंटन), हरमीत राजुल देसाई (टेबल टेनिस), पूजा ढांडा (कुश्ती), फवाद मिर्जा (घुड़सवारी), सिमरन सिंह शेरगिल (पोलो), पूनम यादव (क्रिकेट), स्वप्ना बर्मन (एथलेटिक्स), सुंदर सिंह गुर्जर (पैरा स्पोर्ट्स - एथलेटिक्स) और गौरव सिंह गिल (मोटरस्पोर्ट्स)।

द्रोणाचार्य पुरस्कार (नियमित श्रेणी) : मोहिंदर सिंह ढिल्लों (एथलेटिक्स), संदीप गुप्ता (टेबल टेनिस) और विमल कुमार (बैडमिंटन)। **द्रोणाचार्य पुरस्कार (आजीवन श्रेणी)** : संजय भारद्वाज (क्रिकेट), रामबीर सिंह खोकर (कबड्डी) और मेजबान पटेल (हॉकी)। **ध्यानचंद पुरस्कार** : मनोज कुमार (कुश्ती), सी लालरेमसंगा (तीरंदाजी), अरूप बसाक (टेबल टेनिस), निटेन कीर्ताने (टेनिस) और मैनुअल फ्रेड्रिक्स (हॉकी)।

इलावेनिल ने विश्व कप निशानेबाजी का पहला स्वर्ण जीता

रियो दि जिनेरियो, 29 अगस्त (भाषा)।

निशानेबाज इलावेनिल वलारिवान ने महिलाओं की 10 मीटर एअर राइफल स्पर्धा में सभी को पछाड़ते हुए सीनियर विश्व कप में पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया और इससे यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह तीसरी भारतीय बन गईं। 20 साल की निशानेबाज का प्रदर्शन हालांकि भारत के लिए ओलंपिक कोटे में नहीं बदल सका क्योंकि अंजुम मुद्गिल और अपूर्वी चंदेला ने पहले ही देश को मिलने वाले दो स्थान पिछले साल की विश्व चैम्पियनशिप में हासिल कर लिए हैं।

अपूर्वी और अंजुम आइएसएसएफ राइफल/पिस्टल चरण की प्रतियोगिता में कोई पदक हासिल नहीं कर सकीं जो क्रमशः दुनिया की नंबर एक और दो निशानेबाज हैं। अंजुम फाइनल में 166.8 अंक से छठे स्थान पर रहीं जबकि अपूर्वी क्वालीफिकेशन पार नहीं कर सकीं और 11वें स्थान पर रहीं।

सीनियर स्तर पर अपने पदार्पण वर्ष में 20 साल की इलावेनिल ने बुधवार को फाइनल में 251.7 अंक का स्कोर जुटाया जिससे उन्होंने ब्रिटेन की सियोनाद मैकिन्तोश को पछाड़ दिया जिन्होंने 250.6 अंक से रजत पदक जीता।

चीनी ताइपे की यिंग शिन लिन ने कांस्य पदक जीतने के अलावा तोक्यो 2020 ओलंपिक के दो कोटा स्थान में से एक हासिल किया। दूसरा कोटा ईरान ने हासिल किया। भारत पहले ही इस स्पर्धा में कोटा सुनिश्चित कर चुका है। अंजलि भागवत और अपूर्वी चंदेला इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की दो अन्य निशानेबाज हैं।

इलावेनिल एशियाई चैम्पियन के अलावा जूनियर विश्व कप की स्वर्ण पदकधारी हैं और ओलंपिक कांस्य पदकधारी गगन नारंग के युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए की गई शुरुआत 'प्रोजेक्ट लीप' के लिये चुनी गई थी।

गुजरात की इलावेनिल ने क्वालीफिकेशन में अपनी सीनियर अंजुम को पछाड़ दिया था। उन्होंने 629.4 अंक जुटाए जबकि अंजुम ने 629.1 अंक बनाये थे जिससे दोनों क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर रहीं।

दुनिया की नंबर एक निशानेबाज अपूर्वी फाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकीं। वह 627.7 अंकों के साथ 11वें स्थान पर रहीं। भारत का दबदबा इतना था कि मेहुली घोष ने प्रतिस्पर्धा से इतर न्यूनतम क्वालीफिकेशन स्कोर (एमक्यूएस) वर्ग में 629.1 अंक का स्कोर बनाया जो उन्हें फाइनल में स्थान दिला सकता था।

इलावेनिल ने 24 शाट के फाइनल में चार शाट से पहले 1.4 अंक की बढ़त बनाई हुई थी। सियोनाद और इलावेनिल के बीच अंत तक मुकाबला चला लेकिन भारतीय निशानेबाज पहला स्थान हासिल करने में सफल रहीं।

अंजुम पहले पांच शाट के बाद आगे चल रही थीं, लेकिन दूसरी सीरीज के खराब होने से वह नीचे खिसक गईं और 12वें शाट तक पांचवें स्थान पर पहुंच गईं। लेकिन इलावेनिल शानदार प्रदर्शन करते हुए सियोनाद से आगे निकल गईं। अमेरिका की मैरी टकर सबसे पहले बाहर हुईं।

महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में अनुराज सिंह ने भारतीय टीम में वापसी करते हुए प्रीसिशन चरण में 292 का मजबूत स्कोर बनाया जिससे वे 12वें स्थान पर पहुंची। रैपिड फायर राउंड गुरुवार को होगा।

हमवतन चिंकी यादव 290 अंक से 17वें जबकि अभिदन्या अशोक पाटिल 286 से 43वें स्थान पर हैं। पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पाजीशन स्पर्धा में पहले एलिमिनेशन दौर में क्वालीफिकेशन विश्व रेकॉर्ड रहा जिसमें आस्ट्रिया के जान लोचबिहलर ने 1188 अंक जुटाए। भारत के संजीव राजपूत ने पहले एलिमिनेशन दौर में 1170 अंक से 14वें स्थान हासिल किया। वे फाइनल में जगह बनाने के लिए गुरुवार को क्वालीफाइंग दौर में खेलेंगे।

जोकोविच अगले दौर में, फेडरर पहला सेट गंवाने के बाद जीते

न्यूयॉर्क, 29 अगस्त (एएफपी)।

गत चैम्पियन नोवाक जोकोविच ने कंधे के दर्द के बावजूद बुधवार को बारिश से प्रभावित अमेरिकी ओपन ग्रैंडस्लैम टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे दौर में प्रवेश किया जबकि रोजर फेडरर ने एक और धीमी शुरुआत करते हुए कदम आगे बढ़ाए। वहीं महिलाओं के वर्ग में सेरेना विलियम्स ने वाइल्डकार्ड से प्रवेश करने वाली 17 साल की कैटी मैकनैली को 5-7 6-3 6-1 से शिकस्त दी। अमेरिका की आठवीं वरीय सेरेना अपने करिअर का 24वां ग्रैंडस्लैम खिताब जीतकर मारग्रेट कोर्ट के रेकॉर्ड की बराबरी करने की कोशिश में जुटी हैं।

शीर्ष रैंकिंग के खिलाड़ी जोकोविच पिछले पांच ग्रैंडस्लैम में से चार अपने नाम कर चुके हैं और कुल 16 खिताब जीतने वाले इस धुरंधर ने अर्जेंटीना के 56 रैंकिंग के जुआन इग्नासियो लोंडेरो पर 6-4 7-6 6-1 से जीत हासिल की।

सर्बियाई खिलाड़ी जोकोविच ने अपने कंधे की चोट के बारे में कहा, 'इससे निश्चित रूप से मेरी सर्विस और बैकहैंड पर असर पड़ रहा था। मेरी सचमुच काफी परीक्षा हुई। दर्द के साथ खेलना आसान नहीं था लेकिन आपको उम्मीद करनी होती है कि आपको कुछ मौके मिले और कुछ शाट भाग्यशाली रहें।'

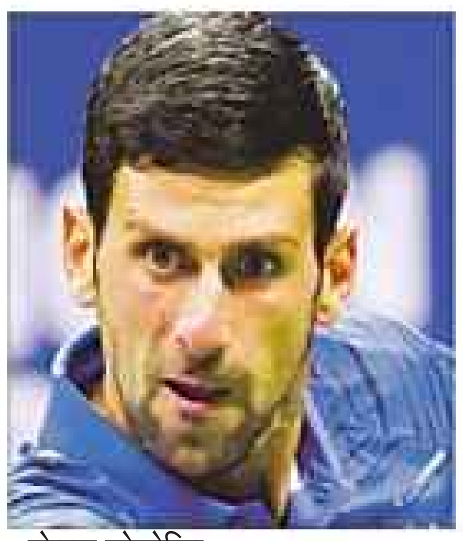

नोवाक जोकोविच

रोजर फेडरर

वहीं 20 बार के ग्रैंडस्लैम विजेता फेडरर 2008 के बाद पहली अमेरिकी ओपन ट्राफी जीतने की उम्मीद लगाए हैं जिन्होंने 2004 से 2008 तक लगातार यहां खिताब जीते थे। उन्होंने 99वीं रैंकिंग के बोस्निियाई खिलाड़ी दामिर जुमहुर पर 3-6 6-2 6-3 6-4 से फतह हासिल की। स्विट्जरलैंड के तीसरे वरीय खिलाड़ी ने भारतीय क्वालीफायर सुमित नागल के खिलाफ शुरुआती मुकाबले में भी पहला सेट गंवाया था। लेकिन 38 साल के इस खिलाड़ी ने पहले सेट में 17 अनफोर्स्ड गलतियां करने के बाद वापसी की। फेडरर ने कहा, 'जब आप लगातार मैचों में ऐसा करते हो तो यह थोड़ा निराशाजनक होता है, विशेषकर तब जब टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों में ऐसा हो। महिलाओं के वर्ग में एशले बार्टी ने अमेरिका की लौरेन डेविस को 6-2 7-6 से शिकस्त दी।

भारत की निगाह 'क्लीन स्वीप' पर, पंत पर रहेगा ध्यान

किंगस्टन, 29 अगस्त (भाषा)।

भारतीय क्रिकेट टीम शुक्रवार से शुरू हो रही विश्व टैस्ट चैंपियनशिप के अपने दूसरे मैच में 'क्लीन स्वीप' के इरादे से उतरेगी जबकि युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत टीम प्रबंधन के भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। पहला टेस्ट 318 रन से जीत चुकी भारतीय टीम सबीना पार्क में दूसरे मैच में प्रबल दावेदार के रूप में उतरेगी। दूसरी ओर मेजबान टीम पांच दिवसीय मुकाबले की कसौटी पर खरी नहीं उतर सकी है।

भारत के गेंदबाजी कोच भरत अरुण ने कहा, 'यहां परिस्थितियां अच्छी है और पिच भी बढ़िया लग रही है। हमें एक और अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है।' पहले मैच में जसप्रीत बुमराह ने छह और ईशांत शर्मा ने आठ विकेट लेकर वेस्टइंडीज की कमजोरियों की कलई खोल दी। उनका इरादा इस प्रदर्शन को बरकरार रखने का होगा। इतनी बड़ी जीत के बाद भारत अंतिम एकादश में बदलाव शायद ही करे। हालांकि पंत की फार्म चिंता का सबब है। उन्हें महेंद्र सिंह धोनी का वारिस माना जा रहा है लेकिन उनके आउट होने के तरीके से यह चिंता पैदा हुई है। इस दौरे पर उन्होंने 0, 4, नाबाद 65 , 20 , 0, 24 और सात रन बनाए हैं। रिधिमान साहा के ड्रेसिंग रूम में लौटने से अब पंत मौके को हलके में नहीं ले सकते। पहले टेस्ट की दूसरी पारी में उनके पास बिना किसी दबाव के खुलकर खेलने का मौका था लेकिन वह खराब शाट खेलकर आउट हो गए। टी20 शृंखला में एक अर्धशतक को छोड़कर वह कोई कमाल नहीं कर सके। सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल भी पहले टेस्ट में फार्म में नहीं थे लेकिन उन्हें एक और मौका मिलने की उम्मीद है। हनुमा विहारी ने भी दूसरी पारी में 93 रन बनाए जिसके मायने हैं कि रोहित शर्मा को अंतिम एकादश में जगह पाने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। तेज गेंदबाजों का प्रदर्शन पहले मैच में काबिले तारीफ रहा। ईशांत और बुमराह ने खासतौर पर बेहतरीन गेंदबाजी की।

indianexpress.com

I subscribe to facts not mass opinion.

Inform your opinion with expert analysis.

The Indian Express. For the Indian Intelligent.

The Indian EXPRESS — JOURNALISM OF COURAGE —

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 285, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।

दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।